राष्ट्रीय सेमिनार

बुन्देलखण्ड का विकास : मुद्दे, रणनीति एवं भावी दिशा

दिनांक : 10 एवं 11 जनवरी, 2020

खण्ड-1

बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड
राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश
(जुलाई, 2020)

कालिंजर का किला, बांदा

रामघाट, चित्रकूट

झांसी का किला, झांसी

राष्ट्रीय सेमिनार

बुन्देलखण्ड का विकास :
मुद्दे, रणनीति एवं भावी दिशा
दिनांक : 10 एवं 11 जनवरी, 2020

खण्ड–1

बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड
राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश
(जुलाई, 2020)

संख्या-

योगी आदित्यनाथ

मुख्य मंत्री
उत्तर प्रदेश

लोक भवन,
लखनऊ - 226001

दिनांक : 04 JUL 2020

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा के सहयोग से दिनांक 10 व 11 जनवरी, 2020 को आयोजित 'बुन्देलखण्ड का विकास : मुद्दे, रणनीति एवं भावी दिशा' विषयक राष्ट्रीय सेमीनार की विभिन्न गतिविधियों तथा इसमें प्रस्तुत शोध पत्र आदि पर केन्द्रित डॉक्युमेन्ट (खण्ड-1 एवं खण्ड-2) का प्रकाशन किया जा रहा है।

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उ0प्र0 सरकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कृत संकल्पित है। इस सम्बन्ध में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र की प्रगति के लिए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास की लाइफ लाइन बनने जा रही बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना का कार्य तेज गति से जारी है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र की पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यों का शुभारम्भ किया गया है। इस प्रकार बुन्देलखण्ड के हितार्थ किए जा रहे विभिन्न प्रयासों से क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा तथा पेयजल आदि समस्याओं का समाधान भी होगा।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड का गठन किया गया है। यह अत्यन्त सराहनीय है कि बुन्देलखण्ड के सम्पूर्ण विकास के लिए सम्यक विचारोपरान्त मुद्दे, रणनीति एवं कार्य योजना को समाहित करके यह डॉक्यूमेन्ट तैयार किया गया है। मुझे आशा है कि यह प्रकाशन बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास से जुड़े सभी लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

डॉक्युमेन्ट के उद्देश्यपरक प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

(योगी आदित्यनाथ)

संदेश

कुँवर मानवेन्द्र सिंह
अध्यक्ष, बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड, उ0प्र0

प्रदेश सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु परामर्शी संस्था के रूप में संस्तुतियां प्रदान करने के उद्देश्य से बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के गठन के उद्देश्यों के अनुरूप इस बोर्ड की विभिन्न बैठकों में हुये निर्णयानुसार बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न सेक्टरों से सम्बन्धित 14 समितियों का गठन किया गया, जिसमें बोर्ड के मा0 पदाधिकारीगण, सम्बन्धित विभागीय अधिकारीगण एवं ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं के शिक्षाविद् सम्मिलित हैं। इन समितियों द्वारा निरन्तर चिंतन तथा बैठकें कर स्टेटस पेपर तैयार किये गये, जिन्हें बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड के तत्वाधान में बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बाँदा के सहयोग से दिनाँक 10 एवं 11 जनवरी, 2020 को जनपद बाँदा में आयोजित सेमिनार में प्रस्तुत किया गया।

सेमिनार में प्रदेश के मा0 मंत्रीगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, देश–विदेश के ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षाविदों आदि ने प्रतिभाग कर बुन्देलखण्ड के विकास हेतु शोध पत्र/विचार भी प्रस्तुत किये। प्रदेश के विकास से सम्बन्धित विभिन्न विभागों, बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बाँदा एवं जिला प्रशासन, बाँदा द्वारा इस सेमिनार के सम्पादन में पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। सेमिनार में प्रतिभागियों द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण तथा विस्तृत विचार–विमर्श के आधार पर प्रदेश के विकास से सम्बन्धित विभागों द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु ज्वलन्त मुद्दे, रणनीति, कार्ययोजना तैयार की गयी है जिनको समाहित करते हुये यह डाक्यूमेन्ट (खण्ड–1 एवं 2) तैयार किया गया है। मेरा मत है कि इस महत्वपूर्ण डाक्यूमेन्ट (खण्ड–1 एवं 2) के आधार पर बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास हेतु प्रदेश के सम्बन्धित विभागों को आगामी वर्षों में दूरगामी निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

मैं इस विशिष्ट कार्य में अथक प्रयास करने के लिये बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड के सम्मानित साथियों, श्री के0वी0 राजू, आर्थिक सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी तथा श्री कुमार कमलेश, अपर मुख्य सचिव, नियोजन का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस महत्वपूर्ण आयोजन में निरन्तर योगदान तथा प्रतिबद्धता हेतु सभी प्रशासनिक विभागों, शिक्षाविदों, बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बाँदा एवं जिला प्रशासन, बाँदा को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

(कुँवर मानवेन्द्र सिंह)

राजेन्द्र कुमार तिवारी
आई.ए.एस

लोक भवन
लखनऊ– 226001
ई–मेल: csup@nic in
फोन: (0522)2289212,2289296 (का.)
(0522)2239461,2237299 (आ.)
(0522)2239283 (फैक्स)

दिनांक 01 जुलाई, 2020

संदेश

उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। प्रदेश के आर्थिक सम्भागों की जहॉ एक ओर अपनी–अपनी विशिष्टतायें हैं, वहीं दूसरी ओर इन सम्भागों की अपनी–अपनी समस्यायें भी हैं। इस परिप्रेक्ष्य में बुन्देलखण्ड सम्भाग के विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा परामर्शी संस्था के रूप में बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड का गठन किया गया है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु नियोजन विभाग द्वारा बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर की दो–दिवसीय गोष्ठी जनपद बाँदा स्थित बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित की गयी। गोष्ठी में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों यथा–प्राथमिक क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र एवं जल क्षेत्र से सम्बन्धित ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, अर्थशास्त्रियों, प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगणों, विभिन्न विकास विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, गैर–सरकारी संगठनों तथा निजी उद्यमों के प्रतिनिधियों द्वारा उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया गया तथा शोधपत्रों एवं विचार–विमर्श के माध्यम से बुन्देलखण्ड के समग्र विकास के सन्दर्भ में प्रभावी रणनीति तैयार करने हेतु अपने उद्बोधन एवं मन्तव्य प्रस्तुत किये गये। गोष्ठी के आधार पर विकास विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तैयार किये गये मुद्दे, रणनीति एवं कार्ययोजना को समाहित करके नियोजन विभाग द्वारा एक डाक्यूमेन्ट (खण्ड–1 एवं 2) तैयार किया गया है, जो निश्चय ही बुन्देलखण्ड के विकास में उपयोगी सिद्ध होगा।

यह गोष्ठी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा एवं उनके मार्गदर्शन में सम्पन्न हुई, जो निःसंदेह बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में कारगर एवं सहायक सिद्ध होगी। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण का भी आभारी हूँ, जिन्होंने गोष्ठी में अपने सारगर्भित विषयपरक उद्बोधन से उपस्थित प्रतिभागियों को लाभान्वित किया। गोष्ठी को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने तथा डाक्यूमेन्ट (खण्ड–1 एवं 2) तैयार करने के लिये मैं विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों एवं जनपद बाँदा के प्रशासनिक अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि गोष्ठी में शिक्षाविदों, प्रशासनिक अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों एवं अन्य गणमान्य महानुभावों के मंथन, चिन्तन एवं उद्बोधन के फलस्वरूप तैयार किये गये इस डाक्यूमेन्ट (खण्ड–1 एवं 2) से बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रदेश के विभागों को रणनीति तैयार करने में सहायता मिलेगी।

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

प्राक्कथन

कुमार कमलेश,
आई0ए0एस0
अपर मुख्य सचिव,
नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से भारत के बड़े राज्यों में आता है। इसे चार आर्थिक सम्भागों यथा–पश्चिमी, केन्द्रीय, पूर्वी एवं बुन्देलखण्ड में विभाजित किया गया है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विकास सम्बन्धी समस्याओं को दूर करने हेतु प्रदेश सरकार सदैव प्रयासरत है, जिसके कम में इस क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा पूर्णतया परामर्शी संस्था के रूप में बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड का गठन भी किया गया है।

बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड की मण्डलवार विविध बैठकों में हुये विचार–विमर्श के आधार पर बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास हेतु बोर्ड द्वारा विभिन्न सेक्टरों यथा–कृषि, पशुपालन, जल प्रबन्धन, उद्योग, कौशल विकास आदि से सम्बन्धित 14 समितियों का गठन किया गया। इसके साथ ही उच्च स्तरीय निर्णयानुसार बुन्देलखण्ड के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के परिप्रेक्ष्य में बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड के तत्वावधान में नियोजन विभाग द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर का दो दिवसीय सेमिनार बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बाँदा के सहयोग से जनपद बाँदा में आयोजित किया गया।

सन्दर्भित सेमिनार में पाँच तकनीकी सत्रों का निर्धारण करते हुये **प्राथमिक क्षेत्र** के लिए प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, **विनिर्माण क्षेत्र** के लिए प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग एवं प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, **सेवा क्षेत्र** के लिए अपर मुख्य सचिव, सूचना एवं प्रमुख सचिव, पर्यटन, **सामाजिक क्षेत्र** के लिए प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा **जल क्षेत्र** के लिए प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को सेमिनार के सम्पादन हेतु मुख्य समन्वयक के रूप में नामित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सत्र के विषय से सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों को भी नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया।

सेमिनार हेतु तकनीकी सत्रों के स्ट्रक्चर, प्रतिभागियों, ख्याति प्राप्त संस्थानों के शिक्षाविद्, विभागों के मा0 मंत्रीगण, उच्च प्रशासनिक अधिकारी, रेपोर्टियर, सत्र अवधि एवं संचालन आदि से सम्बन्धित विविध व्यवस्थायें तथा सेमिनार के उपरान्त तैयार की जानी वाली रिपोर्ट आदि के सम्बन्ध में नियोजन विभाग द्वारा सभी तकनीकी सत्र समन्वयकों, नोडल विभागों, बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बाँदा के कुलपति/नोडल अधिकारी तथा जिला प्रशासन बाँदा के साथ बैठकों के माध्यम से समन्वय स्थापित कर सेमिनार का आयोजन किया गया।

सेमिनार का उद्घाटन श्री सूर्य प्रताप शाही, मा0 मंत्री, कृषि विभाग, उ0प्र0 के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ जिसके दौरान विशिष्ट अतिथिगणों में श्री लाखन सिंह राजपूत, मा0 राज्य मंत्री, उ0प्र0 सरकार, श्री आर0के0 सिंह पटेल, मा0 सांसद, कुँवर मानवेन्द्र सिह, मा0 अध्यक्ष, बुन्देलखण्ड

विकास बोर्ड, श्री राजा बुन्देला तथा श्री अयोध्या सिंह पटेल, मा0 उपाध्यक्ष, बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड एवं बोर्ड के मा0 सदस्यगण उपस्थित रहे। सेमिनार का समापन डा0 महेन्द्र सिंह, मा0 मंत्री जल शक्ति विभाग, उ0प्र0 सरकार के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ।

सेमिनार के विभिन्न सत्रों में श्रीमती कमला रानी वरूण, मा0 मंत्री, श्री श्रीराम चौहान, मा0 राज्य मंत्री, श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, मा0 राज्य मंत्री, डा0 जी0एस0 धर्मेश, मा0 राज्य मंत्री, उ0प्र0 सरकार, श्री पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, मा0 सांसद, हमीरपुर तथा श्री के0वी0 राजू, आर्थिक सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। सेमिनार अवधि में विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों, ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थानों के विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, अर्थशास्त्रियों, गैर सरकारी संगठनों तथा निजी उद्यमों के प्रतिनिधियों यथा–श्री इज्शब्राण्ड डी0 जान, जल विशेषज्ञ, विश्व बैंक, डा0 मंगला राय, महानिदेशक (से0नि0), आई0सी0ए0आर0 आदि द्वारा बुन्देलखण्ड सम्भाग के समग्र विकास के सन्दर्भ में प्रभावी रणनीति तैयार करने हेतु सम्बन्धित क्षेत्रों से सम्बन्धित शोधपत्रों का प्रस्तुतीकरण एवं विचार–विमर्श किया गया।

सेमिनार में किये गये प्रस्तुतीकरण तथा विस्तृत विचार–विमर्श के आधार पर प्रदेश के विकास से सम्बन्धित नोडल विभागों द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु मुद्दे, रणनीति, कार्ययोजना तैयार की गयी है जिनको समाहित करते हुए यह डाक्यूमेन्ट (खण्ड–1 एवं 2) तैयार किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण डाक्यूमेन्ट (खण्ड–1 एवं 2) है, जिसके आधार पर बुन्देलखण्ड सम्भाग के विकास हेतु आगामी वर्षों में दूरगामी निर्णय लिये जाने में सहायता मिलेगी।

मैं इस सेमिनार के उद्घाटन तथा संचालन सत्र एवं विभिन्न तकनीकी सत्रों में उपस्थित मा0 मंत्रीगण, बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड के मा0 पदाधिकारियों, तकनीकी सत्रों से सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों तथा अन्य मा0 जनप्रतिनिधियों को सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके सहयोग एवं अथक परिश्रम के कारण ही यह सेमिनार सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ है। इसके अतिरिक्त मैं कुलपति, बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बाँदा तथा उनकी टीम के विषय विशेषज्ञों का विशेष आभारी हूँ, जिनके निरन्तर सहयोग एवं समर्पण के द्वारा ही यह सेमिनार सम्पन्न हो सका है।

मैं मुख्य रूप से आर्थिक सलाहकार, श्री के0वी0 राजू, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार का विशेष आभारी हूँ, जिनके निरन्तर तकनीकी सहयोग एवं कुशल मार्ग निर्देशन में यह सेमिनार सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सका। इसके अतिरिक्त मैं नियोजन विभाग के विशेष सचिव, श्री आर0एन0एस0 यादव, श्री अंकित कुमार अग्रवाल, श्री अनिल कुमार यादव को उनके समर्पित भावना से दक्षतापूर्वक दायित्व निर्वहन के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्री विजय कुमार अग्रवाल, निदेशक, क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग एवं उनकी टीम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सेमिनार के सभी चरणों तथा तैयार किये गये डाक्यूमेन्ट (खण्ड–1 एवं 2) में निरन्तर किये गये परिश्रम एवं प्रतिबद्धता की मैं प्रशंसा करता हूँ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि सेमिनार के आधार पर सत्र समन्वयकों एवं विभिन्न नोडल विभागों के अथक परिश्रम से तैयार किया गया यह डाक्यूमेन्ट (खण्ड–1 एवं 2) निश्चय ही प्रदेश के विभिन्न विकास विभागों को बुन्देलखण्ड के समग्र विकास हेतु रणनीति तैयार करने में सहायक होगा।

(कुमार कमलेश)

अनुक्रमणिका

अध्याय	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या
1	बुन्देलखण्ड का सामाजार्थिक परिदृश्य	01–10
2	प्राथमिक क्षेत्र	11–40
3	जल क्षेत्र	41–70
4	सामाजिक क्षेत्र	71–94
5	विनिर्माण क्षेत्र	95–108
6	सेवा क्षेत्र	109–128
	परिशिष्ट	129–130

अध्याय-1

बुन्देलखण्ड का सामाजार्थिक परिदृश्य

सबरी झरना, चित्रकूट

बुन्देलखण्ड का सामाजार्थिक परिदृश्य

1. पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक संरचना तथा कृषि एवं जलवायु में विभिन्नता के कारण इसे चार आर्थिक सम्भागों यथा–पश्चिमी, केन्द्रीय, पूर्वी तथा बुन्देलखण्ड में विभाजित किया गया है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में झाँसी व चित्रकूटधाम मण्डल हैं। इस क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले दोनों मण्डल में सात जनपद यथा–झाँसी, ललितपुर, जालौन, बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर तथा महोबा आते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इसकी आबादी लगभग 97 लाख है। इस क्षेत्र में प्रायः पठारी भूमि है। यहाँ औसत वर्षा 60–100 से0मी0 के लगभग होती है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र को भारत में दलहन उपज का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ यमुना, बेतवा, केन, चम्बल, टौंस व सोन आदि हैं। सागौन, शीशम, चन्दन, आम और महुआ आदि प्रमुख वन सम्पदा है। उल्लेखनीय है कि बुन्देलखण्ड का प्राचीन नाम ''जेजाकमुक्ति'' है। ''बुन्देली'' इस क्षेत्र की मुख्य भाषा है। महान शासक विद्याधर चन्देल, आल्हा–उदल, महाराजा छत्रसाल, राजा भोज, झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, मैथिलीशरण गुप्त, मेजर ध्यान चन्द तथा गोस्वामी तुलसीदास आदि अनेक महान विभूतियाँ इस क्षेत्र से सम्बन्ध रखती हैं।

1.1 प्रशासनिक संरचना

प्रशासनिक दृष्टिकोण से झाँसी मण्डल में 3 जिले, 15 तहसील, 23 विकासखण्ड, 193 न्याय पंचायत, 1487 ग्राम पंचायत तथा 35 नगरीय क्षेत्र हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से इस मण्डल में 2 लोकसभा (झाँसी व जालौन) एवं 9 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। इसी प्रकार चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा में 4 जिले, 16 तहसील, 24 विकासखण्ड, 216 न्याय पंचायत, 1384 ग्राम पंचायत तथा 15 नगर पंचायत हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से इस मण्डल में 2 लोकसभा (बाँदा व हमीरपुर) एवं 10 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं।

1.2 नदियों एवं पहाड़ों का विवरण

बुन्देलखण्ड में प्रमुख नदियाँ यमुना, बेतवा, धसान, पहुॅज, जामनी, मन्दाकिनी, ओहन, गुन्ता, केन, वर्मा व चन्दावल हैं। सभी जनपदों में छोटे–बड़े अनेक नाले हैं, जो वर्षा ऋतु में बहते रहते हैं तथा ग्रीष्म ऋतु में सूख जाते हैं। बुन्देलखण्ड का उत्तरी भाग यमुना और सहायक नदियों के दोआब से बना है। वहीं पश्चिम से पूर्व की ओर का क्षेत्र विन्ध्यांचल पहाड़ियों से घिरा है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी पर्वतों पर देवी–देवताओं की मूर्तियां हैं जो पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में लाल रंग के मौरंग के पहाड़ भी स्थित हैं।

1.3 मौसम व जलवायु

बुन्देलखण्ड में माह जुलाई, अगस्त में वर्षा की सघनता सबसे अधिक रहती है। वास्तविक रूप से वर्षा किसी वर्ष बहुत अधिक तथा किसी वर्ष बहुत कम होती है। गर्मी में भीषण गर्मी तथा जाड़े में अधिक जाड़ा यहाँ की विशेषता है। कर्क रेखा से बहुत निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है।

1.4 मृदा

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के उत्तर के निचले स्तर में उपजाऊ भूमि वाले भू–भाग की अधिकांश भूमि समतल मैदानी है। जनपद ललितपुर में मुख्य रूप से राकड़ व पडुवा किस्म की मिट्टी पायी जाती है। जनपद झाँसी की मिट्टी मुख्यतः लाल व काली मिट्टी का मिश्रण है। जनपद चित्रकूट के उत्तरी व पश्चिमी भाग में काकर, राकड़, पडुवा व दोमट मिट्टी पायी जाती है।

1.5 पर्यटन

बुन्देलखण्ड में झाँसी दुर्ग, पारीछा बांध, नोटघाट, बरूआसागर दुर्ग, लक्ष्मीताल, सुकुवॉ–ढुकुवॉ बांध, पहुॅज बांध, रामघाट, कामदगिरी, जानकीकुण्ड, हनुमानधारा, देवांगना, स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी तथा अनुसुइया आश्रम इत्यादि पर्यटन के प्रमुख केन्द्र हैं।

1.6 बुन्देलखण्ड क्षेत्र की प्रमुख विकास संकेतकों में स्थिति

उत्तर प्रदेश राज्य की लगभग 12.21 प्रतिशत भूमि में बुन्देलखण्ड क्षेत्र (29417 वर्ग कि0मी0) फैला हुआ है, जिसमें 17.29 लाख परिवार निवास करते हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य के सापेक्ष मात्र 5.17 प्रतिशत है। यहाँ की कुल जनसंख्या 96.82 लाख है,

जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 24.7 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 0.80 प्रतिशत है। बुन्देलखण्ड सम्भाग में स्थित जनपदों की विभिन्न संकेतकों में स्थिति का विवरण परिशिष्ट में अंकित है।

1.7 बुन्देलखण्ड क्षेत्र की अर्थव्यवस्था

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की खण्डीय संरचना के अनुसार ''राज्य सकल घरेलू उत्पाद'' (जी0एस0डी0पी0) में प्राथमिक खण्ड का योगदान 26.1 प्रतिशत है जबकि बुन्देलखण्ड की अर्थव्यवस्था में उक्त योगदान 41.6 प्रतिशत है तथा प्रदेश के प्राथमिक खण्ड में बुन्देलखण्ड 7.8 प्रतिशत की भागीदारी करता है। अतः स्पष्ट है कि बुन्देलखण्ड की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है।

2. बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के लिये नियोजन अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–31/2018/147बी0पी0/35–1–2018–8/1(10)/2018 दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के द्वारा बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड का गठन किया गया है। इसी क्रम में नियोजन अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3/2019/16बी0पी0/35–1–2019–8/1(10)/2018 दिनांक 27 फरवरी, 2019 के द्वारा बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड में मा0 अध्यक्ष, 02 मा0 उपाध्यक्ष तथा 10 मा0 गैर सरकारी सदस्य नामित किये गये हैं। यह बोर्ड पूर्णतया परामर्शी है, जो बुन्देलखण्ड के सर्वांगींण विकास हेतु संस्तुतियां प्रदान किये जाने हेतु गठित किया गया है।

उक्त बोर्ड द्वारा बैठकें की जा रही हैं। मा0 अध्यक्ष, बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड की अध्यक्षता में झाँसी मण्डल, झाँसी में सम्पन्न बैठक में बोर्ड द्वारा बुन्देलखण्ड के विकास हेतु अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों के सम्बन्ध में 14 समितियों का गठन किया गया था। सन्दर्भित समितियों में बोर्ड के मा0 पदाधिकारीगण, सम्बन्धित विभागीय अधिकारी, विश्वविद्यालयों/शिक्षा संस्थानों के शिक्षाविद् आदि सम्मिलित हैं। इन समितियों द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सर्वांगींण विकास हेतु अपने सेक्टर से सम्बन्धित स्टेटस रिपोर्ट तैयार कर बोर्ड को उपलब्ध करायी गयी। इसी क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि उच्च स्तर पर लिये गये शासकीय निर्णय के क्रम में **बुन्देलखण्ड के सर्वांगींण विकास हेतु बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड,उ0प्र0 के तत्वावधान में बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बाँदा के सहयोग से दिनांक 10–11 जनवरी, 2020 को बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बाँदा में 02 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय सेमिनार का विषय ''बुन्देलखण्ड का विकास : मुद्दे, रणनीतियां व भावी दिशा'' था।** सन्दर्भित राष्ट्रीय सेमिनार के विविध पहलुओं के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

2.1 सेमिनार का शुभारम्भ

बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बाँदा में आयोजित दो दिवसीय ''बुन्देलखण्ड का विकासः मुद्दे, रणनीतियां व भावी दिशा'' विषयक इस राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारम्भ दिनांक 10 जनवरी, 2020 को श्री सूर्य प्रताप शाही, मा0 मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान तथा अन्य मंचस्थ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन करके किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित विशिष्ट अतिथिगणों/शिक्षाविदों की गरिमामय उपस्थिति रही :–

- श्री सूर्य प्रताप शाही, मा0 मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, उ0प्र0सरकार।
- श्री लाखन सिंह राजपूत, मा0 राज्य मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, उ0प्र0सरकार।
- श्री आर0के0 सिंह पटेल, मा0 सांसद, बाँदा।
- कुँवर मानवेन्द्र सिंह, मा0 अध्यक्ष, बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड, उ0प्र0।
- श्री अयोध्या सिंह पटेल, मा0 उपाध्यक्ष, बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड,उ0प्र0।
- श्री राजा बुन्देला, मा0 उपाध्यक्ष, बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड,उ0प्र0।
- श्री के0वी0 राजू, आर्थिक सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
- श्री कुमार कमलेश, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- डा0 मंगला राय, महानिदेशक (से0नि0), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् , नई दिल्ली।
- श्री अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग,उ0प्र0 शासन।
- श्री टी0 वेंकटेश, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- श्री गौरव दयाल, आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बाँदा।

- मा0 सदस्यगण, बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड, उ0प्र0।
- डा0 ब्रिजेन्द्र सिंह, महाप्रबन्धक, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद्, लखनऊ।
- डा0 यू0एस0 गौतम, कुलपति, बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बाँदा।
- नोडल विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारी।

उक्त क्रम में श्री कुमार कमलेश, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग द्वारा सेमिनार के विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा, उपयोगिता एवं उद्देश्य के सम्बन्ध में सभी प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। मा0 कृषि मंत्री जी ने मुख्य अतिथि के रूप में बुन्देलखण्ड क्षेत्र की सभी सम्भावनाओं पर प्रकाश डालते हुये प्रदेश सरकार द्वारा इस क्षेत्र के विकास हेतु किये जा रहे मुख्य–मुख्य कार्यों यथा–सिंचाई परियोजनाओं, मृदा स्वास्थ्य, बुन्देलखण्ड डिफेन्स कारीडोर, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे, दलहन उत्पाद, खाद्यान्न की नीतियों के बारे में अवगत कराया गया।

उक्त शुभारम्भ कार्यक्रम के अन्त में डा0 यू0एस0 गौतम, कुलपति, बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,बाँदा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया।

2.2 तकनीकी सत्र

राष्ट्रीय सेमिनार की अवधि दिनांक 10–11 जनवरी, 2020 के दौरान पाँच समानान्तर तकनीकी सत्रों यथा–प्राथमिक, विनिर्माण, सेवा, सामाजिक, जल क्षेत्र के सम्बन्ध में विशिष्ट अतिथियों/विषय विशेषज्ञों/शिक्षाविदों द्वारा प्रस्तुतीकरण/विचार–विमर्श किया गया। **इन सत्रों से सम्बन्धित विभाग, सत्र समन्वयक, उपस्थित विशिष्ट प्रतिभागियों का विवरण निम्नवत् है:–**

2.2.1 प्राथमिक क्षेत्र

''प्राथमिक क्षेत्र'' विषयक तकनीकी सत्र के अन्तर्गत इस क्षेत्र से सम्बन्धित विभागों यथा–कृषि, कृषि विपणन, कृषि निवेश, व्यापार एवं निर्यात, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, रेशम, सहकारिता, मत्स्य, पशुधन, दुग्ध विकास, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग तथा वन एवं वन्य जीव आदि को नोडल विभाग के रूप में सम्मिलित किया गया था। इस तकनीकी सत्र के मुख्य समन्वयक प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन नामित थे। **सत्र के दौरान निम्नलिखित विशिष्ट अतिथिगणों/शिक्षाविदों की गरिमामय उपस्थिति रही :–**

- श्री श्रीराम चौहान, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात, उ0प्र0सरकार।
- श्री अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 शासन।
- श्री सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- श्री बी0एल0 मीना, प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- मा0 पदाधिकारीगण, बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड, उ0प्र0।
- डा0 मंगला राय, पूर्व महानिदेशक, आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली।
- डा0 ब्रिजेन्द्र सिंह, महानिदेशक, उपकार एवं कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अयोध्या।
- डा0 जी0के0 सिंह, कुलपति, दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, मथुरा।
- डा0 एस0 सोलोमन, कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर।
- डा0 अरविंद कुमार, निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केन्द्र,वाराणसी।
- डा0 ए0के0 जोशी, निदेशक, साउथ एशिया सिमिट, काठमांडू।
- नोडल विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारी।

उक्त सत्र में प्रमुख रूप से आधुनिक कृषि तकनीकों, कृषि विविधीकरण, जलवायु परिवर्तन, कृषि उद्यम, अन्ना प्रथा, जैविक कृषि आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।

2.2.2 विनिर्माण क्षेत्र

''विनिर्माण क्षेत्र'' विषयक तकनीकी सत्र के अन्तर्गत इस क्षेत्र से सम्बन्धित विभागों यथा– अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, लोक निर्माण, ग्रामीण अभियन्त्रण, ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा, नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, पंचायती राज, पर्यावरण, भूतत्व एवं खनिकर्म तथा राजस्व आदि को नोडल विभाग के रूप में सम्मिलित किया गया था। इस तकनीकी सत्र के मुख्य समन्वयक प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास तथा प्रमुख सचिव,सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग थे। **सत्र के दौरान निम्नलिखित विशिष्ट अतिथिगणों/शिक्षाविदों की गरिमामय उपस्थिति रही :–**

- श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, मा0 राज्य मंत्री, लोक निर्माण, उ0प्र0सरकार।
- श्री नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- मा0 पदाधिकारीगण, बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड, उ0प्र0।
- श्री अनुराग यादव, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- श्रीमती सौम्या अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणाचंल विद्युत वितरण निगम, उ0प्र0।

- श्री सुनील कुमार, संयुक्त आयुक्त, ओ0डी0ओ0पी0, उ0प्र0।
- नोडल विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारी।

उक्त सत्र में प्रमुख रूप से ऊर्जा, गैर पारम्परिक ऊर्जा, औद्योगिक विकास, एक जनपद एक उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0), स्मार्ट सिटी, एक्सप्रेस वे, डिफेन्स कारीडोर एवं खनन आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।

2.2.3 सेवा क्षेत्र

''सेवा क्षेत्र'' विषयक तकनीकी सत्र के अन्तर्गत इस क्षेत्र से सम्बन्धित विभागों यथा–सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स, पर्यटन, संस्कृति, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, परिवहन, आवास एवं शहरी नियोजन, ऊर्जा तथा संस्थागत वित्त आदि को नोडल विभाग के रूप में सम्मिलित किया गया था। इस तकनीकी सत्र के मुख्य समन्वयक अपर मुख्य सचिव, गृह/सूचना तथा प्रमुख सचिव, पर्यटन/संस्कृति विभाग थे। **सत्र के दौरान निम्नलिखित विशिष्ट अतिथिगणों/शिक्षाविदों की गरिमामय उपस्थिति रही :–**

- श्री जितेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- मा0 पदाधिकारीगण, बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड, उ0प्र0।
- श्री शिव पाल सिंह, विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- प्रो0 सुनील काबिया, निदेशक, पर्यटन एवं होटल मैनेजमेंट।
- श्री राम प्रताप सिंह, चंबल सफारी।
- नोडल विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारी।

उक्त सत्र में प्रमुख रूप से बुन्देलखण्ड में पर्यटन की सम्भावनाओं, पर्यटन एवं सांस्कृतिक नीति, सड़क, रेल एवं हवाई सम्पर्क तथा बुन्देलखण्ड की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।

2.2.4 सामाजिक क्षेत्र

''सामाजिक क्षेत्र'' विषयक तकनीकी सत्र के अन्तर्गत इस क्षेत्र से सम्बन्धित विभागों यथा–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, समाज कल्याण, महिला कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग आदि को नोडल विभाग के रूप में सम्मिलित किया गया था। इस तकनीकी सत्र के मुख्य समन्वयक प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग थे। **सत्र के दौरान निम्नलिखित विशिष्ट अतिथिगणों/शिक्षाविदों की गरिमामय उपस्थिति रही :–**

- श्रीमती कमला रानी वरूण, मा0 मंत्री, प्राविधिक शिक्षा, उ0 प्र0 सरकार।
- डा0 गिर्राज सिंह धर्मेश, मा0 राज्य मंत्री, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, उ0प्र0सरकार।
- डा0 देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- मा0 पदाधिकारीगण, बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड, उ0प्र0।
- श्री शत्रुघन सिंह, निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0।
- श्री जान एन्थनी, यू0पी0टी0एस0यू0।
- नोडल विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारी।

उक्त सत्र में प्रमुख रूप से स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास के मापदण्ड, बुन्देलखण्ड में खाद्य सुरक्षा का स्तर, समग्र ग्राम्य विकास, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, बेसिक, माध्यमिक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।

2.2.5 जल क्षेत्र

''जल क्षेत्र'' विषयक तकनीकी सत्र के अन्तर्गत इस क्षेत्र से सम्बन्धित विभागों यथा–सिंचाई एवं जल संसाधन, ग्राम्य विकास तथा नगर विकास विभाग आदि को नोडल विभाग के रूप में सम्मिलित किया गया था। **सत्र के दौरान निम्नलिखित विशिष्ट अतिथिगणों/शिक्षाविदों की गरिमामय उपस्थिति रही :–**

- डा0 महेन्द्र सिंह, मा0 मंत्री, जल शक्ति विभाग, उ0प्र0 सरकार।

- श्री टी0 वेंकटेश, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0शासन।
- श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग,उ0प्र0 शासन।
- मा0 पदाधिकारीगण, बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड, उ0प्र0।
- श्री उमाकान्त उमराव, सचिव, मध्य प्रदेश सरकार।
- श्री योगेश कुमार, अपर निदेशक, मनरेगा, उ0प्र0।
- श्री इज्शब्राण्ड डी0 जान, जल विशेषज्ञ, विश्व बैंक।
- श्री अनिल सिन्हा, वरिष्ठ सलाहकार, वाटर रिसोर्स ग्रुप–2030।
- नोडल विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारी।

उक्त तकनीकी सत्र के मुख्य समन्वयक प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग थे। सन्दर्भित सत्र में प्रमुख रूप से बुन्देलखण्ड में जल की उपलब्धता, संचयन एवं जल उपयोग की सम्भावनायें व रणनीति, केन–बेतवा लिंक परियोजना, कृत्रिम वर्षा, कमान्ड एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम, मनरेगा के माध्यम से नदियों का पुनरूद्धार, भूमि जल व सतही जल की उपयोगिता, तालाबों का निर्माण, पेयजल की उपलब्धता तथा कृषि जल सुरक्षा के अतिरिक्त आधुनिक उपकरणों के माध्यम से जल विकास आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।

2.3 सेमिनार का समापन

सन्दर्भित राष्ट्रीय सेमिनार का समापन दिनांक 11 जनवरी, 2020 को मुख्य अतिथि के रूप में डा0 महेन्द्र सिंह, मा0 मंत्री, जलशक्ति विभाग द्वारा किया गया। समापन सत्र के दौरान श्री कुमार कमलेश, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग द्वारा दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार की प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी उपस्थित प्रतिभागियों को दी गयी। तत्पश्चात् संचालित तकनीकी सत्रों में विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण के आधार पर प्रत्येक सेक्टर की प्रमुख समस्याओं, सम्भावनाओं व भविष्य की रणनीतियों के सम्बन्ध में संक्षिप्त स्थिति से सम्बन्धित तकनीकी सत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया। **इस समापन कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित विशिष्ट अतिथिगणों / शिक्षाविदों की गरिमामय उपस्थिति रही** :–

- डा0 महेन्द्र सिंह, मा0 मंत्री, जल शक्ति विभाग, उ0प्र0 सरकार।
- श्रीमती कमला रानी वरूण, मा0 मंत्री, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 सरकार।
- कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, मा0 सांसद, हमीरपुर।
- कुँवर मानवेन्द्र सिंह, मा0 अध्यक्ष, बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड, उ0प्र0।
- श्री अयोध्या सिंह पटेल, मा0 उपाध्यक्ष, बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड, उ0प्र0।
- श्री राजा बुन्देला, मा0 उपाध्यक्ष, बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड,उ0प्र0।
- श्री के0वी0 राजू , आर्थिक सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
- श्री कुमार कमलेश, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- श्री टी0 वेंकटेश, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
- डा0 देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
- श्री जितेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- मा0 सदस्यगण, बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड, उ0प्र0।
- नोडल विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारी।

उक्त समापन सत्र के मुख्य अतिथि डा0 महेन्द्र सिंह, मा0 मंत्री, जलशक्ति विभाग द्वारा इस क्षेत्र के विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में बुन्देलखण्ड में सार्थक परिवर्तन परिलक्षित होगा। साथ ही मा0 मंत्री जी द्वारा इस राष्ट्रीय सेमिनार को बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास हेतु प्रदेश सरकार का एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए नियोजन विभाग द्वारा बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बाँदा के सहयोग से आयोजित किये गये इस कार्यक्रम की भूरि–भूरि प्रशंसा की गयी तथा राष्ट्रीय सेमिनार को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने हेतु सभी सहयोगियों की सराहना भी की गयी।

इसके उपरान्त डा0 यू0एस0 गौतम, कुलपति, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बाँदा के द्वारा सभी मंचस्थ अतिथियों को शाल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सत्र के अन्त में धन्यवाद ज्ञापन व राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

3. सेमिनार रिपोर्ट

सेमिनार के तकनीकी सत्रों से सम्बन्धित मुख्य समन्वयकों/नोडल विभागों द्वारा तैयार किये गये सत्रवार अध्यायों तथा उपलब्ध कराये गये शोध पत्रों के आधार पर सेमिनार से सम्बन्धित रिपोर्ट (खण्ड–1 एवं 2) तैयार की गयी है। सन्दर्भित रिपोर्ट के इस खण्ड–1 के अध्याय–2 से अध्याय–6 में तकनीकी सत्रवार स्थिति वर्णित की गयी है जिसमें उस क्षेत्र से सम्बन्धित मुद्दे, रणनीति, कार्य योजना आदि का विवरण दिया गया है। रिपोर्ट के खण्ड–2 में सेमिनार में प्रस्तुत किये गये शोध पत्रों को संकलित किया गया है।

राष्ट्रीय सेमिनार
विकास बोर्ड, नियोजन

राष्ट्रीय सेमिनार
बुन्देलखण्ड का विकास
इशूज, रणनीति एवं भावी दिशा
आयोजक
बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड
नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

अध्याय–2

प्राथमिक क्षेत्र

राष्ट्रीय सेमिनार
बुन्देलखण्ड का विकास : इश्यूज, रणनीति एवं भावी दिशा
आयोजक : बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

राष्ट्रीय सेमिनार

प्राथमिक क्षेत्र

1. पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 12.21 प्रतिशत बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जबकि प्रदेश की मात्र 4.96 प्रतिशत जनसंख्या बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निवास करती है। इस क्षेत्र का कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल 20.91 लाख हेक्टेयर है, जिसमें प्रमुखतया राकर, मार, काबर तथा पड़वा मिट्टी पायी जाती है। यहाँ की भूमि पथरीली एवं ढालू है तथा सिंचाई मुख्य रूप से वर्षा पर आधारित है। बुन्देलखण्ड में खरीफ की खेती दक्षिण–पश्चिम मानसून की सक्रियता पर निर्भर रहती है, जो मध्य जून से सितम्बर माह तक सक्रिय रहता है। इस क्षेत्र में अल्प विकास के प्रमुख कारण निम्नवत् हैं :–

- जल का अभाव इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। इसका मुख्य कारण वर्षा में कमी, वर्षा वितरण का अनियमित होना, भिन्न–भिन्न मृदा परिस्थितियाँ, तापमान परिवर्तन आदि हैं। इस कारण प्रदेश हेतु संस्तुत कृषि तकनीक इस क्षेत्र में प्रभावी नहीं हो पाती है। जल के अभाव के दृष्टिगत खरीफ मौसम में कृषि फसलों के अन्तर्गत आच्छादन रबी की तुलना में आधा ही रह जाता है तथा वर्ष के आधे से अधिक समय कृषि योग्य भूमि खाली रह जाती है। बुन्देलखण्ड से मिलती जुलती परिस्थितियाँ इजराइल देश की हैं किन्तु वहां पर कृषि में जल अभाव का कोई संकट नहीं है।
- बुन्देलखण्ड की विषम परिस्थितियों के कारण खरीफ की औसत उत्पादकता प्रदेश में संगत औसत उत्पादकता से कम है। विशेष रूप से बुन्देलखण्ड के कृषक खरीफ मौसम में अपने पालतू जानवरों को खुला छोड़ देते है, जिसके परिणामस्वरूप खरीफ की फसलों को क्षति पहुंचती है। इस कारण से भी कृषकों द्वारा खरीफ मौसम में फसलों की बुवाई में कम रूचि ली जाती है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पशुओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। कृषकों द्वारा पशुओं की कम उत्पादन वाली स्थानीय एवं गैर चिन्हित नस्लों का पालन किया जा रहा है जो 02 वर्ष में केवल 1 ब्यांत तक सीमित रह जाते हैं तथा मादा पशुओं की शुष्क अवधि बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर ट्रैक्टर के प्रचलन ने नर पशुओं की उपयोगिता को अत्यधिक कम कर दिया है। अतः अन्ना पशुओं की संख्या एक समस्या के रूप में बढती जा रही है।
- इस क्षेत्र में कृषि उत्पादकता कम होने के साथ विविधीकरण भी अत्यन्त सीमित है। कृषि आधारित उद्योग धंधे न होने के कारण युवा वर्ग का पलायन अधिक है व सकल आय प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम है।

उक्त समस्याओं के दृष्टिगत बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ''प्राथमिक क्षेत्र'' के सर्वांगींण विकास से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नवत् हैं :–

- ✓ बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खरीफ आच्छादन की स्थिति कम होना एवं फसल सघनता में वृद्धि के अवसर।
- ✓ कम वर्षा एवं सिंचाई हेतु जल के उचित प्रबन्धन का अभाव।
- ✓ अन्ना प्रथा एवं पशुओं की हीन दशा।
- ✓ उत्तम कृषि तकनीकों का वर्तमान कृषि पद्धति में समावेश (विविधीकरण)।
- ✓ बुन्देलखण्ड क्षेत्र की मृदाओं की विशेषता तथा इनके अनुसार फार्मिंग सिस्टम मॉड्यूल का अभाव।

उक्त मुद्दों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य, रणनीति एवं कार्य योजना का विवरण निम्नवत् अंकित है:–

2. प्रमुख मुद्दे,रणनीतियॉ एवं कार्य योजना

2.1 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खरीफ आच्छादन की स्थिति कम होना एवं फसल सघनता में वृद्धि के अवसर

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में फसलों के आच्छादन की स्थिति निम्न तालिका में दी गयी है:–

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में फसलों के आच्छादन की स्थिति (लाख हे0 में)

क्र0 सं0	जनपद	भौगोलिक क्षेत्रफल	कृषि अन्तर्गत क्षेत्रफल	खरीफ क्षेत्राच्छादन				रबी क्षेत्राच्छादन			
				खरीफ–2018		खरीफ–2019		रबी 2018–19		रबी 2019–20	
				आच्छादन	प्रतिशत	आच्छादन	प्रतिशत	आच्छादन	प्रतिशत	आच्छादन	प्रतिशत
1	झाँसी	5.01	3.32	1.91	21.61	1.94	21.23	3.96	20.43	3.25	17.42
2	ललितपुर	5.10	3.01	2.34	26.47	2.31	25.27	2.92	15.07	2.91	15.59
3	जालौन	4.54	3.47	0.90	10.18	0.99	10.83	3.22	16.62	3.28	17.58
योग (झाँसी मण्डल)		**14.65**	**9.80**	**5.15**	**58. 26**	**5.24**	**57.33**	**10.10**	**52.12**	**9.44**	**50.59**
4	बाँदा	4.39	3.48	1.16	13.12	1.30	14.22	2.92	15.07	3.01	16.13
5	चित्रकूट	3.41	1.74	0.58	6.56	0.62	6.79	1.29	6.65	1.24	6.65
6	हमीरपुर	3.90	2.99	0.91	10.29	0.98	10.72	2.44	12.59	2.55	13.66
7	महोबा	3.26	2.36	1.04	11.77	1.00	10.94	2.63	13.57	2.42	12.97
योग (चित्रकूटधाम मण्डल)		**14.96**	**10.57**	**3.69**	**41.74**	**3.90**	**42.67**	**9.28**	**47.88**	**9.22**	**49.41**
योग (बुन्देलखण्ड)		**29.61**	**20.37**	**8.84**	**100**	**9.14**	**100**	**19.38**	**100**	**18.66**	**100**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रबी फसलों के अन्तर्गत आच्छादन लगभग 19 लाख हेक्टेयर रहा है जबकि खरीफ फसलों में आच्छादन लगभग 9 लाख हेक्टेयर रहा है। अतः निश्चित ही खरीफ मौसम में आधे से अधिक कृषि योग्य क्षेत्रफल खाली पड़ा रहता है। फलस्वरूप विभिन्न फसलों के अन्तर्गत इस क्षेत्रफल को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त क्रम में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत औद्यानिक फसलों की स्थिति का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:–

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में औद्यानिक फसलों के आच्छादन की स्थिति (हजार हे0 में)

क्र0 सं0	जनपद	सब्जी वाली फसल का आच्छादन	फलों के अन्तर्गत आच्छादन	योग – समस्त औद्यानिक फसलों के अन्तर्गत आच्छादन
1	झाँसी	0.511	0.589	1.100
2	ललितपुर	0.223	1.115	1.338
3	जालौन	0.197	0.202	0.399
योग (झाँसी मण्डल)		**0.931**	**1.906**	**2.837**
4	बाँदा	0.339	0.67	1.009
5	चित्रकूट	0.431	0.402	0.833
6	हमीरपुर	0.363	0.286	0.649
7	महोबा	0.038	0.231	0.269
योग (चित्रकूटधाम मण्डल)		**1.171**	**1.589**	**2.760**
योग (बुन्देलखण्ड)		**2.102**	**3.495**	**5.597**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि औद्यानिक फसलों का आच्छादन अत्यधिक कम है जबकि इस क्षेत्र में औद्यानिकी की पर्याप्त सम्भावनायें हैं।

2.1.1 रणनीति

- खरीफ मौसम में कम अवधि वाली फसलों का चयन।
- चयनित फसलों का विभिन्न जनपदों के चयनित प्रक्षेत्र पर प्रदर्शन।
- औद्यानिक फसलों एवं औषधीय तथा सगंध पौध द्वारा विविधीकरण।
- खरीफ मौसम की फसलों की मेड़ पर बुआई को प्रचलित करना।
- खरीफ मौसम में चारा फसलों का प्रदर्शन एवं क्षेत्रफल में वृद्धि।
- पूर्व वर्षों में बुन्देलखण्ड के बाँदा, महोबा एवं चित्रकूट जनपदों में मृदा उपयुक्तता के आधार पर कपास की खेती किये जाने के आलोक में खरीफ मौसम में कपास की खेती को प्रोत्साहित किया जाना।
- खरीफ फसल मौसम में आलू तथा शकरकन्द का बीज उत्पादन।

2.1.2 कार्य योजना

- जनपदवार खरीफ फसलों का चयन

क0सं0	जनपद का नाम	फसल
1	झाँसी	उर्द, मूंग, तिल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन।
2	ललितपुर	उर्द, मूंग, तिल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन।
3	जालौन	उर्द, मूंग, तिल, ज्वार, बाजरा, कपास।
4	बाँदा	उर्द, मूंग, तिल, ज्वार, बाजरा, अरहर, कपास, कोदो एवं काकुन।
5	चित्रकूट	ज्वार, बाजरा, कोदो, उर्द, मूंग, अरहर, कपास एवं तिल।
6	हमीरपुर	ज्वार, बाजरा, उर्द, मूंग, तिल, कोदो एवं काकुन।
7	महोबा	ज्वार, बाजरा, उर्द, मूंग, अरहर, तिल, कपास एवं सोयाबीन।

- स्थानीय जनपदवार बीज उत्पादन हेतु सीड हब की स्थापना।
- कृषि निवेश की उपलब्धता समय पूर्व सुनिश्चित कराना।
- निवेश वितरकों को तकनीकी प्रशिक्षण अनिवार्य कराना।
- फसलों के अन्तर्गत क्षेत्राच्छादन के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष सब्जी उत्पादन/बागवानी विकास/चारा उत्पादन के अन्तर्गत क्षेत्राच्छादन में वृद्धि कराना।

2.2 कम वर्षा एवं सिंचाई हेतु जल का अभाव

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विगत वर्षों में जनपदवार वर्षा की स्थिति निम्न तालिका में दी गयी है:–

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विगत वर्षों में जनपदवार वर्षा की स्थिति (मिमी0 में)

क्र0 सं0	जनपद	सामान्य वर्षा	वर्ष 2016–17		वर्ष 2017–18		वर्ष 2018–19		वर्ष 2019–20	
			वास्तविक वर्षा	प्रतिशत वर्षा	वास्तविक वर्षा	प्रतिशत वर्षा	वास्तविक वर्षा	प्रतिशत वर्षा	वास्तविक वर्षा	प्रतिशत वर्षा
1	झाँसी	797	610.00	77.00	471.30	53.60	798.10	90.80	705.31	82.91
2	ललितपुर	797	874.00	110.00	671.50	76.30	850.00	96.60	909.10	106.86
3	जालौन	705	672.00	95.00	355.20	45.20	638.60	81.20	674.66	89.52
झाँसी मण्डल		**766**	**719.00**	**94.00**	**499.33**	**58.37**	**762.23**	**89.53**	**763.02**	**93.10**
4	बाँदा	851	1172.0	138.00	555.10	58.70	786.50	83.20	1056.6	115.90
5	चित्रकूट	850	963.00	113.00	829.30	88.20	858.00	91.30	851.75	93.43
6	हमीरपुर	769	899.00	117.00	366.40	43.10	845.70	99.40	1007.0	122.75
7	महोबा	769	785.00	102.00	444.10	52.20	337.20	39.60	573.20	69.87
चित्रकूटधाम मण्डल		**810**	**955.00**	**118.00**	**548.73**	**60.55**	**706.85**	**78.38**	**872.14**	**100.49**
बुन्देलखण्ड क्षेत्र		**791**	**854.00**	**108.00**	**524.03**	**59.46**	**734.54**	**83.95**	**817.58**	**96.79**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में वर्तमान में औसत वर्षा लगभग 800 मि0मी0 आ रही है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1960–70 के दशक में वार्षिक सामान्य वर्षा 1000 मि0मी0 रही है। अतः विगत दशकों की तुलना में औसत वार्षिक वर्षा में कमी परिलक्षित हो रही है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में जल के अभाव के निम्न कारक उभरकर आये हैं:–

- वार्षिक वर्षा का वितरण अनियमित होने से कई क्षेत्र गम्भीर सूखे तथा कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति हो जाती है। इन्हीं परिस्थितियों के दृष्टिगत बुन्देलखण्ड सेमी एरिड मोइस्ट से सेमी एरिड ड्राई क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है।
- जल की कमी विषयक परिस्थितियों में कृषि रसायनों, उर्वरकों के प्रयोग से विषाक्तयुक्त उत्पाद होना।
- बुन्देलखण्ड के पुराने स्थायी जलाशयों की क्षमता में कमी।
- प्राकृतिक जल स्रोतों का नष्ट होना।

उक्त क्रम में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विभिन्न साधनों से सिंचाई की स्थिति निम्नवत् है:–

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई की वर्तमान स्थिति

क्र0 सं0	जनपद	सिंचाई के साधन के आधार पर सिंचित क्षेत्रफल (लाख हे0 में)					
		नहर	राजकीय नलकूप	निजी नलकूप	अन्य स्रोत	कुल सिंचित क्षेत्रफल	प्रतिशत सिंचित क्षेत्रफल
1	झाँसी	1.21	0.04	0.33	1.02	2.60	**76**
2	ललितपुर	0.96	0.00	0.74	0.81	2.52	**83**
3	जालौन	1.57	0.20	0.59	0.13	2.48	**70**
योग (झाँसी मण्डल)		**3.74**	**0.24**	**1.66**	**1.96**	**7.60**	**76**
4	बाँदा	0.45	0.16	0.83	0.13	1.58	**45**
5	चित्रकूट	0.05	0.00	0.59	0.11	0.74	**43**
6	हमीरपुर	0.27	0.20	0.79	0.13	1.37	**47**
7	महोबा	0.25	0.00	0.05	0.51	0.82	**34**
योग (चित्रकूटधाम मण्डल)		**1.02**	**0.36**	**2.26**	**0.88**	**4.51**	**43**
योग (बुन्देलखण्ड)		**4.76**	**0.60**	**3.92**	**2.84**	**12.11**	**59**

उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि जहां एक ओर वार्षिक वर्षा में कमी आती जा रही है वहीं सिंचाई के संसाधन भी सीमित बने हुए हैं। इन परिस्थितियों में औद्यानिक फसलों विशेषकर शुष्क बागवानी फसलों का समावेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

उ0प्र0 रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर के सर्वे के आधार पर इस क्षेत्र के विभिन्न जनपदों के अन्तर्गत जल क्षेत्रों (वाटर बाडीज) की सूचना उपलब्ध कराई गई जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:–

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न जनपदों के अन्तर्गत जल क्षेत्रों (वाटर बाडीज) की स्थिति

क्र0 सं0	जनपद	जल क्षेत्र (वाटर बाडीज) की संख्या	कुल क्षेत्रफल (हे0 में) वर्ष 2017	कुल क्षेत्रफल (हे0 में) वर्ष 2018
1	झाँसी	30	1915.28	989.14
2	ललितपुर	61	41738.73	14222.69
3	हमीरपुर	05	2785.88	1792.30
4	महोबा	34	2765.58	2298.33
5	बाँदा	04	327.94	267.84
6	चित्रकूट	21	1558.86	736.41
	योग	**155**	**51092.27**	**20306.71**

उक्त तालिका में अंकित विवरण के अनुसार जनपद ललितपुर में 61 जल क्षेत्र (अधिकतम) तथा जनपद बाँदा में 04 जल क्षेत्र (न्यूनतम) पाये गये हैं। उल्लेखनीय है कि इन जल क्षेत्रों का क्षेत्रफल एक वर्ष में घटकर लगभग आधे से भी कम रह गया है। अतः इन परिस्थितियों में समस्त जल क्षेत्रों के रिचार्ज हेतु अधिकाधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। उक्त क्रम में प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जनपदों का सेटेलाइट मैप निम्न प्रकार है:–

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों का सेटेलाइट मैप

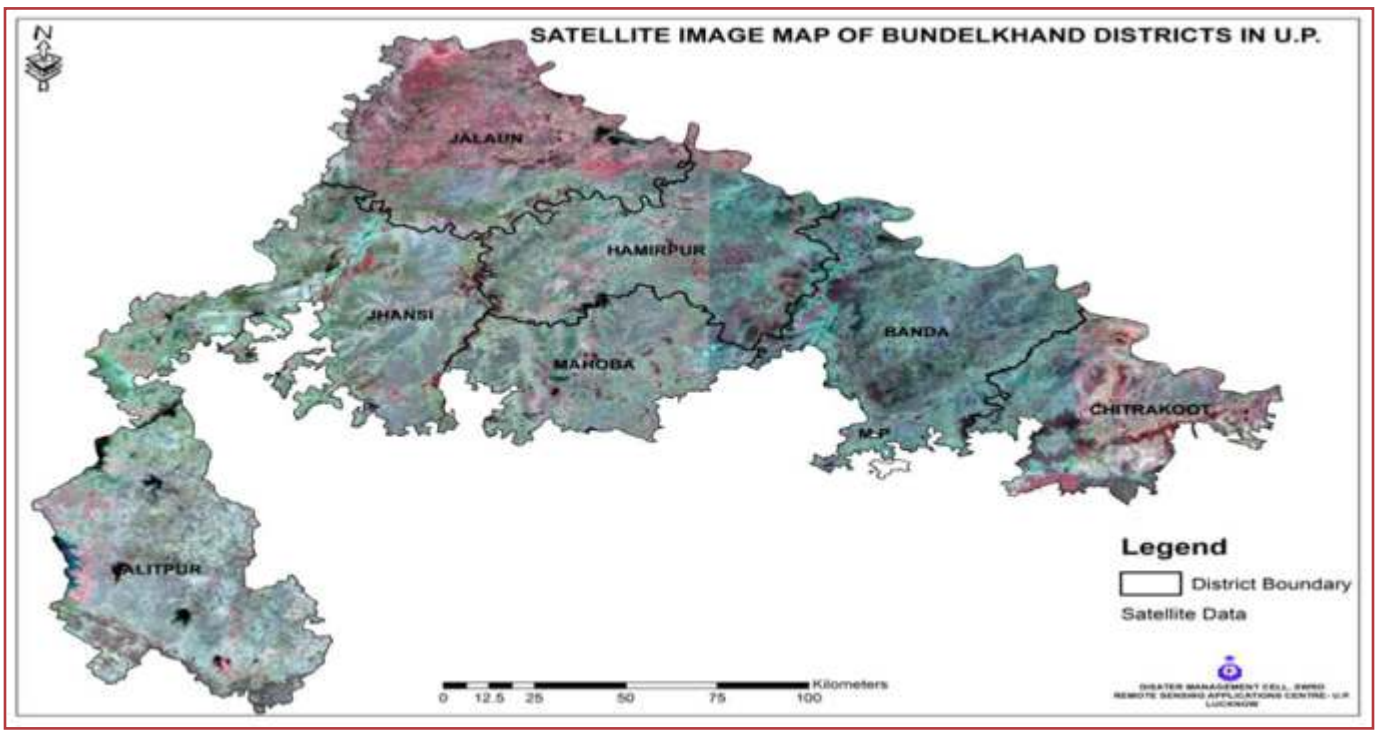

उपर्युक्त मैप से यह उभरकर आ रहा है कि सर्वाधिक जल स्तर की समस्या जनपद जालौन एवं चित्रकूट में है। संदर्भित विषय में अक्टूबर,17 से फरवरी,18 के मध्य जनपद झाँसी में जल क्षेत्रों के अनुश्रवण से सम्बन्धित मैप निम्नवत् हैः–

जनपद झाँसी में जल क्षेत्रों के अनुश्रवण से सम्बन्धित मैप (अक्टूबर,17–फरवरी,18)

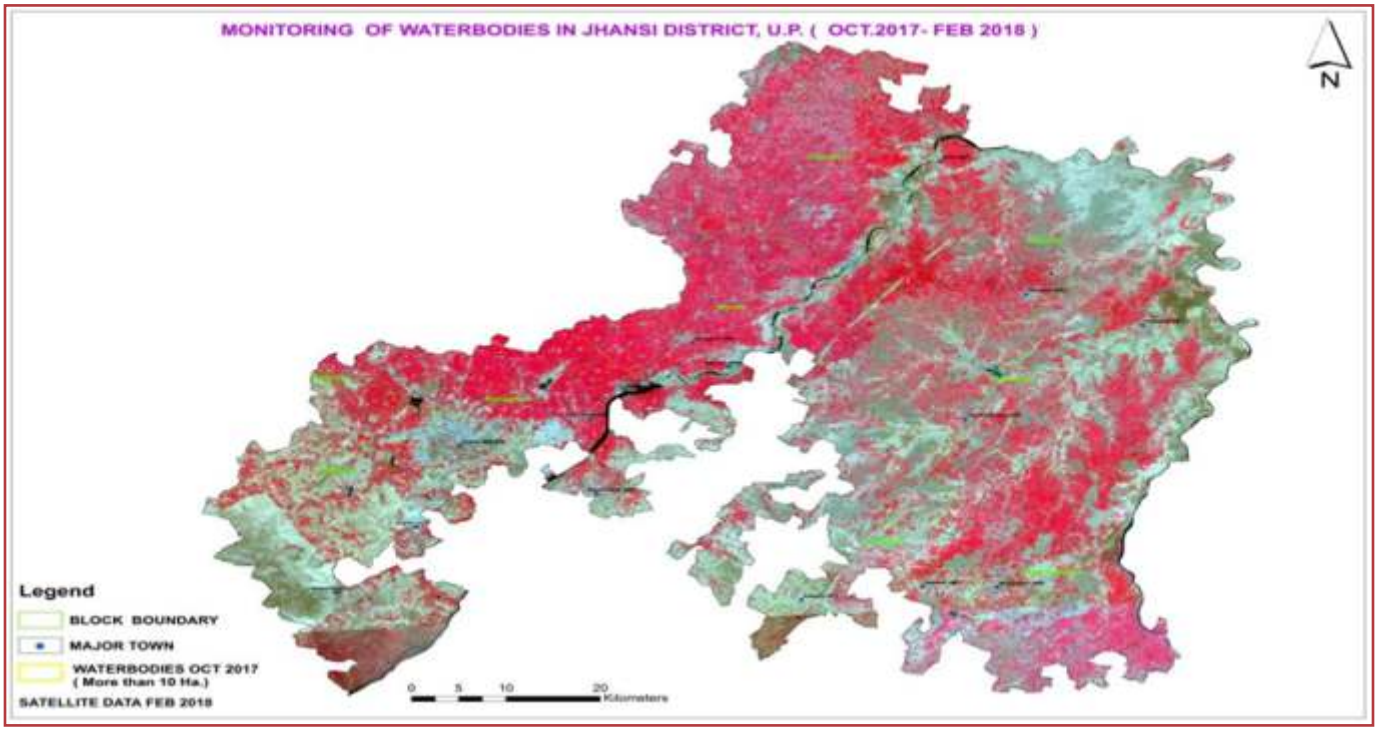

उक्त रिमोट सेन्सिग तकनीक के माध्यम से प्राप्त सर्वेक्षण मैप के आधार पर जल क्षेत्र की स्थिति अत्यधिक चिन्ताजनक प्रतीत हो रही है। इस क्रम में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में हाई डिस्चार्ज स्थलों की स्थिति निम्न तालिका में अंकित हैः–

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में हाई डिस्चार्ज स्थलों की सूची

क0सं0	ग्राम	विकासखण्ड	जनपद	डिस्चार्ज (एल0पी0एम0)
1	अरथरा	बबेरू	बाँदा	400
2	कटरावल	बड़ोखर खुर्द		300
3	अन्डेला	बिरधा	ललितपुर	300
4	खितवंश			300
5	पटुवा			350
6	सरूमहल	मन्डवारा		400
7	करितोरन	बार		325
8	सुमेरपुर	सुमेरपुर	हमीरपुर	700
9	कुरारा	कुरारा		800

क्र0सं0	ग्राम	विकासखण्ड	जनपद	डिस्चार्ज (एल0पी0एम0)
10	मवई बुजुर्ग	मऊरानीपुर	झाँसी	400
11	रूपाधन्मा			400
12	गरौठा	गरौठा		500
13	पहरी	पहरी	चित्रकूट	300
14	सोनपुर			300
15	महुआ इटौरा	पनवारी	महोबा	200
16	डिडौरा			250
17	बमहौरी	जैधपुर		300
18	तोलासोयम	चरखारी		200

उक्त क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि कृषि विभाग द्वारा संचालित ''खेत तालाब योजना'' बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषकों के मध्य बहुत लोकप्रिय रही है। इस योजना के माध्यम से वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज के साथ ही सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था के फलस्वरूप फसलों के आच्छादन एवं उत्पादन में वृद्धि हुयी है। कृषि विभाग द्वारा इस योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में 2000 खेत तालाब एवं वर्ष 2017–18 में 2449 खेत तालाब निर्मित कराये गये हैं। इसके साथ ही स्थानीय कृषकों द्वारा इस योजना के विस्तार किये जाने की मांग के दृष्टिगत वर्ष 2018–19 में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 5000 खेत तालाब निर्मित कराये गये हैं।

2.2.1 रणनीति

- वर्षा जल का अधिकतम संचय।
- कम जल मांग वाली फसलों व प्रजातियों का समावेश।
- कृषि विविधीकरण के अन्तर्गत औद्यानिक फसलों यथा–बेर, बेल, कैथा, बडहल, करौंदा, सहजन, ड्रेगनफ्रूट आदि औषधीय फसलों यथा– तुलसी, अश्वगंधा, सर्पगन्धा, ऐलोवेरा आदि का वर्तमान कृषि प्रणाली में समावेश।
- बाढ़ सिंचाई को पूर्ण रूप से रोकते हुए ड्रिप सिंचाई के उपयोग को बढ़ावा।
- ज्वार, बाजरा, साँवा, तिल, कोदो/काकुन तथा सोयाबीन फसलों के आच्छादन में वृद्धि।
- खेत तालाब योजना की उपयोगिता के दृष्टिगत बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ऐसे कृषक, जिनके पास एक से अधिक स्थान पर खेत है अथवा बहुत बड़ा भूखण्ड है, एक से अधिक खेत तालाब बनाने की सुविधा अनुमन्य किया जाना।
- ड्रेगनफ्रूट तथा चिरौंजी के वृक्षों का पथरीली भूमि पर रोपण।
- जैविक कृषि/प्राकृतिक कृषि, मानकीकरण एवं प्रसार।
- कृषि वानिकी के अन्तर्गत उपयुक्त वन पौधों का कृषि में समन्वयन।
- बाँदा, हमीरपुर तथा झाँसी जनपदों में चेकडैम का निर्माण कराते हुए वाटर डिस्चार्ज की स्थिति को संतुलित करना।
- खेत तालाब योजना के लाभार्थी कृषकों को स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली सुविधा का लाभ प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जाना।
- प्रत्येक खेत तालाब की जियो टैगिंग के साथ तालाबों का आर्थिक उपयोग मत्स्य पालन व वृक्षारोपण हेतु कराया जाना।
- बुन्देलखण्ड एवं इजरायल की भू–स्थैतिक परिस्थितियों तथा जल स्रोत के सम्बन्ध में एक अध्ययन के अनुसार बुन्देलखण्ड क्षेत्र एवं इजराइल देश की प्रमुख संकेतकों के आधार पर तुलनात्मक स्थिति का विवरण निम्न तालिका में है:–

संकेतक	बुन्देलखण्ड	इजरायल
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (लाख हे0)	29.60	20.77
कुल जनसंख्या (लाख में)	82.32	67.25
कृषि योग्य भूमि (लाख हे0)	20.58 (69.52 %)	3.92 (18.9%)
सिंचित क्षेत्रफल (लाख हे0)	13.7 (66%)	3.92 (100%)
सूक्ष्म सिंचाई के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल (लाख हे0)	1.20 (5%)	3.88 (99%)
वर्षा (मिमी)	791	500
वर्षा वितरण/समय चक्र	85% औसत वर्षा (जून–सितम्बर के मध्य)	70% औसत वर्षा (नवम्बर–मार्च के मध्य)
कृषि प्रणाली	व्यक्तिगत	सामूहिक

उक्त तालिका में अंकित विवरण से निम्न बिन्दु उभरकर आये हैं:–

- ✓ स्थलीय विशेषताओं के मामले में बुन्देलखण्ड एवं इजरायल में काफी समानताए हैं। खेती हेतु प्रयुक्त होने वाली जमींने ढालू, ऊबड़–खाबड़, असमतल प्रकार की हैं।
- ✓ बुन्देलखण्ड एवं इजरायल दोनों ही सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं।
- ✓ इजरायल के सूखा प्रभावित होने के उपरान्त भी यहाँ सब्जियॉ, आलू, तरबूज, खरबूजा एवं अनाज आदि विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती की जाती है, जबकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विशेष रूप से दलहनी, तिलहनी फसलों की खेती की जा रही है।
- ✓ इजरायल में प्रक्षेत्र प्रबन्धन का तरीका सामुदायिक है, जिसे ''किबुत्ज'' कहा जाता है। इसके अन्तर्गत गांव में कृषक मिल कर खेती का कार्य करते हैं।
- ✓ इजरायल में सिंचाई कार्य पचास प्रतिशत से अधिक यंत्रीकृत है।

उपरोक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष उभरकर आया है कि बुन्देलखण्ड में सिंचाई प्रबंधन हेतु सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के साथ फसल विविधीकरण किया जाना अत्यधिक आवश्यक है।

2.2.2 कार्य योजना

- **फसलों का चयन**

✓ **औषधीय एवं सगंध पौध**

- नीबू घास (Cymbopogon flexuosus)
- पामारोजा (Cymbopogon martini)
- वेटीवर (Crysopogon zizanoides)
- तुलसी (Ocimum spp.)
- रोजा घास (Cymbopogon spp.)
- अश्वगंधा (Withania somnifera)
- सतावर (Asparagus racemosus)
- कालमेघ (Andographis paniculata)

✓ शुष्क औद्यानिकी के फल पौध

बेर, आंवला, बेल, कैथा, बड़हल, करौंदा, सहजन, इमली, शरीफा, ड्रेगन फ्रूट

✓ कदन्नों (कोदो/काकुन) की खेती

बुन्देलखण्ड में कदन्नों फसलों की खेती पूर्व में काफी प्रचलित रही है एवं यहाँ की मृदीय एवं जलवायु की परिस्थितियॉ इनकी खेती के लिए उपयुक्त हैं। अतः बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों में कोदो एवं काकुन जैसी कदन्नों फसलों के द्वारा अधिकतम क्षेत्राच्छादन किया जाना होगा। इसके माध्यम से कम अवधि में अत्यधिक पोषक फसलों का उत्पादन प्राप्त होगा। इस उत्पादन के आधार पर मूल्य संवर्धन इकाइयों को स्थापित करके रोजगार व आय में वृद्धि की जा सकेगी।

● औषधियों की खेती को प्रोत्साहन

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में औषधीय एवं सगंध पौध कृषक की आय में वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में निम्नानुसार डिस्टिलेशन यूनिट स्थापित हैंः–

क्र0 सं0	जनपद	ग्राम	जी0पी0एस0 कोआर्डीनेट
1	हमीरपुर	मौदहा, बमरोली, गहोली, पटखुरी, रेहुन्ता	Lat. 25.68537578, Long. 80.15442414, Alt. 58
2	बाँदा	सिंहपुर, नारी, दतौली, बहेड़ी, पंदुयी	Lat. 25.615, Long. 80.616, Alt. 51
3	चित्रकूट	अरछा वरेटी, कलवलिया	Lat. 25.41291935, Long. 80.99382755, Alt. 46
4	महोबा	मघलवारा	Lat. 24.25771890, Long. 80.05939076, Alt. 252
5	जालौन	इंटो	Lat. 25.28872017, Long. 80.27391777, Alt. 77

अतः उक्त डिस्टिलेशन यूनिट का उपयोग करते हुए इन जनपदों में सम्बन्धित औषधियों की खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

● कृषि वानिकी

कृषि वानिकी हेतु उपयुक्त वृक्ष/फल/पौध का विवरण निम्न तालिका में दिया गया हैंः–

क्र0सं0	स्थल/प्रकृति	वृक्ष/फल/पौध का विवरण
1	सजीव फेंसिंग	करौंदा, कुमत, महंदी, भोज्य कैक्टस
2	कृषि–औद्यानिकी	बेल, बेर, आंवला, नीबू, शरीफा
3	कृषि–वानिकी	यूकोलिप्टस, बबूल, नीम, टीक, बांस, महुआ
4	मेड़ पर	अर्दू, बैंबू कैथा, जंगल जलेबी, टीक, खजूर

उक्त विवरण के अनुसार बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों के न्यूनतम एक–एक विकासखण्ड को चयनित कर इसे प्रारम्भिक रूप में अपनाया जाना चाहिए।

2.3 बुन्देलखण्ड क्षेत्र की मृदाओं की विशेषता तथा इनके अनुसार कृषि प्रणाली मॉड्यूल का अभाव

बुन्देलखण्ड में प्रमुखतया चार प्रकार की भूमि यथा– राकर, मार, काबर एवं पड़वा पायी जाती है। प्रत्येक भूमि के भौतिक एवं रासायनिक गुण पृथक होते हैं तथा फसल विशेष के लिए उपयुक्त होती हैं। अतः कृषि विकास एवं विशिष्ट फार्मिंग सिस्टम मॉड्यूल से सम्बन्धित योजना बनाते समय भूमि के प्रकार एवं उपयुक्त फसलों का चयन किया जाना आवश्यक है। बुन्देलखण्ड में जनपदवार भूमि के प्रकार का विवरण निम्नवत् हैः–

बुन्देलखण्ड में जनपदवार भूमि के प्रकार (लाख हे0)

क्र0 सं0	जनपद / मण्डल	भूमि का प्रकार				
		राकर	मार	काबर*	पड़वा	योग
1	झाँसी	0.46	0.78	0.45	1.54	3.23
2	ललितपुर	1.14	0.12	0.22	1.47	2.94
3	जालौन	0.48	0.68	1.18	1.14	3.48
योग (झाँसी मण्डल)		**2.08**	**1.58**	**1.85**	**4.15**	**9.65**
4	बाँदा	0.65	0.78	0.63	1.42	3.48
5	चित्रकूट	0.34	0.11	0.88	0.41	1.74
6	हमीरपुर	0.22	0.21	1.22	1.34	2.99
7	महोबा	0.14	0.13	1.19	0.90	2.36
योग (चित्रकूटधाम मण्डल)		**1.35**	**1.23**	**3.92**	**4.07**	**10.57**
योग (बुन्देलखण्ड क्षेत्र)		**3.43**	**2.81**	**5.77**	**8.22**	**20.22**

***काबर मृदा में वर्षा जल जमाव की स्थिति में शस्य क्रिया करने में कठिनाई होती है।**

- ### राकर मृदायें

  यह मृदा हल्की सफेद व कुछ पीलापन लिये हुए होती है। यह बलुई एवं कंकरीड़ी होती है। इस प्रकार की भूमि में जल धारण क्षमता कम होती है तथा भू–क्षरण अधिक होता है। इस मृदा का पी0एच0 8–8.5 के बीच होता है। यह मृदा दलहनी फसलों, ज्वार, बाजरा, तिल एवं आलू व कंद वाली फसलों की खेती के लिये उपयुक्त होती है।

- ### मार मृदायें

  यह मृदा गहरे काले रंग की होती है। इनमें चिकनी मिट्टी की मात्रा अधिक पायी जाती है, जिसके कारण इनमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। इसमें पोटाश की प्रचुरता होती है। इस मृदा का पी0एच0 7.5 से 8.5 तक पाया जाता है। यह मृदा गेंहूँ, चना, धान, सरसों एवं प्याज की खेती के लिये उपयुक्त है। ये मृदायें मुख्य रूप से जिला जालौन की कोंच तहसील, जिला हमीरपुर की मौदहा एवं राठ तहसील, जिला झाँसी की मऊरानीपुर एवं मोंठ तहसील, चित्रकूट की कर्वी तहसील एवं जिला बाँदा की बाँदा तहसील में पायी जाती है।

- ### काबर मृदायें

  यह भी काले भूरे रंग की होती है, जिसमें कार्बनिक जीवांश व फास्फोरस एवं पोटाश प्रचुर मात्रा में होता है। इस मृदा का पी0एच0 7.5 से 8.2 के बीच होता है। जल निकास की व्यवस्था से सभी प्रकार की फसलों की खेती के लिए उपयुक्त है। यह मृदा जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट एवं महोबा में अधिक पायी जाती है।

- ### पड़वा मृदायें

  यह लाल मृदाओं का एक प्रकार है, जो हल्के भूरे पीले रंग की होती है। इन मृदाओं में बालू की मात्रा अधिक एवं कुछ अंश क्ले का होता है। इनमें आवश्यक पोषक तत्वों का अभाव होता है। यह ज्वार, बाजरा एवं गेंहूँ की फसल के लिए उपयुक्त है।

2.3.1 रणनीति

- बुन्देलखण्ड की मृदा आधारित चारों फार्मिंग सिचुएशन हेतु कृषि प्रणाली पर शोध एवं विकास।
- आई.सी.ए.आर. द्वारा शुष्क कृषि के सम्बन्ध में संस्तुत कृषि प्रणाली का मानकीकरण, परीक्षण एवं क्षेत्र विशेष हेतु संस्तुतीकरण।
- प्रत्येक गांव में कम से कम एक एकीकृत फसल प्रणाली मॉडल को विकसित किया जाये जिनमें संसाधनों के अनुरूप मत्स्य पालन, मशरूम उत्पादन, मुर्गी पालन व बतख पालन को समाहित किया जाये।

- विकास खण्ड स्तर पर इन्टरप्रन्यौर विकसित करते हुए औद्यानिक फसलों हेतु नर्सरी की स्थापना।
- कृषि उत्पादों के विपणन को सुलभ बनाये जाने हेतु विकास खण्ड स्तर पर गोदाम तथा बाजार की व्यवस्था।
- जैविक उत्पादों हेतु पृथक से बाजार की व्यवस्था।
- प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र पर क्षेत्र विशेष हेतु उपयुक्त कृषि प्रणाली के मॉडल की स्थापना।
- जैविक कृषि को बढावा दिये जाने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम 100 हे0 का जैविक क्लस्टर विकसित किया जाना।

2.3.2 कार्य योजना

- जल संसाधनों के टिकाऊपन एवं पुनर्जीवन हेतु सतही जल संरक्षण तथा भूमि के भीतर के पानी के रिचार्ज हेतु विकसित तकनीक का मानकीकरण।
- दलहन एवं तिलहन फसलों के बीज उत्पादन तकनीक द्वारा क्षमता विकास एवं अतिरिक्त सीड हब की स्थापना।
- कन्जर्वेशन एग्रीकल्चर की परीक्षित तकनीकों के उपयोग से उत्पादन लागत में कमी।
- कृषि में संलग्न युवाओं एवं महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के क्रम में प्रशिक्षण हेतु इंक्यूबेशन सेन्टर की स्थापना।
- आधुनिक हैचरी, प्रसंस्करण एवं बाजारीकरण सुविधाओं की उपलब्धता।
- विभिन्न कृषि उत्पादों यथा– चिरौंजी, माइनर मिलेट इत्यादि को भौगोलिक उत्कृष्टता के आधार पर भौगोलिक संकेतकों के अन्तर्गत पंजीयन।
- परम्परागत बाढ सिंचाई के स्थान पर फरों विधि, बैड प्लांटिंग, रेज्ड बैड फरो इरीगेशन के रूप में परिवर्तित करने से क्रमशः 40 प्रतिशत, 50 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत जल की बचत होती है तथा 20 से 25 प्रतिशत उत्पादन अधिक प्राप्त होता है।
- राई एवं सरसों तथा औद्यानिकी फसलों में मधुमक्खी पालन के सम्बन्ध में लगभग 50 से 100बक्से/हे0 उपयोग करने से 15 से 20 प्रतिशत तक उत्पादन वृद्धि तथा मक्खियों एवं शहद के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। अतः तिलहनी फसलों एवं बगीचों में मधुमक्खी के बक्से सम्मिलित किये जायेंगे।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद झाँसी, ललितपुर, महोबा, जालौन एवं हमीरपुर हेतु निम्न कृषि प्रणाली मॉडल पर विचार करना :–

जनपद ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, जालौन एवं झाँसी हेतु कृषि प्रणाली मॉडल

माड्यूल/माडल्स	माड्यूल/माडल्स का विवरण	कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत अंश
फसल प्रणाली	गेहूँ, जौ, बाजरा, उड़द, मूंग, काबुली चना, अरहर, मटर, मसूर, सरसों, मूंगफली, तिल, अलसी, बरसीम, जई, हाइब्रिड नेपियर, चारा ज्वार, गिनी ग्रास, सुबबूल।	54
डेरी	एक गाय + एक भैंस	10
बकरी पालन	जमुनापारी अथवा बरबरी (20+1)	5
मुर्गी पालन	वनराजा, गिरीराजा, ग्रामप्रिया (20)	1
भेड़ पालन	एक झुंड	2
उद्यान	आंवला, अमरूद, बेर, बेल, पपीता, शरीफा, नीबू	20
वर्मी कम्पोस्ट यूनिट	कचरे का पुनर्चक्रण और विक्रय	2
कृषि वानिकी	बहुउद्देशीय पेड़	4
मशरूम	सीप	2

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद बाँदा एवं चित्रकूट हेतु निम्न कृषि प्रणाली मॉडल पर विचार करना

जनपद बाँदा एवं चित्रकूट हेतु कृषि प्रणाली माडल

माड्यूल/माडल्स	माड्यूल/माडल्स का विवरण	कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत अंश
फसल	गेहूँ, जौ, बाजरा, उड़द, मूंग, काबुली चना, अरहर, मसूर, सरसों, मूँगफली, तिल, अलसी, हाइब्रिड नेपियर, चारा ज्वार, गिनी ग्रास, सुबबूल।	56
डेरी	एक गाय + एक भैंस	10
बकरी पालन	जमुनापारी (20+1)	5
मुर्गी पालन	वनराजा, गिरीराजा, ग्रामप्रिया (20)	1
कृषि– औद्यानिकी प्रणाली	ऑवला, अमरुद, बेर, बेल, पपीता, शरीफा, नींबू प्रजाति, दलहन एवं तिलहन	20
वर्मी कम्पोस्ट यूनिट	कचरे का पुनर्चक्रण और विक्रय	2
कृषि वानिकी	शीशम, बबूल, नीम, महुआ, पलाश	4
मशरूम	बहुउद्देशीय पेड़	2

2.4 उत्तम कृषि तकनीकों का वर्तमान कृषि पद्धति में समावेश (विविधीकरण)

वर्तमान में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में उत्तम कृषि तकनीक के अभाव में निम्न समस्यायें आ रही हैं:–

- मृदा में जैविक कार्बन की कमी।
- अधिकतर फसलों में कम उत्पादन वाली स्थानीय प्रजातियों का प्रचलन।
- कटाई उपरान्त प्रबन्धन एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का अभाव।
- कृषि प्रक्षेत्र का समतल न होना।
- विभिन्न फसलों की बुआई छिटकवा विधि से किया जाना।

बुन्देलखण्ड में बड़ी मात्रा में कृषि एवं पशु अवशेष प्रति वर्ष प्राप्त होते हैं। एक अध्ययन के अनुसार जनपदवार अवशेषों का विवरण निम्नवत् है :–

बुन्देलखण्ड में फसल अवशेष व पशु अवशेष उत्पादन का विवरण

क्र0 सं0	जनपद	कृषि अवशेष उत्पादन (मी0 टन/वर्ष)	पशु अवशेष उत्पादन (मी0 टन/वर्ष)
1.	झाँसी	838780.48	7652.55
2.	ललितपुर	557941.94	8577.5
3.	जालौन	707344.81	6540.61
4.	हमीरपुर	501681.89	6124.49
5.	महोबा	151254 .00	4601.76
6.	बाँदा	357582.91	8908.56
7.	चित्रकूट	259255.86	7179.62
योग		**3373841.89**	**49585.09**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि अत्यधिक मात्रा में कृषि एवं पशु अवशेष उपलब्ध हैं किन्तु इसका उपयोग कम्पोस्ट तथा जैविक ऊर्जा बनाने में नहीं हो पा रहा है।

2.4.1 रणनीति

- जनपदवार क्षेत्र–विशेष हेतु उपयुक्त कृषि तकनीक का समन्वयन।
- कृषि परिस्थिति आधारित कृषि यन्त्रों को सुलभ कराया जाना।
- प्रत्येक जनपद की आवश्यकतानुसार उपयुक्त फसल एवं प्रजाति का चयन।
- औद्यानिक फसलों एवं औषधीय तथा सगंध पौधों के प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध कराया जाना।
- औषधीय एवं सगंध पौधों के विपणन की सुविधा।
- दलहनी फसलों के प्रसंस्करण हेतु पोर्टेबुल प्रोसेसर की उपलब्धता।

2.4.2 कार्य योजना

जनपद स्तरीय कार्य योजना

जनपद	वर्तमान पद्धति	सुधार हेतु प्रस्तावित कार्य योजना
झाँसी	· छिटकवा विधि से बुवाई। · केवल एक फसल गेहूं का उत्पादन। · दीमक की समस्या · बाढ़ सिंचाई।	· पंक्ति में बुवाई। · मेड़ पर अधिकतम बुआई। · मूंगफली तथा स्माल मिलट द्वारा खरीफ मौसम में एवं चना तथा जई द्वारा रबी फसल में फसल विविधीकरण।
ललितपुर		
जालौन	· लम्बी अवधि वाली अरहर का मात्र घरेलू उपयोग हेतु उत्पादन। · अधिक लाभ हेतु रबी मौसम में पिपरमिन्ट की खेती। · खरीफ में कद्दू की खेती। · मोथा की समस्या।	· अरहर की मध्यम अवधि वाली प्रजातियों का प्रसार। · बहुकटाई वाली ज्वार फसल एवं मूंगफली की खेती को बढ़ावा देना। · सब्जी एवं मटर बीज उत्पादन।
हमीरपुर	· एक फसली प्रणाली। · बाढ़ सिंचाई।	· बहुकटाई वाली ज्वार फसल एवं मूंगफली की खेती को बढ़ावा देना। · ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दिया जाना।
बाँदा	· उक्ठा तथा जड़ सड़न बीमारियों की अधिकता। · फसल विविधता।	· अरहर की मध्यम अवधि वाली प्रजातियों का प्रसार। · बहुकटाई वाली ज्वार फसल एवं मूंगफली की खेती को बढ़ावा देना।

जनपद	वर्तमान पद्धति	सुधार हेतु प्रस्तावित कार्य योजना
महोबा	· अधिक जल मांग वाली सब्जियों, फल एवं गन्ना उत्पादन।	· मटर, सरसों, अरहर एवं ज्वार की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों का समागम। · ड्रिप सिंचाई को प्रोत्साहन देना।
चित्रकूट	· वर्तमान में ज्वार, मिलेट, अरहर, चना, गेहूं, सरसों, मसूर तथा सब्जियों की खेती की जा रही है। · बाढ़ सिंचाई पद्धति। · चना में उक्ठा रोग की समस्या। · फली बेधक कीट का प्रकोप।	· चना में रोगरोधी उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों का प्रसार। · मध्यम अवधि वाली अरहर फसल प्रजाति को प्रोत्साहन देना। · अरहर, ज्वार एवं अन्य फसल अवशेषों का कम्पोस्टिंग में उपयोग।

2.5 कृषि उपज का लाभकारी मूल्य

कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को प्रोत्साहन देने के लिए कृषकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त होना अति आवश्यक है। इस हेतु सरकार द्वारा किसानों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करने के साथ–साथ उपज के विक्रय हेतु मण्डियों की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त कृषकों हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार की व्यवस्था भी विकसित की जा रही है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषकों को कृषि उपज के लाभकारी मूल्य मिलने में निम्न समस्यायें उभरकर आई हैं :–

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र की अन्य सम्भागों की तुलना में विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत कृषि उपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित न किया जाना।
- किसानों की संख्या की तुलना में जनपदों में खोले जाने वाले खरीद केन्द्रों की संख्या बहुत कम होना।
- इस क्षेत्र के जनपद जालौन व झाँसी में हरी मटर, सब्जियॉ, जनपद महोबा में मूंगफली एवं अन्य जनपदों में तिलहन–दलहन की नगदी फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है किन्तु इनके उचित भण्डारण सुविधाओं के अभाव के कारण कृषकों को अपने उत्पाद को कम कीमत पर बेचने के लिए विवश होना पड़ रहा है।
- कृषि विपणन में मानकीकरण एवं ग्रेडिंग की कमी।
- अधिकतर कृषकों को विपणन के विषय में अद्यतन जानकारियॉ न होना।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कतिपय वर्षों में सूखा/अतिवृष्टि/ओलावृष्टि से ग्रस्त रहने के कारण फसलों के आकार एवं गुणवत्ता में कमी आ जाती है।
- कृषकों द्वारा मण्डी में उपज को बिना साफ–सफाई/छनाई के बाजार में विक्रय हेतु लाने पर खराब गुणवत्ता के नाम पर उनके उपज के मूल्य में कटौती हो जाना।

2.5.1 रणनीति

- भारत सरकार के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी0ए0सी0पी0) की तरह बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन कर क्षेत्रीय परिस्थितियों के क्रम में कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कराना।
- किसान उत्पादक संगठनों का गठन।
- किसानों को उनकी उपज को साफ–सफाई/छनाई करके बाजार में विक्रय हेतु लाने के लिए जागरूक करना।
- राष्ट्रीय कृषि बाजार जैसे इलेक्ट्रानिक पोर्टल पर आधारित बाजार के माध्यम से उपज के विक्रय, डिजिटल पेमेन्ट तथा आनलाइन विक्रय आदि की बारीकियों से कृषकों को प्रशिक्षित किया जाना।

- जनपद ललितपुर में पचास हजार मी0टन क्षमता का गोदाम बनाया जाना।
- जनपद जालौन में राज्य भण्डारागार निगम, उ0प्र0 द्वारा पचास हजार मी0टन क्षमता का गोदाम बनाया जाना।
- जनपद झाँसी में स्थित राज्य भण्डारागार निगम, उ0प्र0 के गोदाम की क्षमता 7359.00 मी0 टन से बढ़ाकर पचास हजार करना।
- जनपद हमीरपुर में 40 हजार मी0टन क्षमता का गोदाम बनाया जाना।
- जनपद महोबा में विशिष्ट मण्डी स्थल सूपा में राज्य भण्डारागार निगम, उ0प्र0 की पाँच हजार मी0 टन क्षमता के प्रस्तावित गोदाम के निर्माण को शीघ्र पूर्ण कराना।
- जनपद चित्रकूट में राइस मिल स्थापित करने हेतु प्रयास करना।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु विशेष प्रयास करना।

2.6 कृषि सम्वर्गीय क्षेत्र (पशुधन , मत्स्य, दुग्ध, वन आदि) की स्थिति

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि सम्वर्गीय क्षेत्रों यथा–पशुधन,मत्स्य, दुग्ध, वन आदि के सम्बन्ध में स्थिति, समस्यायें, रणनीति एवं कार्य योजना का विवरण निम्नवत् हैः–

- **अन्ना प्रथा एवं पशुओं की हीन दशा**

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषकों द्वारा पशुओं की कम उत्पादन की स्थानीय एवं गैर चिन्हित नस्लों का पालन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि स्वदेशी/अवर्णित गोवंश के नर का उपयोग कृषि के कार्य में किये जाने की प्रदेश में विद्यमान पद्धति लगभग लुप्त हो गयी है। विदेशी नस्ल के नर का उपयोग कृषि कार्य में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनमें डील न होने के साथ–साथ उनके जीनोम में कृषि जैसे मेहनती कार्य के गुण उपलब्ध नहीं होते हैं। वर्तमान में अनुपयोगी होते जा रहे इन नर गोवंश को पशु स्वामी छुट्टा छोड़ देते हैं। इसके साथ ही साथ ये गोवंश छुट्टा पशुओं में अनियंत्रित पशु प्रजनन द्वारा अनुपयोगी नर व मादा गोवंश की उत्पत्ति करने में सहायक हैं जो आगे चल कर छुट्टा पशुओं की संख्या में बढ़ोत्तरी करते हैं। इस क्रम में 20 वीं पशुगणना (वर्ष 2020) के आंकड़ों की स्थिति निम्न तालिका में दी गयी हैं:–

पशुओं की 20वीं गणना (वर्ष–2020)

क0सं0	जनपद	भेड़	शूकर	बकरी	गाय	गाय संकर	गाय देशी	भैंस
1	बाँदा	0.10	0.05	2.81	2.55	0.06	2.50	4.24
2	चित्रकूट	0.20	0.04	1.76	2.68	0.05	2.63	2.52
3	हमीरपुर	0.13	0.03	2.99	1.41	0.06	1.35	2.39
4	जालौन	0.25	0.04	3.23	2.04	0.20	1.84	3.58
5	झाँसी	0.42	0.04	2.60	2.27	0.09	2.18	3.07
6	ललितपुर	0.05	0.01	1.81	3.65	0.12	3.50	2.89
7	महोबा	0.14	0.05	2.06	1.39	0.02	1.37	1.38
योग (बुन्देलखण्ड)		**1.29**	**0.26**	**17.26**	**15.99**	**0.60**	**15.37**	**20.07**
योग (उत्तर प्रदेश)		**9.85**	**4.09**	**144.80**	**190.20**	**61.23**	**128.97**	**330.17**
राज्य में प्रतिशत अंश		**13.10**	**6.36**	**11.92**	**8.41**	**0.98**	**11.92**	**6.08**

उक्त तालिका से उभरकर आ रहा है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मात्र एक प्रतिशत से भी कम उच्च नस्ल की गाय तथा 12 प्रतिशत देशी नस्ल की गायें हैं। अतः अधिकतर गोवंश पशुओं का अलाभकारी एवं अचिन्हित नस्ल का होना एक विचारणीय विषय है। इसके दृष्टिगत् संदर्भित विषय में उभरकर आ रही मुख्य–मुख्य समस्यायें निम्नवत् हैः–

- अन्ना पशुओं की बढती संख्या।
- अधिकतर पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता अत्यंत कम होना।
- नॉन डिस्क्रिप्ट पशु नस्लों की बहुलता।
- पशु इकाइयों जैसे मुर्गी पालन, शूकर पालन, मत्स्य पालन आदि का अभाव।
- उपयुक्त प्रजाति के सीमेन द्वारा नस्ल सुधार के उचित कार्यक्रमों की आवश्यकता।
- वर्ष भर हरे चारे की उपलब्धता के दृष्टिगत् चारा उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना।
- प्राकृतिक जलाशयों में मछली पालन का समन्वयन।
- बुन्देलखण्ड में बकरी पालन व भेड़ पालन कार्य वैज्ञानिक ढंग से नहीं किया जा रहा है जबकि बुन्देलखण्ड की जलवायु बकरी पालन और भेड़ पालन हेतु सर्वथा उपयुक्त है।

उक्त क्रम में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पशु स्वास्थ्य के सम्बन्ध में स्थिति निम्न तालिका में दी गयी हैः–

पशु स्वास्थ्य के सम्बन्ध में विभागीय संस्थायें

मण्डल	जनपद	पशु चिकित्सालय	पशु प्रसार केन्द्र	पशु स्वास्थ्य केन्द्र (डी श्रेणी)	रोग जॉच प्रयोगशाला
झाँसी	झाँसी	22	16	3	1
	जालौन	20	35	6	1
	ललितपुर	19	25	7	1
	योग (झाँसी मण्डल)	**61**	**76**	**16**	**3**
चित्रकूटधाम मण्डल	चित्रकूट	15	15	1	1
	बाँदा	22	18	5	1
	हमीरपुर	19	21	4	1
	महोबा	15	10	2	1
	योग (चित्रकूटधाम मण्डल)	**71**	**64**	**12**	**4**
योग (बुन्देलखण्ड क्षेत्र)		**132**	**140**	**28**	**7**

उक्त तालिका से उभरकर आ रहा है कि जनपद चित्रकूट एवं महोबा में पशु चिकित्सालय/पशु प्रसार केन्द्र/पशु स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या कम है। उल्लेखनीय है कि पशु चिकित्सालय एवं पशु औषधि केन्द्रों की कमी एवं पशुपालकों की उक्त संस्थाओं में पहुंच की कमी भी पशुओं में संक्रामक रोगों की वृद्वि तथा इन रोगों के कारण पशुओं की मौत का कारण बन रही है जिससे पशुपालकों को अत्यधिक आर्थिक क्षति हो रही है। इस क्रम में पशुओं हेतु चारे के उत्पादन की स्थिति का विवरण सम्भागवार निम्नवत् हैः–

पशुओं हेतु चारे के उत्पादन की स्थिति का सम्भागवार विवरण

सम्भाग	चारा क्षेत्र (हजार हे0)	हरा चारा उत्पादन (लाख मी0टन)	उत्पादकता (मी0टन प्रति हे0)	चारा उत्पादन का क्षेत्र (प्रतिशत में)
पश्चिमी	600.48	273.96	45.62	78.30
केन्द्रीय	76.02	36.55	48.08	9.91
बुन्देलखण्ड	10.03	4.63	46.16	1.31
पूर्वी	80.36	39.26	48.86	10.48
योग	**766.89**	**354.40**	**46.21**	**100.00**

उक्त तालिका से उभरकर आ रहा है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मात्र 1.31 प्रतिशत क्षेत्र में चारा उत्पादन किया जा रहा है जो चारों सम्भागों में सबसे कम है। संदर्भित क्रम में पशुओं हेतु चारे की उपलब्धता एवं आवश्यकता का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:–

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पशुओं हेतु चारे की आवश्यकता तथा उपलब्धता की स्थिति

क्र0 सं0	पशु का प्रकार	कुल आवश्यकता (लाख मी0टन)			कुल उपलब्धता (लाख मी0टन)			कुल कमी (लाख मी0टन)		
		हरा चारा	शुष्क चारा	संकेन्द्रित आहार (कन्सन्ट्रेट)	हरा चारा	शुष्क चारा	संकेन्द्रित आहार (कन्सन्ट्रेट)	हरा चारा	शुष्क चारा	संकेन्द्रित आहार (कन्सन्ट्रेट)
1	गाय	**132.25**	**68.51**	**35.11**	**14.56**	**30.07**	**4.87**	**117.69**	**38.44**	**30.24**
2	भैंस									
3	बकरी									
4	भेड़									
कमी का प्रतिशत		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**89%**	**56%**	**86%**

उक्त तालिका से उभरकर आ रहा है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आवश्यकता के सापेक्ष हरे चारे की लगभग 89 प्रतिशत, शुष्क चारे की लगभग 56 प्रतिशत तथा संकेन्द्रित आहार की लगभग 86 प्रतिशत की कमी है। उल्लेखनीय है कि बुन्देलखण्ड के पशुओं के लिए पर्याप्त, पौष्टिक एवं संतुलित पशु आहार उपलब्ध नहीं है। इसका मुख्य कारण पशु पोषाहार की अल्पता के साथ–साथ कृषकों के चारा उगाने व खिलाने के ज्ञान में कमी है।

● दुग्ध विकास

बुन्देलखण्ड के पशुपालक पशुओं को दुग्ध पालन के दृष्टिकोण से ही पालते हैं किन्तु निम्न स्तरीय एवं अवर्णित गोवंशीय पशुओं के कारण दुग्ध उत्पादन अलाभदायक व्यवसाय प्रतीत हो रहा है। इस क्षेत्र में दुग्ध विकास सेक्टर के अन्तर्गत निम्न समस्यायें उभरकर आई हैं :–

- ✓ क्षेत्र में उच्च वंशानुगत देशी व गोवंशीय नर पशुओं की कमी होना।
- ✓ अधिकांश लोगों की आजीविका का आधार कृषि होने के कारण चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि शेष न रहना।
- ✓ पशुओं के अन्य दुग्ध उत्पादों यथा–घी, पनीर, छेना, खोया आदि का उपयोग न करना।

- ✓ पशुओं को वर्ष भर हरा चारा उपलब्ध न करा पाना।
- ✓ पशुओं में होने वाले संक्रामक रोगों हेतु पर्याप्त उपचार व्यवस्था की कमी।

● मुर्गी पालन

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अण्डा उत्पादन करने वाली मुर्गियॉ सबसे कम चित्रकूट में तथा सबसे अधिक झाँसी में हैं। इसी प्रकार महोबा एवं जालौन में मुर्गी पालन कम पाया गया है। इस क्षेत्र में कुक्कुट विकास योजना का संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:–

कुक्कुट विकास योजना

क्र0सं0	विवरण	कामर्शियल लेयर फार्मिंग	कामर्शियल लेयर फार्मिंग	ब्रायलर पैरेन्ट फार्मिंग
1	पक्षियों की संख्या (प्रति इकाई)	30000	10000	10000
2	यूनिट लागत (रू0 लाख में)	180.00	70.00	206.50
3	बैंक ऋण (यूनिट लागत का 70%)	126.0	49.00	145.00
4	मार्जिन मनी (यूनिट लागत का 30%)	54.00	21.00	61.50
5	अधिकतम 5 वर्षों के लिये ब्याज भुगतान	40.00	13.33	45.00
6	रोजगार सृजन प्रति इकाई	60	20	1500
7	कुल अंडा उत्पादन/कुल चूजा उत्पादन (प्रति वर्ष)	90 लाख अंडे @ 300 अंडा प्रति पक्षी	30 लाख अंडे @ 300 अंडा प्रति पक्षी	162 लाख चूजे
8	औसत आय (प्रति यूनिट प्रति वर्ष) (रू0 लाख में)	32.00	9.00	50.00

● मत्स्य पालन

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में नदियाँ, नहरें, प्राकृतिक तालाब एवं कुछ जलभराव वाले क्षेत्रों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :–

क्र0सं0	संसाधन	इकाई	झाँसी मण्डल	चित्रकूटधाम मण्डल	योग	वर्तमान उत्पादकता	क्षमता	अन्तराल
1	नदियाँ	कि0मी0	691.75	457.25	1149.00	200 कि0ग्रा0/कि0मी0	500 कि0ग्रा0/कि0मी0	300 कि0ग्रा0/कि0मी0
2	नहर	कि0मी0	4291.00	122.03	4413.03	25 कि0ग्रा/कि0मी0	125 कि0ग्रा0/कि0मी0	100 कि0ग्रा0/कि0मी0
3	रिजर्वायर्स	हे0	38791.00	15970.12	54761.12	80 कि0ग्रा0/हे0	400 कि0ग्रा0/हे0	320 कि0ग्रा0/हे 0
4	तालाब	हे0	2031.56	4858.03	6889.59	3000 कि0ग्रा0/हे0	10000 कि0ग्रा0/हे0	7000 कि0ग्रा0/हे0

उक्त तालिका में अंकित आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र के दोनों ही मण्डलों में मत्स्य पालन की व्यापक सम्भावनायें हैं। उल्लेखनीय है कि झाँसी मण्डल में वाटर रिजर्वायर तथा चित्रकूटधाम मण्डल में तालाबों में मत्स्य पालन की सर्वाधिक सम्भावनायें हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मत्स्य पालन में आ रही प्रमुख समस्यायें निम्नवत् है:–

- ✓ बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जल संसाधनों में मत्स्य उत्पादन की क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना।
- ✓ सामुदायिक तालाबों में अतिक्रमण, भारी कार्बनिक भार, तालाब में पानी वांछित स्तर से कम होना।
- ✓ गुणवत्ता वाले इनपुट यथा– मछली बीज, तैयार चारा, खाद आदि की अपर्याप्त उपलब्धता।
- ✓ मत्स्य पालकों में तकनीकी ज्ञान का अभाव।
- ✓ निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज हैचरियों की कमी।
- ✓ जलाशयों में सिल्टिंग/जल धारण क्षमता में कमी।
- ✓ राजकीय मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र प्रक्षेत्रों में संसाधनों की कमी एवं उनमें अतिक्रमण।

● वन

प्रदेश के आर्थिक सम्भागों में ''वन के अन्तर्गत क्षेत्रफल का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल से प्रतिशत'' का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:–

सम्भाग	मान (प्रतिशत में)	रैंक
पश्चिमी सम्भाग	4.82	चतुर्थ
केन्द्रीय सम्भाग	5.40	तृतीय
बुन्देलखण्ड सम्भाग	8.24	द्वितीय
पूर्वी सम्भाग	9.04	प्रथम
उत्तर प्रदेश	6.86	–

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र का संगत प्रतिशत प्रदेश की तुलना में अधिक है किन्तु राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33 प्रतिशत की तुलना में अत्यधिक कम है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जनपद बाँदा (1.18 प्रतिशत) तथा जनपद महोबा (4.93 प्रतिशत) में यह मान कम है। उल्लेखनीय है कि इस भू–भाग में बेल, आंवला, बहेड़ा, गिलोय, शरीफा, बेर, चिरौजी, बबूल के गोंद का उत्पादन होता है। वन उत्पादों के माध्यम से टिम्बर, फर्नीचर, औषधि, कागज खिलौने, माचिस इत्यादि उद्योगों हेतु कच्चा माल प्रदान करने में यह क्षेत्र सहायक है। इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड क्षेत्र के वनों में वनस्पतियों की विविध प्रजाति यथा–नीम, शीशम, तेन्दू, महुआ, बहेड़ा आदि पाई जाती हैं। वन्य प्राणियों के रूप में बन्दर, लंगूर, भेड़िया, चिंकारा, जंगली सूअर, मोर, राज गिद्ध, अजगर आदि भी वन क्षेत्रों में पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त रानीपुर वन्य जीव बिहार बाँदा जिले में स्थित है तथा सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ईको–टूरिज्म की बृहद् सम्भावनायें हैं।

उक्त सेमिनार में प्रस्तुतीकरण के दौरान मत्स्य पालन को कृषि के विभिन्न अवयवों यथा–फसल, पशुपालन, उद्यान, वानिकी इत्यादि के साथ समेकित करते हुए विभिन्न मॉडल पर विस्तृत चर्चा हुई तथा सर्वोपयुक्त मॉडल मुर्गीपालन के साथ मत्स्य पालन को चिन्हित किया गया, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं:–

- यह सर्वथा उपयुक्त मॉडल सिद्ध होने के कारण अधिकतर कृषि जलवायु क्षेत्रों में प्रचलित है।
- मुर्गी विछावन हेतु पुआल एवं अन्य फसल अवशेष का छः से आठ सेमी0 मोटी पर्त काफी होती है अतः ये समस्त वस्तुऐं कृषि प्रक्षेत्र से ही उपलब्ध हो जाती हैं। कार्बन, फास्फोरस एवं जिंक प्रचुर मात्रा में होने के कारण मछली पालन का तालाब उर्वर हो जाता है।
- इस पद्धति में 4500 से 5000 किलो मछली प्रति हे0/वर्ष बिना अतिरिक्त लागत के प्राप्त हो जाती है जबकि मुर्गी पालन अवयव से अतिरिक्त आय कृषकों को प्राप्त होती है।
- इस पद्धति में 300 से 500 मुर्गियां 70000 अण्डे तथा 1250 किग्रा मांस उत्पन्न करती हैं।

उक्त क्रम में कतिपय शिक्षाविदों द्वारा कृषकों हेतु एकीकृत फार्मिंग सिस्टम माड्यूल भी प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नवत् है:–

एकीकृत फार्मिंग सिस्टम माड्यूल

क0सं0	स्थल	फसल / माप
1	कुल क्षेत्रफल	02 एकड़
2	बार्डर लाइन के रूप में।	सागौन का रोपण
3	कृषि फसल	धान्य फसलें, दलहन एवं तिलहन।
4	खेत की मेड़ों पर	सहजन का रोपण
5	चारा फसल	जई, ज्वार, मक्का, लोबिया, बरसीम, बाजरा इत्यादि।
6	चारा हेतु घासें	संकर नैपियर, गिन्नी घास एवं स्टाइलो।
7	• मुर्गी –60 • बकरी (स्थानीय) –4, • गाय (स्थानीय) • बकरा–प्रजनन हेतु उच्च प्रजाति का –1 • जुताई हेतु बैलों की जोड़ी–1	–
8	गृह वाटिका	400 वर्ग मीटर
9	मछली का तालाब	400 वर्ग मीटर
10	केंचुआ खाद की यूनिट	सुविधानुसार

2.6.1 रणनीति

- बुन्देलखण्ड के सात जनपदों में बहुतायत में पाये जाने वाले छुट्टा गोवंश (नर+मादा) की संख्या में लगातार कमी किया जाना अति आवश्यक है। इसके लिए वर्गीकृत वीर्य का उपयोग करने तथा हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।
- चयनित प्रजनन द्वारा निम्न स्तरीय एवं अवर्णित गोवंशीय पशुओं का प्रजाति उन्नयन एवं आनुवांशिक सुधार उच्च गुणवत्ता युक्त थारपारकर , गिर, हरियाणा व कांकरेज प्रजाति के संस्करण से कराया जा सकता है।
- संक्रामक रोगों के प्रकोप से पशुधन को बचाने के लिए समय–समय पर अन्तः परजीवीनाशक दवाइयों एवं टीकाकरण का प्रयोग तथा इसका प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।
- बेरोजगार ग्रामीण युवाओं की भागीदारी और सहभागिता के साथ अन्य पशुजन्य उत्पादों जैसे पंचगव्य, जीवामृत, गौमूत्र अर्क, कामधेनु दन्त मंजन, फिनाइल इत्यादि का निर्माण कार्य कराया जाना चाहिए।
- इस क्षेत्र में पाले जा रहे पशुओं हेतु हरे चारे, सूखे चारे एवं संकेन्द्रित आहार की क्रमशः 89 प्रतिशत, 56 प्रतिशत एवं 86 प्रतिशत की कमी को दूर किये जाने हेतु क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विकास होना चाहिये।
- उन्नतशील चारा बीज की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के क्रम में ज्वार, बाजरा, मक्का तथा बहुकटाई वाली एस0एस0जी0 / सूडान आदि प्रमुख चारा फसलों का उपयोग किया जाना।
- अनुपयोगी अकृषि भूमि / परती / चारागाह की भूमि पर बहुवर्षीय चारे जैसे–नैपियर घास, गिनी घास, अंजन घास, दीनानाथ घास आदि एवं दो–दालीय चारा स्टाइलों तथा कुछ चारा वृक्षों यथा–सुबबूल, सहजन, बेर, पाकड़ एवं गूलर आदि की रोपाई करके भी क्षेत्र में हरे चारे की कमी की पूर्ति की जा सकती है।
- मुर्गी पालन का सघनीकरण।

- क्षेत्र विशेष हेतु जनपदवार समन्वित कृषि प्रणाली का विकास एवं प्रदर्शन।
- उन्नत किस्म के सांड एवं नर पशुओं की उपलब्धता तथा कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दिया जाना।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र की स्थानीय गैर चिन्हित नस्ल बुन्देलखण्डी बकरी का पंजीयन एवं व्यापक प्रसार।
- अधिक से अधिक ग्रामीण शिक्षित युवा वर्ग को पैरावेट का प्रशिक्षण देकर स्थानीय पशु स्वास्थ्य सेवाओं में जोड़ा जायें।
- दुग्ध क्रय केन्द्रों को पशु पालक प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित किया जाय।
- मत्स्य सहकारी समितियों का सुदृढ़ीकरण किया जाय।
- मत्स्य सेक्टर हेतु महिला स्वयं सहायता समूह तथा एफ0पी0ओ0 के गठन किये जायें।
- चित्रकूट धाम मण्डल में मत्स्य पालन प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है।
- गर्मी के दिनों में वाटर रिचार्जिंग एवं मत्स्य पालन हेतु तालाबों में ट्यूबवेल अथवा नहर से नियमित जल की आपूर्ति की जाय।
- कम पानी में मत्स्य पालन हेतु रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाय।
- निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज हैचरियों की संख्या में वृद्वि की जाय।
- पुराने जलाशयों में डी–सिल्टिंग कर उन्हें गहरा करके जल धारण क्षमता में वृद्वि की जाय।
- फिश पार्लर योजना को प्रोत्साहित किया जाय जिससे आम जन मानस को गुणवत्ता युक्त मत्स्य व्यंजन उपलब्ध हो सके।
- राजकीय मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र प्रक्षेत्रों से अतिक्रमण हटाते हुए उनके बाउन्ड्रीवाल का निर्माण, नर्सरियों की खुदाई, विद्युत कनेक्शन के साथ ट्यूबवेल की व्यवस्था की जाय जिससे मत्स्य बीज उत्पादन में वृद्वि हो सके।

2.6.2 कार्य योजना

- चारे की आवश्यकता के अनुरुप उत्पादन कराना।
- बुन्देलखण्ड की जलवायु व संसाधन बकरी व भेड़ पालन हेतु उपयुक्त है अतः इन क्षेत्रों में इकाई स्थापना हेतु विभिन्न अनुदान/ऋण आधारित श्रेणियां बनाकर प्रोत्साहन किया जाना आवश्यक है।
- बकरी व भेड़ में नस्ल सुधार हेतु जनपदों में नस्ल सुधार केन्द्र स्थापित किये जायें।
- बुन्देलखण्ड में लेयर तथा ब्रॉयलर दोनों ही प्रकार की मुर्गी उत्पादन की जा सकती है परन्तु गर्मी के मौसम में तापमान बहुत अधिक हो जाने के कारण यह संस्तुत किया गया कि लेयर एवं दो उद्देशीय केवल उन प्रजातियों का चयन किया जाये जो अधिक ताप को सहन कर सकें। इस क्रम में प्रजातिवार संस्तुति निम्नानुसार प्रस्तावित हैः–

जनपद	उन्नतशील मुर्गी प्रजातियां	प्रस्तावित मुर्गी इकाईयों की संख्या
झाँसी	कारी–निर्भीक, उपकारी, हितकारी,असील	405000
जालौन	कारी–श्यामा एवं कारी–देवेन्द्र, कड़कनाथ, गुन्चारी	40000
ललितपुर	कारी–श्यामा एवं कारी–देवेन्द्र, गुन्चारी	205000
बाँदा	कारी–श्यामा एवं कारी–देवेन्द्र, असील, गुन्चारी	280000
चित्रकूट	कारी–निर्भीक, उपकारी, हितकारी, कड़कनाथ	140000
हमीरपुर	कारी–निर्भीक, उपकारी, हितकारी, कड़कनाथ	201000
महोबा	कारी–श्यामा एवं कारी–देवेन्द्र, गुन्चारी	110000
योग		**1381000**

- खेत तालाब योजनान्तर्गत विकसित तालाबों में मछली पालन की सम्भावना के दृष्टिगत् आगामी वर्ष हेतु निम्न लक्ष्य संस्तुत किये गये :–

जनपद	तालाबों की संख्या	फिश सीड स्टाकिंग नम्बर
झाँसी	150	800000
जालौन	25	20000
ललितपुर	100	500000
बाँदा	100	500000
चित्रकूट	30	250000
हमीरपुर	120	500000
महोबा	100	250000
योग	**625**	**2820000**

3. लघु एवं दीर्घ अवधि कार्य योजना

प्रदेश के सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड क्षेत्र तथा जनपदों हेतु बिन्दुवार लघु अवधि की कार्य योजना का विवरण निम्नवत् हैः–

बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु लघु अवधि कार्य योजना

क्र0 सं0	कार्य योजना	दायित्व निर्वहन से सम्बन्धित संस्था/विभाग
1	ड्रिप सिंचाई को प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बन्ध में यन्त्रों का वितरण/सब्सिडी का प्राविधान।	कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग।
2	बैकयार्ड पोल्ट्री को प्रोत्साहन दिये जाने के क्रम में उपयुक्त मुर्गी प्रजाति यथा वनराजा, कड़कनाथ, असील, ग्रामप्रिया, कारीश्यामा इत्यादि के चूजों का वितरण।	पशुपालन विभाग।
3	मत्स्य पालन को बढावा दिये जाने के क्रम में रोहू, कतला, नयन, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प प्रजातियों के मत्स्य बीज/फिंगर लिंग की उपलब्धता कृषकों को सुनिश्चित कराया जाना।	मत्स्य विकास विभाग।
4	वर्ष भर हरा चारा उपलब्धता हेतु आई.जी.एफ.आर.आई. द्वारा विकसित मॉडल अनुसार चारा बीज एवं तकनीक का कृषकों के मध्य प्रसार।	पशुपालन विभाग एवं आई.जी. एफ. आर. आई.।
5	गाय, भैंस, बकरी एवं भेड़ पशुओं में नस्ल सुधार हेतु उच्च गुणवत्ता वाले नर पशुओं की उपलब्धता एवं उच्च गुणवत्ता वाली नस्लों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान।	पशुपालन विभाग, गैर सरकारी संस्था एवं कृषि विश्वविद्यालय बांदा।
6	कृषि हेतु उपयोगी मध्यम कृषि यन्त्रों का विकास, मानकीकरण एवं कृषकों को उपलब्ध कराया जाना।	उपकार, बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
7	औषधीय एवं सगंध पौध की उपयुक्त खेती को प्रोत्साहन।	सीमैप लखनऊ, बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
8	बुन्देलखण्ड की जलवायु के अनुकूल विभिन्न एकीकृत फसल प्रणाली माडलों का विकास एवं प्रसार।	बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश एवं कृषि विज्ञान केन्द्र।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों हेतु लघु अवधि कार्य योजना

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य योजना	दायित्व निर्वहन से सम्बन्धित संस्था/विभाग
1	जालौन	कपास की खेती का पुनर्जीवीकरण।	कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
2	झाँसी	वर्षा आधारित चावल की खेती का सघनीकरण तथा राई/सरसों को प्रोत्साहन।	कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
3	बाँदा, चित्रकूट, ललितपुर, महोबा।	तिल एवं मूंगफली की खेती को प्रोत्साहन दिये जाने के क्रम में बीज पर अनुदान एवं प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना।	कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
4	हमीरपुर एवं जालौन।	संरक्षित संरचनान्तर्गत सब्जियों की खेती को प्रोत्साहन।	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश।
5	बाँदा एवं चित्रकूट।	खरीफ प्याज की खेती को प्रोत्साहन दिये जाने को बीज एवं तकनीक उपलब्धता।	बाँदा कृषि विश्वविद्यालय, बाँदा तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश।

उक्त क्रम में प्रदेश के सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड क्षेत्र तथा जनपदों हेतु बिन्दुवार दीर्घ अवधि की कार्य योजना का विवरण निम्नवत् है:–

बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु दीर्घ अवधि कार्य योजना

क्र0सं0	जनपद का नाम	कार्य योजना	दायित्व निर्वहन से सम्बन्धित संस्था/विभाग
1	बाँदा	चिरौंजी बेल्ट की स्थापना।	कृषि विश्वविद्यालय, बाँदा।
2	बाँदा, झाँसी, हमीरपुर।	ड्रेगनफ्रूट के ब्लाक की स्थापना।	कृषि विश्वविद्यालय, बाँदा।
3	बाँदा, झाँसी।	शुष्क औद्यानिकी के सम्बन्ध में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना।	कृषि विश्वविद्यालय, बाँदा।
4	झाँसी, बाँदा एवं ललितपुर।	विभिन्न वानिकी वृक्षों के समावेश से क्षेत्र विशेष हेतु कृषि वानिकी मॉडल का विकास/मानकीकरण।	कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र, झाँसी एवं केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झाँसी।
5	बाँदा, ललितपुर, चित्रकूट एवं महोबा।	सहजन तथा अरण्डी की बहुवर्षीय प्रजाति का चयन तथा एक वर्षीय प्रजाति का विकास एवं इनकी पौध सामग्री की कृषकों को उपलब्धता।	कृषि विश्वविद्यालय बाँदा, उपकार तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0।
6	बाँदा, महोबा, हमीरपुर एवं चित्रकूट।	सेन्टर आफ एक्सीलेंस–जल प्रबन्धन।	कृषि विश्वविद्यालय, बाँदा एवं सिंचाई विभाग, उ0प्र0।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों हेतु दीर्घ अवधि कार्य योजना

क्र0स0ं	कार्य योजना	दायित्व निर्वहन से सम्बन्धित संस्था/विभाग
1	बुन्देलखण्ड के मृदा आधारित चारों फार्मिंग सिचुएशन हेतु समन्वित कृषि प्रणाली का विकास।	प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय एवं आई. आई. एफ. एस. आर. मेरठ।
2	बुन्देलखण्ड की विभिन्न परिस्थितियों हेतु फसलवार कम पानी एवं कम लागत में पोषणयुक्त अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों एवं तकनीकों का विकास।	प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय एवं अन्य शोध संस्थान।
3	बुन्देलखण्ड के विभिन्न जनपदों हेतु उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों का चयन एवं प्रसार।	जनपद स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कृषि विभाग, उ0प्र0।
4	बकरी की बुन्देलखण्डी प्रजाति का भौतिक चिन्हांकन एन. बी. ए. जी. आर. की गाइडलाइन के अनुसार पंजीयन।	उपकार, कृषि विश्वविद्यालय बाँदा एवं पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
5	मत्स्य बीज उत्पादन की उपलब्धता के क्रम में जिला स्तर पर हैचरी की स्थापना।	कृषि विश्वविद्यालय, बाँदा एवं मत्स्य विकास विभाग, उ0प्र0।
6	समस्त जनपदों में कृषि उद्यम आधारित कम से कम चार–चार फार्मर्स प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन की स्थापना।	नाबार्ड एवं कृषि विभाग, उ0प्र0।
7	विभिन्न फसलों की जैविक कृषि हेतु उपयुक्त प्रजाति का चयन तथा जैविक, अजैविक कारकों एवं बदलते वातावरणीय परिवेश हेतु उपयुक्त प्रजातियों का विकास।	उपकार एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालय।
8	विभिन्न जैविक उत्पाद व विशेष उत्पादों हेतु सुनिश्चित क्रय केन्द्रों की स्थापना।	सम्बन्धित विभाग।
9	आधुनिक कृषि तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।	कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्र।
10	भण्डारगृहों व शीत भण्डार गृहों की स्थापना।	सम्बन्धित विभाग।

4. अभिसरण

बुन्देलखण्ड में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन एवं औद्यानिकी से सम्बन्धित विभिन्न योजनाएं भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित करायी जा रही हैं। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड की कृषि से सम्बन्धित पृथक–पृथक समस्याओं पर विलग तरीके से कार्य कराया जा रहा है। अतः इन योजनाओं के कार्यक्रमों को चिन्हित मुद्दों के क्रम में रणनीतिक स्तर से एकीकृत किया जाना चाहिये। इस क्रम में मुद्दों के आधार पर निम्न योजनाओं को समन्वित किये जाने पर विचार किया जा सकता हैः–

1. प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना – (राज्य सेक्टर)
2. संकर बीजों के उपयोग को बढावा देने की योजना – (राज्य सेक्टर)
3. प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज–वर्द्धन प्रक्षेत्र योजना– (राज्य सेक्टर)
4. सब–मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मैटीरियल – बीज ग्राम योजना (केन्द्र सहायतित)
5. ग्राम पंचायत स्तर पर बीज विधायन संयन्त्र स्थापना एवं बीज भण्डारण सुविधा हेतु बीज गोदाम निर्माण कार्यक्रम – (केन्द्र सहायतित)
6. सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना।

7. प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन्सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्राप रेजिड्यू योजना।
8. पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना।
9. इन्टीग्रेटेड रेनवाटर शेड डेवलपमेन्ट – नाबार्ड सहायतित।
10. पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाटर हार्वेस्टिंग चेकडैम– बुन्देलखण्ड पैकेज।
11. वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना।
12. बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई जल उपयोग की क्षमता बढाने की योजना (स्प्रिंकलर सैट वितरण)।
13. प्रदेश के अति दोहित/क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल विकासखण्डों में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण की योजना।
14. मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण योजना।
15. नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबिल एग्रीकल्चर।
16. परम्परागत कृषि विकास योजना।
17. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना।
18. मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन।
19. जैविक खेती।
20. सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन।
21. कृषि प्रशिक्षित उद्यमी स्वावलम्बन योजना (एग्री जंक्शन योजना)।
22. द मिलियन फार्मर्स स्कूल (किसान पाठशाला)।
23. इक्रीसेट के सहयोग से बुन्देलखण्ड में संचालित किसान मित्र योजना।
24. पी0एम0 किसान योजना।
25. आत्मा परियोजना।
26. कामधेनु योजना।
27. पर ड्राप मोर क्राप।

5. संस्थाओं की सहभागिता

क0सं0	विभाग/संस्था का नाम	सहभागिता
1	कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मत्स्य विभाग, रेशम विभाग, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, विद्युत विभाग।	कार्यक्रमों का संचालन
2	स्थानीय स्वयंसेवी संगठन	स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग हेतु
3	राज्य के कृषि विश्वविद्यालय एवं आई. सी. ए. आर. इन्स्टीट्यूट	उत्तम कृषि तकनीकों की उपलब्धता एवं नवीन कृषि तकनीकों के शोध एवं विकास हेतु
4	आई. एम. डी. तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय	मौसम संबन्धी आंकडों की उपलब्धता हेतु।
5	आई0आर0आर0आई0, वाराणसी	चावल उत्पादन के सम्बन्ध में कृषि तकनीकों की उपलब्धता हेतु

क0सं0	विभाग / संस्था का नाम	सहभागिता
6	सी0वाई0एम0एम0आई0टी0, नई दिल्ली	गेंहूँ एवं मक्का की फसलों के सम्बन्ध में कृषि तकनीकों की उपलब्धता हेतु।
7	आई0सी0आर0आई0एस0ए0टी0, हैदराबाद	दलहन की फसलों के सम्बन्ध में कृषि तकनीकों की उपलब्धता हेतु।
8	सी0आर0आई0डी0ए0, हैदराबाद	शुष्क भूमि पर कृषि के सम्बन्ध में कृषि तकनीकों की उपलब्धता हेतु।
9	सी0आई0पी0, दिल्ली	आलू उत्पादन के सम्बन्ध में कृषि तकनीकों की उपलब्धता हेतु।
10	नाबार्ड	कृषि ऋण एवं सम्बन्धित वित्तीय विषयों में सहयोग हेतु।

6. वित्त पोषण हेतु विकल्प

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
- राज्य उद्यान मिशन
- बुन्देलखण्ड विकास निधि
- प्रदेश शासन के अन्तर्गत सम्बन्धित विभाग
- राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

7. परिणाम (आउटकम)

- बीज के क्षेत्र में स्वावलम्बन।
- सर्वोत्तम संसाधन प्रबन्धन हेतु गांव स्तर पर कम्पोस्ट, अवशेष प्रबन्धन तथा प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना।
- अधिक उत्पादन के साथ गुणवत्तापूर्ण उत्पाद।
- गाय, भैंस, बकरी, भेड़, शूकर में नस्ल उन्नयन।
- विविधीकरण व कृषि आधारित इकाइयों द्वारा भूमिहीन ग्रामीणों की सुनिश्चित आय वृद्धि।
- सामान्य जन व कृषक परिवारों की पोषण आवश्यकता के साथ आय दो गुनी।

8. समीक्षा का तरीका एवं संकेतक

सामान्य संकेतक

- Level of knowledge: Index developed
- Extent of adoption: Index developed
- Extent of satisfaction: Index developed
- Cost-benefit ratio: Index developed
- Entrepreneurship behaviour: Index developed

एकीकृत फसल प्रणाली संकेतक

- Number of additional enterprises than crop production.

- Increased employment through integration of crop with allied enterprises.
- Increase in household income.

वाटर शेड विकास एवं मृदा जल संरक्षण संकेतक

- Development of watershed and water harvesting structures.
- Area and the number of farm household covered for field bunding.
- Additional area covered under irrigation.
- Area covered under pressurized system of irrigation.

बाजार एवं सामाजिक संकेतक

- Number of active marketing Farmer Interest Groups.
- No of backward and forward linkages established.
- Number of SHGs and their financial turnover.
- Women participation in different development activities.
- Reduction in the labour force moving to cities for employment.
- Availability of diverse food to the households.

फसल, सब्जी एवं फल

- फसल सघनता में वृद्धि।
- कृषकों द्वारा आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग।
- कृषि विविधीकरण के अन्तर्गत नवीन क्षेत्र (हे0)।
- फसल, सब्जी व फलों की उत्पादकता में वृद्धि।
- पुराने व अनार्थिक बागों का रिजुनेवेशन।
- व्यक्तिगत व असंगठित क्षेत्र में नर्सरी स्थापना।

पशुधन उत्पादन एवं मत्स्य पालन

- दुग्ध उत्पादन में वृद्धि।
- मांस उत्पादन में वृद्धि।
- मत्स्य उत्पादन व क्षेत्रफल में वृद्धि।
- पशुओं में मृत्यु दर में कमी।
- पशु दाना–चारा का उत्पादन व प्रयोग में वृद्धि।
- बहुउद्देशीय पौध रोपण क्षेत्रफल में वृद्धि।

अध्याय–3

जल क्षेत्र

जल क्षेत्र

1. पृष्ठभूमि

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि एक प्रमुख व्यवसाय है। इस क्षेत्र में पारम्परिक पद्धति से सिंचाई और पारम्परिक फसलें (गेहूं और दालें) ही प्रचलित हैं। एक ओर जहाँ क्षेत्र में अभेद्य और पथरीली भूवैज्ञानिक संरचना के कारण जल संचयन की सम्भावना अत्यंत कम है, वहीं दूसरी ओर भूजल सतह का प्रवाह भी अधिक है जिसके कारण बुन्देलखण्ड का कुछ क्षेत्र बारिश और बाढ़ से प्रभावित होता है और कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ता है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ केन, बेतवा, यमुना और धसान हैं। इसके अलावा कई छोटी नदियाँ भी हैं जो सहायक के रूप में इन नदियों में मिलती हैं। बुन्देलखण्ड में सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत कुल 35 प्रमुख बांध हैं। इसके साथ ही 101 अन्य बड़े तालाब, 8 झीलें तथा 395 बंधियाँ हैं जिसमें नहर प्रणाली के माध्यम से वर्षा जल को संग्रहित कर सिंचन किया जाता है।

उक्त क्षेत्र में वर्षा 700 मिमी से 750 मिमी के बीच होती है किन्तु जून और सितंबर के मध्य होने वाली कुल वर्षा औसत (अनियमित) वर्षा के साथ परिवर्तित होती रहती है। जुलाई और अगस्त में अधिकतम वर्षा के कारण, वर्षा जल को भूमि में प्रवेश करने के लिए कम समय मिलता है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के कई हिस्सों में विशेष कर गर्मियों के महीनों में पीने के पानी की आपूर्ति की समस्या रहती है तथा ग्रामीण क्षेत्र जल की गम्भीर कमी से ग्रस्त हैं। इस क्षेत्र में कम गहराई तक मिट्टी की सर्वव्याप्तता है जिससे इस क्षेत्र में भूजल की संग्रहण क्षमता सीमित है और कुल वर्षा का केवल 4 प्रतिशत ही संग्रहित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अच्छी कृषि और सिंचाई प्रणालियों के बारे में जागरूकता कम होने के कारण कृषि उत्पादकता में निरन्तर कमी और सिंचाई के पानी का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड के 131 गांवों में किए गए पानी की स्थिति के एक अध्ययन में पाया गया कि केवल 7 प्रतिशत गांवों में साल भर में घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी रहता है। इसके अतिरिक्त 60 प्रतिशत से अधिक गांवों में पीने का पानी केवल एक महीने के लिए उपलब्ध रहता है। पूरे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में महिलाओं को लगभग 20 लीटर पीने के पानी को संचित करने के लिए औसतन 4–5 घंटे खर्च करने पड़ते हैं। नदियों में अनिश्चित जल आपूर्ति की ऐसी स्थितियों के तहत सिंचित कृषि को बनाए रखने और किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तालाबों और अन्य सतही–जल निकायों से पानी की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कुल उपलब्ध पानी 13692.92 एम0सी0एम0 (मिलियन क्यूबिक मीटर) है जबकि पानी का वर्तमान उपयोग 6637.98 एम0सी0एम0 है। इसी प्रकार वर्ष 2050 तक कुल जल आवश्यकता 11301.69 एम0सी0एम0 आंकलित की गयी है। अतः बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्ष 2050 तक अनुमानित पानी उपलब्ध है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सात जनपदों में झाँसी एवं हमीरपुर जिलों में पानी की मांग उपलब्ध स्रोतों से अधिक है।

2. प्रमुख मुद्दे

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मृदा आवरण अत्यंत सतही और उथली प्रकृति के कारण उच्च भूगर्भीय धरातल में अभेद्य भूगर्भीय निर्माण अधिक होता है। बुन्देलखण्ड के निवासी आमतौर पर कृषि, औद्योगिक और घरेलू कार्यों के लिए पानी की कमी का अनुभव करते हैं। उल्लेखनीय है कि मात्र जालौन जनपद जो गंगा–यमुना के मैदानों से सटा है, में अपेक्षाकृत बेहतर भूजल की स्थिति है। इस क्षेत्र के पुराने जलाशयों में गाद जमा हो गई है और नदियों पर बने बांध के जलाशय भी कम वर्षा के कारण बारिश के दौरान पूरी क्षमता के अनुरूप नहीं भर पाते हैं। बुन्देलखण्ड में हमीरपुर, महोबा और बाँदा जनपदों के बांधों में रिसाव की समस्या के कारण पानी की भारी कमी है। सन्दर्भित क्रम में महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नवत् हैं:–

2.1 कम जल संग्रहण क्षमता

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में औसत वर्षा होती है। इस क्षेत्र में अलग–अलग स्थानों पर 700 मिमी से 750 मिमी के बीच वर्षा होती है। जून और सितम्बर के बीच होने वाली कुल वर्षा अनियमित होने के साथ ही समय–समय पर बदलती रहती है। जुलाई और अगस्त में अधिकतम वर्षा होने के कारण, बारिश के पानी को भूमि में प्रवेश करने के लिए कम समय मिलता है। इसके साथ ही पथरीली जमीन होने के कारण बारिश के पानी का जमीन में प्रवेश करना मुश्किल होता है जिससे कठोर भूगर्भीय निर्माण होने के कारण भूजल संग्रहित नहीं हो पाता है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अपारगम्य भूवैज्ञानिक चट्टानों के कारण जल संचयन कम है और सतही जल

का प्रवाह भी अधिक है जिसके कारण बुन्देलखण्ड का कुछ क्षेत्र बारिश और बाढ़ से प्रभावित होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ता है। जल संग्रहण क्षमता कम होने के कारण इस क्षेत्र में अभी भी पानी की कमी है। इसके अतिरिक्त यहाँ की मिट्टी की इनफिल्ट्रेशन क्षमता उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों की तुलना में कम आँकी गई है। बुन्देलखण्ड के अधिकांश क्षेत्रों में ऊपरी स्तर की कम छिद्र और मोटी चिकनी मिट्टी की सतह की उपलब्धता के कारण भूजल पुनर्भरण भी एक बहुत धीमी प्रक्रिया है जिसके कारण अधिक तीव्रता वाली बरसात जल्दी ही सतही अपवाह में परिवर्तित हो जाती है।

2.2 जल उपयोग में पूर्ण दक्षता का अभाव

बुन्देलखण्ड में पारम्परिक रूप से बंधियों के माध्यम से एक बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई होती है। ये बंधियाँ मुख्य रूप से ललितपुर, चित्रकूट, महोबा और हमीरपुर जिलों में स्थित हैं। इन बंधियों के जीर्ण–शीर्ण होने तथा उचित संरक्षण न होने के कारण इनसे पारम्परिक रूप से होने वाला जल संग्रहण वर्तमान में सम्भव नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार अल्प वर्षा अवधि के कारण छोटी नदियों और इन पर बने जलाशय की भंडारण क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है। उल्लेखनीय है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र की सिंचाई प्रणाली में कई अन्य चुनौतियाँ यथा–प्रबंधन में सुधार के लिए प्रतिस्थापन और रखरखाव की आवश्यकता वाली संरचनात्मक समस्याएं, तृतीयक और माध्यमिक नहर प्रणाली के प्रबंधन में भागीदारी, सिंचाई प्रबंधन के द्वारा किसानों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से नहर प्रणाली के संचालन में सुधार की आवश्यकताएँ तथा आंशिक रूप से नहरों का चलना आदि भी उभर कर आयीं हैं।

2.3 पानी तक पहुंच का अभाव

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सुरक्षित सिंचाई प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण वर्ष में केवल एक बार बुवाई की जाती है। आमतौर पर अपने परिवारों के लिए पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान्यतः महिलाएं पंद्रह लीटर पानी लेकर प्रतिदिन कई किलोमीटर की यात्रा करती हैं। बुन्देलखण्ड में जलवायु परिवर्तन और मानसून की विफलताओं के कारण बार–बार सूखा पड़ता रहता है जिसके कारण भूजल स्तर में भी भारी गिरावट आई है, जिससे किसानों और समुदाय के अन्य सदस्यों को पलायन कर इस क्षेत्र से दूर भी जाना पड़ रहा है।

2.4 अत्यधिक भू–जल का दोहन

भूजल की उपलब्धता भूविज्ञान और भू–हाइड्रोलॉजिकल स्थितियों द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित होती हैं। तालाबों, झीलों और नदियों से लेकर खुले कुयें, बोरवेल और नहरों के रूप में जल स्रोत मौसमी होते हैं। स्थानीय निवासियों का निर्वाह मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करता है। बुन्देलखण्ड न केवल पानी की कम उपलब्धता से ग्रस्त है, अपितु इस क्षेत्र में पानी की भविष्य में उपलब्धता भी चिंता का बहुत बड़ा विषय है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी 7 जिलों के विकास खण्डों में भूजल विकास के आधार पर 40 विकास खण्ड सुरक्षित, दो अर्ध दोहित, एक महत्वपूर्ण रूप से दोहित और तीन विकास खण्ड अति दोहित के रूप में वर्गीकृत है।

उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 131 गांवों में किए गए पानी की स्थिति विषयक अध्ययन में पाया गया है कि केवल 7 प्रतिशत गांवों में ही साल भर की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी था। लगभग 60 प्रतिशत से अधिक गांवों में पीने का पानी केवल एक महीने के लिए उपलब्ध था। बुन्देलखण्ड के लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाओं को लगभग 20 लीटर पीने के पानी लेने के लिए औसतन 4–5 घंटे खर्च करने पड़ते हैं। नदियों में अनिश्चित जल आपूर्ति की ऐसी स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सिंचित कृषि को बनाए रखने और किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जलाशयों, टैंकों और अन्य सतह निकायों से पानी की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा जल के संरक्षण के लिए बुंदेलकालीन/चंदेलकालीन पारम्परिक प्रणालियॉ विलुप्त/कम हो गई है, जिसके कारण जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। भूजल के साथ ही सतही जल की उपलब्धता भी कम हो गयी है। भूजल स्तर में गिरावट के कारण हैंडपम्प सूख जाते हैं जो आगे की समस्या को और बढ़ा रहे हैं। भौगोलिक और जल विज्ञान की स्थिति के मद्देनजर इस क्षेत्र के लिए प्रचुर मात्रा में भूजल स्रोतों को बनाए रखना आवश्यक है।

2.5 जल संसाधनों की निगरानी और मूल्यांकन

जल संसाधनों की निगरानी और मूल्यांकन से सम्बंधित कई संस्थागत मुद्दे यथा–जल एवं अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य क्षमता निर्माण से सम्बन्धित आंतरिक समन्वय का अभाव, जल के संदर्भ में दिन–प्रतिदिन के आंकड़ों की स्थिति, वर्षा और जल–क्षेत्र के संचालन के लिए स्वचालित प्रणाली का अभाव इत्यादि हैं, जिनका निवारण अत्यधिक आवश्यक है।

3. रणनीति

3.1 बुन्देलखण्ड के जलाशयों का पुनर्निर्माण और कायाकल्प

बुन्देलखण्ड में जल संरक्षण के लिए तालाबों का समृद्ध इतिहास है, यद्यपि इन पारम्परिक संरचनाओं को मानव निर्मित और पर्यावरणीय कार्यों आदि कारणों से उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। परम्परागत रूप से ये तालाब जनसमुदाय की घरेलू, पशुधन, सिंचाई और कृषि आवश्यकताओं के लिए पानी का प्रमुख स्रोत हैं। इस क्षेत्र में स्थायी जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए इन पारम्परिक संरचनाओं को पुनर्जीवित करने की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए अविलम्ब निम्न प्रयास किये जाने की आवश्यकता है:–

- सार्वजनिक पहुंच के जल संसाधन जैसे बुंदेला, चंदेला, पेशवा टैंक, अन्य जल निकायों और कुयें आदि को पुनर्जीवित किये जाने के लिए चेकडैम, तालाबों और टैंकों का नवीनीकरण, मरम्मत, डिसिल्टिंग, तटबंध और शिखर की ऊँचाई को बढ़ाना, भंडारण क्षमता में वृद्धि, कुओं का गहरीकरण और कुओं द्वारा रिचार्जिंग, सिंचाई चैनलों की सफाई आदि के द्वारा वर्तमान में उपलब्ध जल संसाधनों का उचित प्रबंधन किया जाना।
- जलाशय के कायाकल्प की प्रभावी योजना के लिए पारम्परिक और आधुनिक जलाशयों और पुनर्भरण (रिचार्ज) मार्गों का मानचित्रण।
- जलाशयों के महत्व पर सामुदायिक जागरूकता, स्थानीय समुदायों और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (यथा–पानी पंचायत, जल सहेली) को जलाशय–कायाकल्प गतिविधियों के लिए मजबूत और लाभान्वित किया जाना और जलाशयों के सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देना।
- रिसाव को रोकने के लिए तालाबों के तल की मरम्मत कर उनकी भंडारण क्षमता को बढ़ाना, साथ ही तालाबों को आपस में जोड़ने वाले मार्गों की मरम्मत के लिए पहल।
- स्थानीय हाइड्रो भूवैज्ञानिक स्थितियों के संदर्भ में उन्नत और नवीन जल पुनर्भरण (रिचार्ज) तकनीकों का उपयोग।

3.2 जल स्रोत की स्थिरता

नए जलाशयों के निर्माण के साथ–साथ पुराने जलाशयों की उपयोगी जल निकासी को बढ़ाने और मरम्मत योग्य बांधों के पुनर्निर्माण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। पुरानी नहर प्रणाली और क्षतिग्रस्त जलाशयों और बंधियों की बहाली का कार्य सिंचाई और अन्य उपयोगों हेतु पानी की उपलब्धता बढ़ाने में सहायक होगा।

बुन्देलखण्ड के महोबा, हमीरपुर और बाँदा जिलों में पुराने बांधों का उन्नयन और आधुनिकीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना आवश्यक है। सभी मुख्य नहरों और शाखाओं पर सौर पैनल लगाकर पानी के वाष्पीकरण को रोका जा सकता है। इसी प्रकार नलकूपों के संचालन में बिजली आपूर्ति में कमी और बार–बार आने वाली बाधाओं को दूर करने के दृष्टिगत नहर के कमांड क्षेत्र में छोटे पम्प नहरों को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिन जलाशयों का निर्माण छोटी नदियों पर किया गया है, वे अल्प वर्षा–अवधि के कारण अपनी भंडारण क्षमता का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे जलाशयों की पहचान करने और उन्हें किसी अन्य बड़े जल स्रोत से भरने की आवश्यकता है। अर्जुन सहायक परियोजना और प्रस्तावित केन–बेतवा नदी लिंक परियोजना इस दिशा में एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। चित्रकूट और हमीरपुर जिलों में सतही जल संग्रहण की आवश्यकता है। भंडारण की लागत को कम करने के लिए परित्यक्त खदानों में सतही पानी को इकट्ठा करने, नदियों से सिंचाई के लिए जल को उठाने और भूजल को रिचार्ज करने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। भूजल पुनर्भरण स्थलों के चिन्हीकरण में केंद्रीय भूगर्भ जल बोर्ड एवं अन्य तकनीकी संस्थाओं से परामर्श उपयोगी हो सकता है।

3.3 जल उपयोग क्षमता में वृद्धि

बुन्देलखण्ड में बाढ़ आधारित सिंचाई के स्थान पर बड़े पैमाने पर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर झाँसी और जालौन में बेतवा नहर प्रणाली में सिंचाई हेतु अपर्याप्त पानी है और पारम्परिक तरीकों से सिंचाई करने पर पानी की बर्बादी होती है। जनपद झाँसी का बामौर विकास खण्ड जो गुरसराय नहर प्रणाली के अंतिम छोर पर है, वहां लगभग 40 से 50 गांव ऐसे हैं जहां नहर का पानी सिंचाई हेतु उपलब्ध नहीं होता है। अतः इस क्षेत्र के किसान फसल बोने में असमर्थ रहते हैं और पूरे विकास खण्ड की खेती प्रकृति पर आधारित रहती है। अतः इस प्रकार के स्थानों पर नहर के कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर और ड्रिप पद्धति को प्रोत्साहन देकर वर्तमान से लगभग 30 प्रतिशत अधिक क्षेत्रों में सिंचाई प्रदान की जा सकती है। जनपद झाँसी में सहजाद बांध स्प्रिंकलर परियोजना, जनपद महोबा में कुलपहाड़ स्प्रिंकलर परियोजना और जनपद हमीरपुर में मसगांव और मिर्च स्प्रिंकलर परियोजना को पानी के प्रवाह और क्षेत्रीय उपयोग दक्षता को बढ़ाने के लिए पायलट परियोजना के आधार पर लिया गया है। इस प्रकार के प्रयासों को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त किसानों को जल संरक्षण हेतु प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए, जिससे कम जल का उपयोग कर जल उपयोग क्षमता को बढाया जा सके।

3.4 स्थायी भूजल प्रबंधन और सामुदायिक व्यस्तता

यह एक सार्वभौमिक तथ्य है कि "जिसे मापा नहीं जा सकता, उसका प्रबंधन भी नहीं किया जा सकता"। इसलिए उपलब्ध जल संसाधन के अनुसार ग्रामीण स्तर पर मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यह उच्च और निम्न वर्षा दोनों के मामले में सही है। इस दिशा में जल–बजट, पीने योग्य पानी की उपलब्धता की बेहतर योजना बनाने, टिकाऊ कृषि सुनिश्चित करने, पर्यावरण की सुरक्षा करने और समग्र जल सुरक्षा का आश्वासन देने के लिए पहला कदम है। जल–बजट और ग्राम–स्तरीय जल सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य, जन समुदाय को जल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अपने स्थानीय जल–बजट को तैयार करने हेतु प्रोत्साहित करना है।

जल सुरक्षा योजना यह सुनिश्चित करती है कि सतही और भूजल संसाधन संरक्षित, संवर्धित और प्रबंधित है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पीने के पानी की मात्रा आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसमें जल उपलब्धता को मापना और इसकी आपूर्ति (जल बजट) की पैमाइश करना, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण और स्थानीय स्व–नियमन तंत्रों को स्थापित करना आदि शामिल है।

बुन्देलखण्ड के कई गांवों में "जल सहेली" और "पानी पंचायत" द्वारा जल–बजट और ग्राम स्तरीय जल सुरक्षा योजना का प्रयोग किया जा रहा है। इस मॉडल को कई सिविल सोसायटी संगठनों (C.S.O.) द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में इसे अपनाया जाना चाहिए।

3.5 जल मांग और उपलब्धता की निगरानी के माध्यम से प्रभावी जल प्रबंधन

बुन्देलखण्ड में उपलब्ध कुल पानी 13692.92 एम0सी0एम0 (मिलियन क्यूबिक मीटर), भविष्य में पानी की आवश्यकता 11301.69 एम0सी0एम0 तथा पानी का वर्तमान उपयोग 6637.98 एम0सी0एम0 है। इस प्रकार भविष्य की शुद्ध मांग 4663.71 एम0सी0एम0 है जबकि अभी हमारे पास 6986.33 एम0सी0एम0 अप्रयुक्त जल संसाधन है। इसके लिए पारम्परिक और आधुनिक तकनीकों से पानी की मांग और उपलब्धता की प्रभावी निगरानी किये जाने की आवश्यकता है। यह मौजूदा पारम्परिक छोटे जल निकायों के उपयोग द्वारा सूक्ष्म सिंचाई और सिंचाई की पारम्परिक विधि का प्रबंधन करने में मदद कर सकता है। इसके लिए प्रदेश में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल से सम्बन्धित छह विभागों को एक साथ लाया गया है ताकि जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण और विभागों के बीच बेहतर समन्वय हो सके।

4. कार्य योजना

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जल प्रबन्धन हेतु उक्त अंकित महत्वपूर्ण मुद्दों के लघु/मध्यम/दीर्घ अवधि की कार्य योजना का मुद्देवार विवरण निम्नवत् हैः–

4.1 जलाशय कायाकल्प

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में **''जलाशय कायाकल्प''** के सम्बन्ध में **लघु अवधि एवं मध्यम अवधि की कार्य योजना** का विवरण निम्न प्रकार हैः–

4.1.1 लघु अवधि

- **बुन्देलखण्ड में जलाशयों की विस्तृत मैपिंग और भू–टैगिंग**

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	जलाशयों के जियो–टैग डेटाबेस के साथ ऑन–ग्राउंड मैपिंग
2	एजेंसियों की भूमिका	प्रशासकीय/सम्बन्धित विभाग
3	स्थान	झाँसी, चित्रकूट और ललितपुर
4	वित्त पोषण	केन्द्र/ राज्य सरकार
5	परिणाम	जलाशयों के कायाकल्प के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली
6	संकेतक	मानचित्रित किए गए जलाशयों की संख्या जल संचयन क्षमता में वृद्धि

- **जिलों में चिन्हित जलाशयों का पूर्ण कायाकल्प**

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	जलाशयों के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली पर आधारित पारम्परिक तालाबों, टैंकों, चेकडैमों सहित सभी जलाशयों का पूर्ण कायाकल्प प्राकृतिक रूप से पानी की रिचार्जिंग हेतु खेतों में बड़ी–बड़ी बन्धियां बनाया जाना वाटर यूजर एसोसियेशन/जल सहेली के माध्यम से जलाशयों के रखरखाव के लिए सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना जलाशयों के इनलेट और आउटलेट के सामान्य रखरखाव, खुदाई/गहरीकरण, सफाई और डी–सिल्टिंग द्वारा वर्षा जल के बेहतर प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना
2	एजेंसियों की भूमिका	प्रशासकीय/सम्बन्धित विभाग
3	स्थान	झाँसी, चित्रकूट और ललितपुर
4	वित्त पोषण	केन्द्र/ राज्य सरकार
5	परिणाम	सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र की जल भण्डारण क्षमता दोगुनी करना भूजल पुनर्भरण सिंचाई के लिए पानी में वृद्धि कुओं और हैंडपम्पों के जल स्तर में वृद्धि
6	संकेतक	पुनर्निर्मित जलाशयों की संख्या जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि।

- **जल संरक्षण और संवर्धन के सफल मॉडलों जैसे देवास मॉडल, राजस्थान जलाशय मॉडल आदि को प्रोत्साहन देना**

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	➧ पारम्परिक जल निकाय (तालाब/जलाशय) बुन्देलखण्ड क्षेत्र का एक अंतर्निहित हिस्सा हैं जो जल की आवश्यकताओं से सम्बन्धित विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। इनमें से कई जल निकायों को कई कारणों से उपेक्षित किया गया है। इन जल निकायों को पुनर्जीवित करने और उनके पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से जीवंत करने की तत्काल आवश्यकता है, जिससे स्थायी जल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
2	एजेंसियों की भूमिका	➧ प्रशासकीय/सम्बन्धित विभाग
3	स्थान	➧ सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड
4	वित्त पोषण	➧ केन्द्र/ राज्य सरकार
5	परिणाम	➧ जल निकायों का व्यापक सुधार और पुनर्स्थापना जिससे जलाशय की भंडारण क्षमता में वृद्धि हो ➧ जलाशय कमांड के जलग्रहण क्षेत्रों में सुधार ➧ सतह और भूजल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहन देना ➧ बेहतर जल उपयोग दक्षता के माध्यम से पर्यावरणीय लाभ ➧ भूजल पुनर्भरण एवं पीने के पानी की उपलब्धता में वृद्धि ➧ प्रत्येक जल निकाय के स्थायी प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी और स्वावलंबी प्रणाली ➧ बेहतर जल प्रबंधन में समुदायों की क्षमता निर्माण बढ़ाना
6	संकेतक	➧ कायाकल्प किए जाने वाले तालाबों की संख्या ➧ जल संवर्धन प्रक्रिया में भाग लेने वाले किसानों की संख्या

4.1.2 मध्यम अवधि

- **जिलों में चिन्हित जलाशयों का पूर्ण कायाकल्प**

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	➧ पारम्परिक तालाबों, टैंकों, चेकडैमों सहित सभी जलाशयों का निर्णय समर्थन प्रणाली पर आधारित पूर्ण कायाकल्प एवं रखरखाव, जल उपयोगकर्ता समूह (WUAs)/जल सहेलियों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। ➧ तालाब और कुयें जिनमें परम्परागत रूप से पानी जमा है, उनमें पानी के प्रवेश और निकास के रास्तों के उचित रखरखाव, खुदाई/गहरीकरण, सफाई और डी–सिल्टिंग द्वारा वर्षा जल का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है।

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
2	एजेंसियों की भूमिका	➧ प्रशासकीय/सम्बन्धित विभाग
3	स्थान	➧ हमीरपुर, जालौन, महोबा और बाँदा जिले
4	वित्त पोषण	➧ केन्द्र/ राज्य सरकार
5	परिणाम	➧ सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र की जल भंडारण क्षमता को दोगुनी करना। ➧ भूजल पुनर्भरण। ➧ सिंचाई के लिए पानी में वृद्धि। ➧ कुओं और हैंडपम्पों के जलस्तर में वृद्धि।
6	संकेतक	➧ पुनर्निर्मित जलाशयों की संख्या। ➧ जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि।

4.2 जल स्रोत की स्थिरता

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में **''जल स्रोत की स्थिरता''** के सम्बन्ध में **(लघु ,मध्यम एवं दीर्घ अवधि की कार्य योजना) का** विवरण निम्न प्रकार है:–

4.2.1 लघु अवधि

- **मनरेगा/ग्राम्य विकास की योजनाओं के साथ नदियों का कायाकल्प**

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	➧ केन, बेतवा, सिंध, शहजाद, बाघिन, टोंस, पहुॅज, धसान और चम्बल बुन्देलखण्ड क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। मालवा में काली और सिंध नदियाँ बुन्देलखण्ड की पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती हैं। इन नदियों के समान्तर आगे पूर्व में बेतवा का क्षेत्र है। इसके पूर्व में केन बहती है, जिसके बाद बाघिन और टोंस नदियां है। इन नदियों के किनारों की ऊंचाई अधिक होने से उन्हें सिंचाई के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त बनाती है जिसके कारण सिंचाई तालाबों और टैंकों के माध्यम से की जाती है। ये कृत्रिम जलाशय आमतौर पर निचले छोरों पर तटबंधों से बनते हैं। इस प्रकार नदियों द्वारा बहने वाले पानी को रोक कर उसका उपयोग किया जाता है। इसलिए बुन्देलखण्ड में छोटी नदियों का कायाकल्प कृषि, पशुधन और अन्य आजीविका से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। अटल भूजल योजना के अंतर्गत पीने के पानी की स्रोत की निरन्तरता के लिए भी यह कार्य महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
2	एजेंसियों की भूमिका	➧ प्रशासकीय/सम्बन्धित विभाग

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
3	स्थान	➧ बुन्देलखण्ड क्षेत्र
4	वित्त पोषण	➧ केन्द्र / राज्य सरकार
5	परिणाम	➧ छोटी नदियों के पारिस्थितिकी तन्त्र की स्थिरता ➧ स्थिरता के लिए नदी के साथ जल पुनर्भरण गतिविधियों को बढ़ावा देना ➧ भूजल स्तर में सुधार ➧ सिंचाई सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि ➧ सामुदायिक सहभागिता और रोजगार सृजन
6	संकेतक	➧ नदी के साथ वाटरशेड क्षेत्रों का विकास ➧ नदी का बारहमासी प्रवाह ➧ नदी के जल स्तर में वृद्धि ➧ निकटवर्ती क्षेत्रों के भूजल उपलब्धता में वृद्धि

4.2.2 मध्यम अवधि

- **सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना, बांधों और नहरों का पुनरूद्धार और आधुनिकीकरण**

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	➧ बुन्देलखण्ड में नहर प्रणाली के अन्तर्गत खरीफ फसलों की सिंचाई मुख्य रूप से बाँदा जिले में होती है। झाँसी और जालौन जिलों के कुछ क्षेत्रों में खरीफ में भी नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। वर्षा की अनिश्चितता, जलाशयों में कम जल भंडारण और नहरों का विकास सीमित होने के कारण उपलब्ध संसाधन द्वारा कैनाल कमान्ड एरिया (सी0सी0ए0) में सिंचाई की पूर्ण सुविधा प्रदान नहीं हो पाई है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पुरानी नहर प्रणाली, बांधों, क्षतिग्रस्त टैंकों और बंधियों की बहाली का काम चल रहा है। जिला महोबा में जलाशयों को भरने के लिए अर्जुन सहायक परियोजना चल रही है, इससे सिंचाई क्षेत्र बढ़ेगा। चित्रकूट जिले में भी निर्मित जलाशयों को भरने के लिए एक ऐसी योजना आवश्यक है।
2	एजेंसियों की भूमिका	➧ प्रशासकीय / सम्बन्धित विभाग
3	स्थान	➧ बुन्देलखण्ड
4	वित्त पोषण	➧ केन्द्र / राज्य सरकार
5	परिणाम	➧ नहरों का पुनरूद्धार और आधुनिकीकरण
6	संकेतक	➧ पूर्ण परियोजनाओं की संख्या। ➧ नहर समादेश क्षेत्र।

- **नहर प्रणाली नेटवर्क का विकास**

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	बेतवा नहर में पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए 1910 में बेतवा नदी पर धुकवा बांध बनाया गया था। धसान नहर प्रणाली को पोषित करने के लिये 1906 से 1910 के दौरान धसान नदी पर लहचुरा और पहाड़ी बांध का निर्माण किया गया था। मांग बढ़ने के साथ पानी की आपूर्ति को पूरा करने और जल विद्युत के विकास के लिए 1952 से 1964 के दौरान धुकवा बांध और माताटीला बांध का निर्माण हुआ। इसके निर्माण के बाद बेतवा नहर प्रणाली द्वारा खेती योग्य क्षेत्रफल 2.95 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 4.04 लाख हेक्टेयर हो गया। इसके द्वारा झाँसी, हमीरपुर और जालौन जिलों में सिंचाई का लाभ मिलता है। पानी की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए बांध और नहर प्रणालियों को और विकसित करने की आवश्यकता है। इसके लिये कई विलुप्त या निकट भविष्य में विलुप्त होने वाली छोटी नदियों के कायाकल्प की आवश्यकता है। इसके अन्तर्गत झाँसी जिले की कनेरा नदी और चित्रकूट जिले की मंदाकिनी नदी को कायाकल्प के लिये चिन्हित किया गया है।
2	एजेंसियों की भूमिका	प्रशासकीय / सम्बन्धित विभाग
3	स्थान	बुन्देलखण्ड क्षेत्र
4	वित्त पोषण	केन्द्र / राज्य सरकार
5	परिणाम	गैर–सिंचित बंजर भूमि को नहर द्वारा सिंचाई होने से क्षेत्र में बायोमास की मात्रा में वृद्धि सूखे से उबरकर आर्थिक विकास में तीव्रता आना नहर विकास के माध्यम से वर्षा पर निर्भरता को कम करना नहर द्वारा सिंचाई के माध्यम से उच्च मूल्य की फसलों का उत्पादन सुनिश्चित होना असिंचित भूमि की तुलना में नहरों के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि होना नहर प्रणाली एक स्थायी संरचना है। लम्बे समय तक लाभ प्राप्त करने के लिए केवल इसके रखरखाव की आवश्यकता होती है भूजल स्तर बढ़ने से नये कुओं की खुदाई को प्रोत्साहन
6	संकेतक	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या। नहर समादेश क्षेत्र।

4.2.3 दीर्घ अवधि

- **जल संसाधनों की इंटर–लिंकिंग और इंट्रा–लिंकिंग (WRIMS)**

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	बुन्देलखण्ड में 80 प्रतिशत जल वर्षा के माध्यम से प्राप्त होता है और सतही जल प्रवाह 4 महीने की अवधि तक होता है। बुन्देलखण्ड में स्थानिक और सामाजिक भिन्नता के कारण सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक जल की मांग जल की प्राकृतिक उपलब्धता और मांग के बीच खाई पैदा करता है, जिसे नदियों को रोककर संतुलित किया जा सकता है। नदियों के परस्पर जुड़ाव नेटवर्क में नहरों और जलाशयों को भी शामिल किया जा सकता है, जो पानी की कमी और अवशेष क्षेत्रों के बीच पानी के संतुलन को बनाए रखकर सूखे और बाढ़ की समस्याओं को हल करने में सहायक हो सकता है।

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
2	एजेंसियों की भूमिका	➧ प्रशासकीय / सम्बन्धित विभाग
3	स्थान	➧ केन बेतवा नदी बेसिन, बुन्देलखण्ड (उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश)
4	वित्त पोषण	➧ केन्द्र / राज्य सरकार
5	परिणाम	➧ बहुउद्देशीय बांध के निर्माण से जल संरक्षण में बढ़ोत्तरी ➧ पानी और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना ➧ पानी का बेहतर प्रबंधन और उचित उपयोग ➧ कृषि को बढ़ावा ➧ आपदा शमन ➧ परिवहन को बढ़ावा
6	संकेतक	➧ नदियों की आपस में लिंकिंग ➧ जल, नहर और सिंचाई प्रणाली का विकास

- **नहर प्रणाली नेटवर्क का विकास**

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	➧ बेतवा नहर में पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए 1910 में बेतवा नदी पर धुकवा बांध बनाया गया था। मांग में वृद्धि के अनुसार पानी की आपूर्ति को पूरा करने के लिए और जल विद्युत के विकास के लिए 1952 से 1964 के दौरान माताटीला बांध का निर्माण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप बेतवा नहर प्रणाली के अन्तर्गत खेती योग्य क्षेत्रफल 2.95 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 4.04 लाख हेक्टेयर हो गया। बेतवा नहर प्रणाली द्वारा झाँसी, हमीरपुर और जालौन जिले को लाभ मिलता है। इसी प्रकार धसान नहर प्रणाली को पोषित करने के लिए 1906 से 1910 के दौरान धसान नदी पर लहचूरा और पहाड़ी बांध का निर्माण किया गया। बुन्देलखण्ड में जल की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए नहर प्रणाली को और विकसित किये जाने की आवश्यकता है।
2	एजेंसियों की भूमिका	➧ प्रशासकीय / सम्बन्धित विभाग
3	स्थान	➧ निर्धारित किया जाना
4	वित्त पोषण	➧ केन्द्र / राज्य सरकार
5	परिणाम	➧ नहर द्वारा सिंचाई से असिंचित बंजर भूमि को खेती योग्य बनाया जा सकता है, जिससे क्षेत्र में बायोमास की मात्रा बढ़ेगी। ➧ सूखे से उबरकर आर्थिक विकास में तेजी लाई जा सकती है। ➧ नहर विकास के माध्यम से वर्षा पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। ➧ सुनिश्चित नहर की सिंचाई के माध्यम से उच्च मूल्य वाली फसलों का उत्पादन भी सम्भव है। ➧ असिंचित भूमि की तुलना में नहरों के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि भी सम्भव है। ➧ नहर प्रणाली एक स्थायी संरचना है, इसलिए लम्बे समय तक लाभ प्राप्त करने के लिए केवल इसके रखरखाव की आवश्यकता होती है।

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
6	संकेतक	➧ परियोजनाओं की पूर्ण संख्या ➧ नहर कमाण्ड क्षेत्र ➧ लाभार्थियों की संख्या

4.3 जल–उपयोग दक्षता को बढ़ाना

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में **''जल–उपयोग दक्षता को बढ़ाना''** के सम्बन्ध में **(लघु ,मध्यम एवं दीर्घ अवधि की कार्य योजना)** का विवरण निम्न प्रकार हैः–

4.3.1 लघु अवधि

- **पहुॅज ड्रिप टू मार्केट एग्रो–हब (सिंचाई से बाजार तक सम्पर्क)**

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	➧ इस क्षेत्र में एकीकृत सूक्ष्म ड्रिप सिंचाई योजना का कार्यान्वयन, पारम्परिक रूप से बोई जाने वाली फसलों के स्थान पर उच्च मूल्य और कम पानी वाली फसलों को बोने तथा उच्च–उपज और उसकी खरीद के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सकता है। पहुॅज पर प्रस्तावित उक्त परियोजना 3660 हेक्टेयर समादेश क्षेत्र को लाभ पहुचाँएगी।
2	एजेंसियों की भूमिका	➧ प्रशासकीय / सम्बन्धित विभाग
3	स्थान	➧ पहुॅज बांध, विकास खण्ड–बबीना, जनपद झाँसी
4	वित्त पोषण	➧ केन्द्र / राज्य सरकार
5	परिणाम	➧ समादेश क्षेत्र में पानी की उपयोग दक्षता में वृद्धि ➧ डबल क्रॉपिंग चक्र के साथ कमांड क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि ➧ किसानों की बढ़ी हुई उपज के लिए बाजार उपलब्ध कराना
6	संकेतक	➧ जल–उपयोग दक्षता में वृद्धि ➧ किसानों की आय में वृद्धि ➧ बाजार सम्पर्क की स्थापना

- **सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना**

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	➧ बुन्देलखण्ड में सिंचाई दक्षता बढ़ाने के लिए समुदाय केन्द्रित कार्यक्रम, जिला प्रशासन और सामाजिक संगठनों के माध्यम से काम कर रहे किसानों की उत्पादकता और जल–उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए ड्रिप सिंचाई अपनाने हेतु लक्षित किसान समुदायों को सम्मिलित करना
2	एजेंसियों की भूमिका	➧ प्रशासकीय / सम्बन्धित विभाग
3	स्थान	➧ बुन्देलखण्ड क्षेत्र
4	वित्त पोषण	➧ केन्द्र / राज्य सरकार
5	परिणाम	➧ ड्रिप और स्प्रिंकलर से सिंचाई द्वारा सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि
6	संकेतक	➧ ड्रिप / स्प्रिंकलर सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र में वृद्धि

4.3.2 मध्यम अवधि

- **बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बाजार एग्रो हब के लिए 15 ड्रिप का विकास–पहुँज की पुनरावृत्ति**

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	ड्रिप–टू–मार्केट एग्रो हब (D.M.A.H.) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ड्रिप सिंचित क्षेत्रों को बाजार लिंकेज से जोड़ने की एक बड़े पैमाने पर पहल है। यह अग्रणी पहल उत्तर प्रदेश सरकार के जल संसाधन, कृषि, बागवानी, वाटरशेड डेवलेपमेन्ट विभागों के प्रतिनिधित्व के साथ निजी क्षेत्र के भागीदारों को बढ़ावा देने की योजना है। यह योजना ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने के साथ–साथ कृषि व्यवसाय से सम्बन्धित कम्पनियों, निवेश प्रदाताओं, वित्तीय संस्थानों और प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ साझेदारी पर ध्यान केन्द्रित करती है, जिससे कृषि उपज को बेचने हेतु बाजार उपलब्धता, किसानों की आजीविका में सुधार और बुनियादी ढांचे तथा कृषि विस्तार हेतु सहायक अर्थव्यवस्थाओं में सुधार किया जा सकता है। कर्नाटक सरकार द्वारा भी इस तरह की साझेदारियों के विकास में तेजी लाने के लिये एक परियोजना प्रबन्धन इकाई को स्थापित किया जा रहा है। झाँसी के बबीना ब्लॉक में पहुँज बांध पर इस परियोजना को शुरू करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी गई है। इस पहल को बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बड़े पारम्परिक जल निकायों पर निर्मित अन्य बांधों तक पहुंचाया जा सकता है।
2	एजेंसियों की भूमिका	प्रशासकीय / सम्बन्धित विभाग
3	स्थान	ललितपुर, महोबा, हमीरपुर और झाँसी जनपद
4	वित्त पोषण	केन्द्र / राज्य सरकार
5	परिणाम	ड्रिप सिंचाई प्रणाली का विस्तार (परियोजना क्षेत्र में कम से कम 50 प्रतिशत कवरेज) अनुबंध खेती के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि उत्पादन के लिए बेहतर मार्केट लिंकेज बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज के माध्यम से आय में वृद्धि
6	संकेतक	योजना के तहत विकसित किये गये बांधों की संख्या ड्रिप इरिगेशन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र ड्रिप–टू–मार्केट एग्रो हब (D.M.A.H.) के लिए एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर करने वाली कंपनियों की संख्या ड्रिप–टू–मार्केट एग्रो हब (D.M.A.H.) भाग लेने वाले किसानों की संख्या

4.3.3 दीर्घ अवधि

- **सभी बड़े बांधों / जलाशयों के कमाण्ड क्षेत्रों के साथ–साथ पूरे क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को विकसित करना**

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	विभिन्न कारणों से सीमित जल उपलब्धता बुन्देलखण्ड की मुख्य समस्या है। सिंचित कृषि क्षेत्रों में पानी की उच्च मांग रहती है। इस सन्दर्भ में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली कृषि उपज और आय में वृद्धि करने के साथ ही पानी की खपत को कम कर सकती हैं। फसल उगाने के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग करके और पौधों की जड़ों तक सीधे उर्वरक पहुंचाने के लिए, किसान उच्च मूल्य की फसलें उगा सकते हैं और अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, बुन्देलखण्ड में बड़ी संख्या में बड़े जलाशय हैं जिन्हें सूक्ष्म सिंचाई के विकास के लिए जल स्रोत के रूप में विकसित किया जा सकता है।

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
2	एजेंसियों की भूमिका	प्रशासकीय / सम्बन्धित विभाग
3	स्थान	झाँसी, महोबा, ललितपुर और हमीरपुर जिलों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के विकास के लिए 15 बड़े जलाशयों को पहले से ही चिन्हित किया जा चुका है।
4	वित्त पोषण	केन्द्र / राज्य सरकार
5	परिणाम	20 से 48 प्रतिशत सिंचाई के पानी की बचत 10 से 17 प्रतिशत तक ऊर्जा की बचत 30 से 40 प्रतिशत तक श्रम लागत की बचत 11 से 19 प्रतिशत उर्वरकों की बचत 20 से 38 प्रतिशत फसल उत्पादन में वृद्धि किसान लाभार्थी की शुद्ध वार्षिक आय में वृद्धि
6	संकेतक	जल–उपयोग दक्षता में वृद्धि किसान आय में वृद्धि किसानों की बाजार तक पहुंच

4.4 सतत भूजल प्रबंधन एवं सामुदायिक सहभागिता

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में **''सतत भूजल प्रबंधन एवं सामुदायिक सहभागिता''** के सम्बन्ध में **लघु ,मध्यम एवं दीर्घ अवधि की कार्य योजना** का विवरण निम्न प्रकार है:–

4.4.1 लघु अवधि

- **अटल भूजल योजना का प्रभावी क्रियान्वयन**

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	अटल भूजल योजना का उद्देश्य पानी के संदर्भ में संकटग्रस्त विकास खण्डों में भूजल की स्थिति को प्रभावी ढंग से सुधारने के साथ गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस क्षेत्र में भागीदारी के माध्यम से भूगर्भ जल प्रबंधन के लिए समुदाय की भागीदारी और संस्थागत सुदृढ़ीकरण किया जाना अति आवश्यक है।
2	एजेंसियों की भूमिका	प्रशासकीय / सम्बन्धित विभाग
3	स्थान	महोबा–कबरई, चरखारी, जैतपुर और पनवारी विकास खण्ड झाँसी–मऊरानीपुर और बबीना विकास खण्ड बाँदा–बारोखर, तिंदवारी, जसपुरा, नरैनी और महुआ विकास खण्ड हमीरपुर–सुमेरपुर, मौदहा, मुस्करा और सरीला विकास खण्ड चित्रकूट–कर्वी, रामनगर, मऊ और मानिकपुर विकास खण्ड ललितपुर–तालबेहट विकास खण्ड

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
4	वित्त पोषण	↓ केन्द्र / राज्य सरकार
5	परिणाम	↓ भूजल स्तर का स्थायी प्रबंधन ↓ चेकडैमों का निर्माण तथा ग्राम तालाबों का निर्माण ↓ डिमांड साइड इंटरवेंशन अर्थात् सिंचाई, कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देना ↓ ग्राम पंचायत हेतु जल बजट का प्रस्ताव है, लेकिन भागीदारी के दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायत वार जल सुरक्षा योजना तैयार करना भी प्रस्तावित है
6	संकेतक	↓ जल सुरक्षा योजना बनाने वाले ग्राम पंचायतों की संख्या ↓ भूजल स्तर में सुधार करने वाले ग्राम पंचायतों की संख्या

- **बुन्देलखण्ड में स्थायी कृषि और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए जलवायु अनुकूल कृषि उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि**

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	↓ प्रौद्योगिकी के विस्तार द्वारा दालों की उपज के अंतर को कम करने के लिए क्लस्टर प्रदर्शन और टिकाऊ जलवायु अनुकूल स्मार्ट कृषि के विकास में तीव्रता और विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करना, स्थानीय स्तर पर बीज केंद्रो का विकास, स्पाइनलेस कैक्टस को पशु चारा वाली फसल के पूरक के रूप में बढ़ावा देना, पानी की उपलब्धता बढ़ाकर वार्षिक और बारहमासी फल, सब्जियां और अन्य उपयुक्त उच्च मूल्य वाली फसलें उगाना इसके प्रमुख घटक होंगे। इसी प्रकार सब्जियों की उच्च पैदावार वाली फसलों को उगाने के लिए पानी का अधिकतम उपयोग करके लाभदायक फसल पद्धति के लिए उपयुक्त मॉडल तैयार करना, फलों की फसल के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण तथा औपचारिक/अनौपचारिक प्रशिक्षण गतिविधियों के माध्यम से विभिन्न हितधारकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं।
2	एजेंसियों की भूमिका	↓ प्रशासकीय/सम्बन्धित विभाग
3	स्थान	↓ बुन्देलखण्ड क्षेत्र
4	वित्त पोषण	↓ केन्द्र / राज्य सरकार
5	परिणाम	↓ जलवायु के अनुकूल कृषि विकास के परिप्रेक्ष्य में दलहनी फसलों के उपज अंतराल को कम करके मौजूदा फसल प्रणाली की उत्पादकता में वृद्धि करना ↓ गहन तकनीकों और विविधता पर जोर देने वाली स्थापित प्रौद्योगिकियों का विस्तार करना ↓ पशुओं के लिए विशेष रूप से गर्मियों के दौरान स्पाइनलेस कैक्टस के रूप में हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करना ↓ उच्च मूल्य और कम पानी की आवश्यकता वाले फसलों की शुरूआत जैसी विशिष्ट गतिविधियों से भू–उत्पादकता को बढ़ाना
6	संकेतक	↓ किसान की आय में वृद्धि ↓ प्रति एकड़ उपज में वृद्धि

● व्यापक भूगर्भ जल स्रोत मानचित्रण (एक्विफर मैपिंग)

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	➧ बुन्देलखण्ड क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति पुराने आर्कियन ग्रेनाइट और तृतीयक और चतुर्थक जलोढ़ तलछट का एक जटिल भूवैज्ञानिक मिश्रण है। भूवैज्ञानिक संरचनाएं, भू–आकृति विज्ञान, मिट्टी के प्रकार और जलविज्ञानी गुण जलविभाजक के रूप में भूजल की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। बेतवा और केन, जो यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, के उप–जल क्षेत्रों (सब–बेसिन) के घने भागों में ग्रेनाइट वाले हिस्सो में कम से कम दो जल क्षेत्र हैं और कई अन्य जल क्षेत्रों की सम्भावना है। ➧ केंद्रीय भूजल बोर्ड ने राष्ट्रीय एक्विफर मैपिंग परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र का विस्तृत जलविद्युत मानचित्रण शुरू किया है, जो भूजल प्रबंधन के लिए उपयोगी आंकड़ें प्रदान करता है। हाल के वर्षों के अपने गतिशील भूजल संसाधन रिपोर्ट में केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा अति–दोहित भागों के अधिकांश क्षेत्रो में भूजल विकास को महत्वपूर्ण माना गया है। यद्यपि पिछले दशक में अधिकांश वर्षों में बारिश कम अथवा बहुत कम हुई है, फिर भी प्रत्येक वर्ष उपलब्ध भूजल को दोहित किया जा रहा है, जिससे भूजल के उपयोग की सभी श्रेणियों– कृषि, घरेलू और उद्योगों में निरंतर वृद्धि हुई है। ➧ राज्य सरकार द्वारा भूजल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भूमिगत जल–स्तर एवं भू–जल संरक्षण रणनीतियों के लिए वाटरशेड पर व्यापक और गहन अध्ययन की आवश्यकता है। इसके साथ ही सतही जल एवं भूजल के समुचित उपयोग की समझ भी विकसित करनी होगी।
2	एजेंसियों की भूमिका	➧ प्रशासकीय / सम्बन्धित विभाग
3	स्थान	➧ बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जिलों में प्राथमिकता वाले डार्क जोन ➧ प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्राथमिकता के नये क्षेत्र
4	वित्त पोषण	➧ केन्द्र / राज्य सरकार
5	परिणाम	➧ उच्च प्राथमिकता वाले उप–वाटरशेड के लिए विस्तृत जल विज्ञान सम्बन्धी नक्शे ➧ विस्तृत भूजल संरक्षण योजना और डिजाइन
6	संकेतक	➧ मानचित्रित किए गए सतही जल क्षेत्र

● पायलटिंग टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन–भुंगरू

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	➧ भुंगरू (BHUNGROO), एक बेहतरीन जल प्रबंधन प्रणाली है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहित एक अनूठी भारतीय नवाचार तकनीक है, जिसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु के अनुकूल प्रौद्योगिकी केंद्र में शामिल किया गया है। इसमें विभिन्न तकनीकों यथा–एक्विफर स्टोरेज एंड रिकवरी (A.S.R.), प्रबंधित एक्विफर रिचार्ज एंड रिकवरी (MARR) और वर्टिकल ड्रेनेज (VD) आदि शामिल हैं। भुंगरू जल को संशोधित (फिल्टर) कर जल को भूगर्भ में ले जाने (इंजेक्शन) और एकत्रण (स्टोरेज) का कार्य करता है, जो सूखे की स्थिति में पानी की आपूर्ति करने वाले प्राकृतिक स्रोत के रूप में अतिरिक्त वर्षा जल की आपूर्ति करता है। प्रत्येक भुंगरू अपने आप में विशिष्ट होता है, जिसे 16 स्थानीय सामुदायिकरण के साथ–साथ नवीनतम तकनीक से युक्त उपकरण यथा– सैटेलाइट टॉप मृदा मानचित्र, समोच्च मानचित्र, उपमृदा छवियॉं, प्रतिरोधकता और जियोहाइड्रोलॉजी लॉग डेटा आदि के सहसम्बन्ध के माध्यम से डिजाइन और विकसित करके बनाया जाता है। इसकी विशिष्ट डिजाइन के द्वारा जल आपूर्ति बढ़ाकर किसानों की गरीबी को दूर किया जा सकता है और सभी प्रकार के पाइप जिसमें प्लास्टिक, पी0वी0सी0, यू0पी0वी0सी0, एच0डी0पी0वी0सी0, कास्ट आयरन, रॉट आयरन तथा सीमेंट पाइप आदि शामिल हैं, के अनुरूप निस्पंदन दक्षता को समायोजित करते हैं। उपलब्ध ड्रिलिंग

		प्रणाली के अनुरूप भुंगरू आवरण की गहराई 15 से 500 मीटर तक होती है। भुंगरू आवरण छिद्र रिक्ति और स्थानों में भिन्नता के साथ–साथ क्षैतिज, थ्रेडेड, वर्टिकल, कोणीय और गोलाकार हो सकते हैं। आमतौर पर प्रत्येक भुंगरू बहुस्तरीय होता है। सभी भुंगरू को स्थानीय स्तर पर कौशल विशिष्ट मैनुअल रखरखाव की आवश्यकता होती है और भुंगरू में ए0सी0/डी0सी0 पम्प दोनो सुविधा होती है। प्रत्येक इकाई हर साल 0.4 से 10 मिलियन लीटर पानी का प्रबन्ध कर सकती है।
2	एजेंसियों की भूमिका	➧ प्रशासकीय/सम्बन्धित विभाग
3	स्थान	➧ बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ललितपुर और झाँसी जिले इसके निष्पादन के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र हो सकते हैं। अंतिम चयन आवश्यकताओं, निर्धारित मापदंडों और उचित अधिकारियों से मार्गदर्शन के आधार पर तय किया जा सकता है।
4	वित्त पोषण	➧ केन्द्र/ राज्य सरकार
5	परिणाम	➧ मौसमी जल जमाव से खेत को बचाना अर्थात् मानसून फसलों के अस्तित्व की गारण्टी ➧ मौसमी शुष्क स्पंद और सूखे से खड़ी फसलों को बचाना अर्थात् सर्दियों की फसलों और गर्मियों की फसलों के अस्तित्व की गारण्टी ➧ नहर प्रणाली के अन्तिम छोर तक किसानों को सुनिश्चित सिंचाई उपलब्ध कराना ➧ नहर की शृंखला के प्रत्येक कि0मी0 के लिए 50 प्रतिशत से अधिक सिंचाई सुलभता लागत की बचत ➧ गैर फसली भूमि का विकास ➧ सबसे अच्छी फसल प्रजातियां सुनिश्चित करना और किसानों की कृषि आय दोगुनी करना ➧ शून्य जल पदचिन्ह के अन्तर्गत सिंचाई की गारंटी ➧ राज्य के लिए सबसे अच्छी जलवायु के अनुकूल कृषि
6	संकेतक	➧ जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि ➧ भूजल स्तर में वृद्धि

- **न्यूनतम पचास प्रतिशत महिलाओं वाले जल उपयोगकर्ता समूहों (WUA) यथा–पानी पंचायत, गांव–स्तर की जल सुरक्षा योजना और जल बजट के लिए प्रत्येक जिले में जल सहेली की स्थापना**

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	➧ वाटर यूजर एसोसिएशन (WUA) एक औपचारिक सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन के लिए किसानों को एक साथ लाने के लिए बनाया गया औपचारिक संगठन हैं। वाटर यूजर एसोसिएशन में सभी किसानों को एक ही स्रोत (तृतीयक नहर या भूजल) से पानी साझा करना होता है। वे अपने स्तर पर सिंचाई और जल निकासी व्यवस्था के प्रबंधन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। वे उच्च स्तर के सिंचाई और जल संसाधन प्रबंधन में भी योगदान करते हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में चार साल लगातार सूखे के बाद जल सहेली और पानी पंचायत जैसे वाटर यूजर एसोसिएशन बनाए गये। पानी की कमी का प्राथमिक प्रभाव यह था कि महिलाओं को बहुत सारी त्रासदियों का सामना करना पड़ता था। बड़ी मात्रा में पलायन और व्यापक स्तर पर कुपोषण देखने को मिलते थे। जल सहेलियों ने न केवल यह सुनिश्चित किया कि हैंडपम्प और जलाशय कहां पर विकसित किये जायें, बल्कि यह भी कि सामुदायिक नियम और कानून बनाकर इसका कैसे उपयोग किया जाये। जल सहेलियों ने अपने गांवों में हैंडपम्पों के पास सोख्ता/गड्ढे बनवाये हैं जिससे पानी की बर्बादी कम होती है। धीरे–धीरे अधिक पानी वाली फसलों की बुवाई को कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों से बदल दिया गया है। जल सहेली संगठन न केवल पानी की कमी के मुद्दे को हल करने में सहायक रहा है, बल्कि महिलाओं को स्थानीय प्रशासन का एक

		महत्वपूर्ण हिस्सा बनाकर उन्हें सशक्त बनाने में भी मदद की है। यद्यपि देश में जल संकट की स्थिति है, परन्तु जल सहेलियों ने छोटे–छोटे कार्यों, जल बजट, ग्राम जल सुरक्षा योजना आदि के माध्यम से अपने गांवों में जल उपलब्धता को सुनिश्चित किया है।
2	एजेंसियों की भूमिका	➧ प्रशासकीय / सम्बन्धित विभाग
3	स्थान	➧ बुन्देलखण्ड क्षेत्र
4	वित्त पोषण	➧ केन्द्र / राज्य सरकार
5	परिणाम	➧ बेहतर जल प्रबंधन ➧ पारम्परिक जल निकायों का सामुदायिक स्वामित्व ➧ ग्राम स्तर पर जल बजट और जल सुरक्षा योजना
6	संकेतक	➧ जल सहेली के रूप में प्रशिक्षितों की संख्या ➧ जल बजट और जल सुरक्षा योजना की संख्या

- **पीने के पानी तक पहुंच बढ़ाना**

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	➧ संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य स्वच्छ जल तक सभी की पहुँच बनाना है। प्वांइट–ऑफ–यूज (POU) जल कीटाणुशोधन प्रणाली की ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक उपयोगिता है। भारत में केवल 21.4 प्रतिशत परिवारों के आवासों में पानी उपलब्ध है और लगभग 31 प्रतिशत लोग हैंडपम्पों का उपयोग करते हैं। अटल भूजल कार्यक्रम एक दूरदर्शी भूजल कार्यक्रम है, जो भारत में पानी के महत्वपूर्ण स्रोतों के विकास हेतु कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त भूजल का प्रबंधन करने के लिए सभी हितधारकों विशेषकर स्थानीय समुदाय के मध्य मजबूत भागीदारी की आवश्यकता है। 2011–2022 के लिए भारत सरकार की रणनीति / योजना के अनुसार देश में 90 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को पाइप जलापूर्ति से लाभान्वित किया जाना है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की लगभग 10 प्रतिशत ग्रामीण आबादी ही पाइप जलापूर्ति योजनाओं से आच्छादित है।
2	एजेंसियों की भूमिका	➧ प्रशासकीय / सम्बन्धित विभाग
3	स्थान	➧ बुन्देलखण्ड क्षेत्र
4	वित्त पोषण	➧ केन्द्र / राज्य सरकार
5	परिणाम	➧ बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता ➧ पोषण परिणामों में सुधार
6	संकेतक	➧ पेयजल योजनाओं के अंतर्गत आने वाले गांवों की संख्या ➧ लाभान्वित परिवारों की संख्या

● किसान प्रशिक्षण और संस्थागत क्षमता निर्माण

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	➧ उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण द्वारा किसानों की आय और आजीविका में सुधार के लिए पानी की उपलब्धता, जल संकट के बारे में जागरूकता और इसकी उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए बुन्देलखण्ड के लिए उत्कृष्टता केंद्र की अवधारणा हेतु प्रयास किया जा रहा है ➧ पानी के उपयोग की दक्षता और बढ़ी हुई उत्पादकता के अतिरिक्त बाजारों से सम्पर्क योजना की शुरुआत की आवश्यकता, मूल्य सम्वर्धन और प्रसंस्करण की आवश्यकता, निर्यात के लिए अंतर्राज्यीय व्यापार और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ➧ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सी0ओ0ई0) ज्ञान हस्तांतरण और किसान को सर्वोत्तम तकनीक के प्रदर्शन के लिए एक मंच हो सकता है। सी0ओ0ई0 का एक लक्ष्य क्षेत्र में प्रमुख फसलों पर ध्यान देने के साथ–साथ किसानों की सेवा करना है। सी0ओ0ई0 को भारत सरकार के भारत–इजराइल कृषि परियोजना (IIAP) के अन्तर्गत विकसित किया जाता है।
2	एजेंसियों की भूमिका	➧ प्रशासकीय / सम्बन्धित विभाग
3	स्थान	➧ बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बाँदा (BUAT)
4	वित्त पोषण	➧ केन्द्र / राज्य सरकार
5	परिणाम	➧ बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बाँदा में उत्कृष्टता केंद्र (सी0ओ0ई0) जल की उपलब्धता बढ़ाने, जल संकट के बारे में जनमानस को जागरूक करने और इसकी उपयोग दक्षता के लिए ज्ञान हस्तांतरण और प्रदर्शन के लिए एक मंच होगा। इसका प्रमुख लक्ष्य क्षेत्र में प्रमुख फसलों पर ध्यान देने के साथ किसानों की सहायता करना है। उत्कृष्टता केन्द्र सतह और भूजल संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग, वैज्ञानिक सिंचाई प्रणाली, उच्च तकनीक बागवानी और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सुधार पर अपनी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इससे होने वाला अनुमानित लाभ निम्नवत् है:– ✓ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि और क्षेत्र और राज्य में फसल की उपज में बढ़ोत्तरी ✓ फार्म परिवार की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और पोषण में स्थिरता ✓ किसान उत्पादक संगठनों का गठन (एफ0पी0ओ0) ✓ बाजार हब की स्थापना के लिए मार्ग ✓ कृषि आधारित उद्यमों की स्थापना और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मार्ग ✓ रोजगार के अवसर और प्रवास के लिए निवासियों की जाँच का अवसर प्रदान करना
6	संकेतक	➧ प्रति एकड़ उपज में वृद्धि ➧ किसानों की आय में वृद्धि

● देवास के तालाब और राजस्थान के जलाशय प्रबन्धन जैसे सफल मॉडल की प्रतिकृति और विस्तार

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	✦ पारम्परिक जल निकाय यथा–टैंक, तालाब और छोटे जलाशय बुन्देलखण्ड क्षेत्र का अंतर्निहित हिस्सा हैं जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। ये जल निकाय परम्परागत रूप से भूजल को रिचार्ज करने, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, मछली पालन के साथ–साथ संस्कृति आदि को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शताब्दियों से इन जल निकायों ने अपने आस–पास के क्षेत्रों में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में इनमें से कई जल निकाय कई कारणों से उपेक्षित हो गये हैं। इन जल निकायों को पुनर्जीवित करने और उनके पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से जीवंत करने की तत्काल आवश्यकता है, जिससे स्थायी जल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जल निकायों के कायाकल्प और विकास के कई सफल और विस्तार योग्य मॉडल हैं।
2	एजेंसियों की भूमिका	✦ प्रशासकीय / सम्बन्धित विभाग
3	स्थान	✦ बुन्देलखण्ड क्षेत्र
4	वित्त पोषण	✦ केन्द्र / राज्य सरकार
5	परिणाम	✦ जल निकायों के व्यापक सुधार और बहाली से टैंक भंडारण क्षमता में वृद्धि ✦ जलाशय कमांड के जलग्रहण क्षेत्रों में सुधार ✦ सतह और भूजल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देकर बेहतर जल उपयोग दक्षता के माध्यम से पर्यावरणीय लाभ ✦ भूजल पुनर्भरण ✦ पेयजल की बढ़ती उपलब्धता ✦ प्रत्येक जल निकाय के स्थायी प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी और स्वावलम्बी प्रणाली ✦ बेहतर जल प्रबंधन में समुदायों की क्षमता निर्माण ✦ पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों आदि का विकास
6	संकेतक	✦ कायाकल्प किये गये तालाबों की संख्या ✦ भाग लेने वाले किसानों की संख्या

● बुन्देलखण्ड क्षेत्र में उच्च मूल्य (हाई वैल्यू) कृषि और बाजार सम्पर्क

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	✦ सामान्यतः मुख्य खाद्य पदार्थ उच्च मूल्य की वस्तुयें नहीं होती हैं क्योंकि उनके उपभोग की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम कीमत पर संतुलन की मांग और आपूर्ति की ओर ले जाती है। उच्च मूल्य कृषि, उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को प्रदर्शित करता है जो पारम्परिक फसलों की तुलना में प्रति एकड़ अधिक राजस्व उत्पन्न करता है जिसके लिये बाजार की काफी मांग है। भारत के पारम्परिक अनाज आधारित कृषि के विपरीत, उच्च–मूल्य वाली कृषि एक अलग वातावरण में संचालित होती है, जिसमें किसानों, प्रसंस्करणकर्ता और संगठित खुदरा विक्रेताओं को एक साथ जोड़ने के लिए नई सोच की आवश्यकता होती है। कृषि में विविधता, खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ ही उच्च लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए उच्च मूल्य वाली वस्तुओं को एक साधन के रूप में देखा जाना चाहिए। स्वस्थ खाद्य पदार्थों, पर्यावरण सेवाओं सहित कृषि पर नई मांगों को पूरा करने और ग्रामीण रोजगार, उच्च कृषि आय सृजन और ग्रामीण पलायन जैसी चिंताओं को दूर करने के लिए उच्च मूल्य कृषि (एच0वी0ए0) की संस्कृति को मजबूत करना आवश्यक है।
2	एजेंसियों की भूमिका	✦ प्रशासकीय / सम्बन्धित विभाग

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
3	स्थान	ड्रिप टू मार्केट एग्री मॉडल के साथ एकीकृत
4	वित्त पोषण	केन्द्र / राज्य सरकार
5	परिणाम	किसानों के लिए बेहतर आजीविका कम पानी वाली फसलों के साथ सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी का समुचित उपयोग पारम्परिक फसलों के स्थान पर उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता बढ़ोत्तरी से अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा किसान प्रशिक्षण और सहायता के लिए प्रभावी किसान उत्पादन संगठन (एफ0पी0ओ0) / जल उपयोग संगठन (डब्ल्यू0यू0ए0) / स्वयं सहायता समूह (एस0एच0जी0) स्थापित करना बुन्देलखण्ड क्षेत्र में उच्च मूल्य की फसलों के लिए बाजारों का विकास करना और सम्भावित खरीददार (ऑफ–टेकर्स) को शामिल करना सर्वश्रेष्ठ कृषि तकनीकों और अभिनव मॉडल की प्रतिकृति
6	संकेतक	किसान आय में वृद्धि मार्केट संपर्क स्थापित

4.4.2 मध्यम अवधि

- **मनरेगा / गांव योजनाओं के साथ अभिसरण**

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	मनरेगा में मनरेगा निधि का उपयोग कर बनाये गये / प्रस्तावित बजट का आजीविका से सम्बन्धित क्रियाओं के लिये उपयोग करने का प्रावधान है। मनरेगा के तहत कार्य निष्पादन के दौरान आजीविका के लिए परिसम्पत्तियों के उपयोग, निर्मित / प्रस्तावित या क्षमता निर्माण के लिए सम्पत्ति की गुणवत्ता में सुधार और विशेष रूप से अभिसरण के लिए प्रत्येक सम्बन्धित विभाग द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी (तकनीकी) नोडल अधिकारी, एक ''स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर कन्वर्जेंस'' का प्राविधान है। मनरेगा के माध्यम से शुरू की गई अभिसरण गतिविधियों की योजना, तकनीकी सहायता, निगरानी और पर्यवेक्षण का दायित्व प्रधान, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का है। आयुक्त, मनरेगा इसके नोडल अधिकारी होंगे और अतिरिक्त आयुक्त, मनरेगा, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश में मनरेगा में पहले से ही 13 भागीदार हैं। मनरेगा से अभिसरण के माध्यम से पानी से सम्बन्धित मुद्दों के अधिकतम परिणामों के लिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके इसका लाभ उठाया जा सकता है।
2	एजेंसियों की भूमिका	प्रशासकीय / सम्बन्धित विभाग
3	स्थान	बुन्देलखण्ड क्षेत्र
4	वित्त पोषण	केन्द्र / राज्य सरकार
5	परिणाम	छोटी नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता स्थिरता के लिए नदी के साथ जलपुनर्भरण गतिविधियों को बढ़ावा देना भूजल स्तर में सुधार विस्तारित सिंचाई सुविधाओं के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना सामुदायिक व्यस्तता और रोजगार सृजन
6	संकेतक	अभिसरण में योगदान करने वाले विभागों की संख्या अभिसरण के अंतर्गत लाई गई योजनाओं की संख्या धन आवंटन

- **मार्केट लिंकेज/प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना**

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	मार्केट लिंकेज मॉडल छोटे उत्पादकों, स्थानीय फर्मों, सहकारी समितियों और बाहरी बाजार के बीच व्यापार सम्बन्धों को सुविधाजनक बनाता है। मार्केट एक्सेस प्रोग्राम मूल्य श्रृंखला में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मार्केट एक्सेस चुनौतियों को सरल बनाते हुये किसानों की आर्थिक स्थिरता को मजबूत करता है।
2	एजेंसियों की भूमिका	प्रशासकीय/सम्बन्धित विभाग
3	स्थान	बुन्देलखण्ड क्षेत्र
4	वित्त पोषण	केन्द्र/ राज्य सरकार
5	परिणाम	किसानों को बाजार की उपलब्धता किसानों की बेहतर आय खाद्य प्रसंस्करण कम्पनियों को आश्वस्त आपूर्ति क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास
6	संकेतक	एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर करने वाली कंपनियों की संख्या भाग लेने वाले किसानों की संख्या सुनिश्चित बाजार के लिए उपलब्ध कृषि उत्पादों की मात्रा

4.4.3 दीर्घ अवधि

- **बुन्देलखण्ड क्षेत्र में उच्च मूल्य के कृषि उत्पाद और उनकी बाजार व्यवस्था**

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	कृषि में संलग्न परिवारों की बाजारों में पहुंच उनकी आय निर्धारित करने के साथ ही विविध फसलों की खेती को प्रोत्साहित करती है। बुन्देलखण्ड में बाजार ज्यादातर सीमित बुनियादी ढांचे के साथ असंगठित हैं, जो आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को सीमित करते हैं। इसलिए पारम्परिक बाजारों के समानांतर वैकल्पिक बाजारों के साथ सीधा सम्बन्ध समृद्धि की कुंजी है। यह सिंचाई विकास के माध्यम से विश्वसनीय उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला को विकसित करके सुनिश्चित किया जा सकता है। यह मूल्य श्रृंखलाओं और नए विपणन प्लेटफार्मों के लिए प्रभावी ढंग से लिंक करने के लिए छोटे खेतों के दायरे को विकसित करने के साथ ही लेनदेन की लागत को कम करने, बाजार के बुनियादी ढांचे को विकसित करने और सुधारने और बिचौलियों के प्रभाव को सीमित करने में सहायक होगा।
2	एजेंसियों की भूमिका	प्रशासकीय/सम्बन्धित विभाग
3	स्थान	बुन्देलखण्ड क्षेत्र
4	वित्त पोषण	केन्द्र/ राज्य सरकार
5	परिणाम	सम्भावित उच्च रिटर्न
		कृषि लागत, तकनीकी सहायता, ऋण सुविधा तक आसान पहुँच किसानों को बेहतर कीमत पर विश्वसनीय बाजार फसल विपणन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग और भण्डारण तथा कृषि उत्पादक संगठनों (एफ0पी0ओ0) के माध्यम से प्रसंस्करण सुविधायें
6	संकेतक	किसान आय में वृद्धि बाजार सम्पर्क की स्थापना

4.5 पानी की मांग और उपलब्धता की निगरानी के माध्यम से प्रभावी जल प्रबंधन

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में **''पानी की मांग और उपलब्धता की निगरानी के माध्यम से प्रभावी जल प्रबंधन''** के सम्बन्ध में **लघु, मध्यम एवं दीर्घ अवधि की कार्य योजना** का विवरण निम्न प्रकार है:

4.5.1 लघु अवधि

- **जल संसाधनों के लिए एकीकृत प्रणाली (WRIMS)**

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	जल संसाधन सूचना और प्रबंधन प्रणाली (WRIMS) को राज्य में सभी जल संसाधनों की वास्तविक दृश्यता के सापेक्ष निकटस्थ स्थल पर मांग और आपूर्ति के विस्तृत घटकों के साथ ग्राम स्तर पर इंटरैक्टिव जी0आई0एस0 प्रणाली को विकसित किया जा सकता है।
2	एजेंसियों की भूमिका	प्रशासकीय / सम्बन्धित विभाग
3	स्थान	बुन्देलखण्ड क्षेत्र
4	वित्त पोषण	केन्द्र / राज्य सरकार
5	परिणाम	बृहद् से सूक्ष्म स्तर तक के क्षेत्रों में जल संसाधनों की दृश्यता अधिकारियों और जल उपयोगकर्ता संघ के बीच बढ़ते सामंजस्य क्षेत्र में जल संरक्षण की स्थिति की विस्तृत समझ और सम्बन्धित गतिविधियों का प्रभावी विश्लेषण विकसित करना क्षेत्र में पानी की कमी तथा उसके कारणों को समझना
6	संकेतक	डैशबोर्ड का विकास विभिन्न मापदंडों पर डेटा

4.5.2 मध्यम अवधि

- **निगरानी स्टेशनों और सेंसर की स्थापना**

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	भूजल निगरानी केन्द्रों तथा बारिश और मौसम की निगरानी इकाइयों की स्थापना के लिए रणनीतिक स्थानों की पहचान
2	एजेंसियों की भूमिका	प्रशासकीय / सम्बन्धित विभाग
3	स्थान	बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी जिले
4	वित्त पोषण	केन्द्र / राज्य सरकार
5	परिणाम	WRIMS और निर्णय समर्थन प्रणाली योजना हेतु वास्तविक डेटा संग्रह, विभिन्न स्थानों पर डेटा अन्तराल को पूरा करना
6	संकेतक	मॉनिटरिंग स्टेशन की संख्या सतत डेटा रिपोर्टिंग

- **सिंचाई प्रबंधन प्रणाली और गांव स्तर के मानचित्रों का डिजिटलीकरण**

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	इसके अन्तर्गत नहर प्रणालियों के कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण का विस्तार करना, नहर के अन्तिम छोर तक सम्पूर्ण नहर प्रणाली का डिजिटल लेआउट बनाना, कमांड क्षेत्र में फसल पैटर्न तथा सिंचाई हेतु जल की मांग और आपूर्ति की स्थिति को समझने के लिए जी0आई0एस0 द्वारा डेटा का एकत्रीकरण तथा डिजिटलीकरण।
2	एजेंसियों की भूमिका	प्रशासकीय / सम्बन्धित विभाग
3	स्थान	बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी जिले।
4	वित्त पोषण	केन्द्र / राज्य सरकार
5	परिणाम	सिंचाई जल की उपलब्धता और फसल स्वास्थ्य विश्लेषण। नहर का व्यवस्थित परिचालन। कमांड एरिया सिंचाई अनुसूची। पानी की उपयोग दक्षता में सुधार। अन्तिम छोर तक पानी का वितरण। प्रत्येक ऑफसेट बिंदु पर पानी की ट्रैकिंग।
6	संकेतक	विकसित किये गये भूस्वामित्व (Cadastral) मानचित्र। कृषि क्षेत्र का डिजीटलीकरण।

4.5.3 दीर्घ अवधि

- **ऑन–ग्राउंड मॉनिटरिंग तंत्र द्वारा संचालित बृहद् जन सपोर्ट सिस्टम (UPWRIMS)**

क0सं0	मद	दायित्व (रोल)
1	विवरण	जल लेखा–जोखा (भूतल और भूजल, राज्य से गांव तक), जलाशय भण्डारण, बाढ़ का पूर्वानुमान, मिट्टी की नमी, सिंचाई की सलाह, जल संरक्षण, लिफ्ट–सिंचाई, नहर संचालन, भूजल प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई प्रबंधन और फसल बुवाई की सलाह आदि के लिये भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी0आई0एस0) और निगरानी के साथ संचालित बृहद् डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को विकसित करने की आवश्यकता है।
2	एजेंसियों की भूमिका	प्रशासकीय / सम्बन्धित विभाग
3	स्थान	बुन्देलखण्ड के सभी जिले
4	वित्त पोषण	केन्द्र / राज्य सरकार
5	परिणाम	जल संरचना योजना, भूजल पुनर्भरण, सिंचाई निगरानी, बेसिन योजना और प्रबंधन, इंटर बेसिन स्थानान्तरण प्रबंधन, लिफ्ट योजनाएँ, कमांड क्षेत्र में सुधार, नीतिगत निर्णयों को सशक्त बनाना और संसाधन आवंटन में सुधार
6	संकेतक	बुन्देलखण्ड की नदियों के लिए जल प्रबंधन प्रणाली बुन्देलखण्ड की सभी नदियों के लिए बेसिन प्रबंधन योजना

5. अभिसरण

जलवायु परिवर्तन और मानसून की विफलताओं आदि समस्याओं के कारण बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बार–बार सूखे की समस्या रहती है। इससे बुन्देलखण्ड क्षेत्र के भूजल स्तर में भारी गिरावट आई है, जिससे किसानों और समुदाय को इस क्षेत्र से पलायन भी करना पड़ रहा है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए एकीकृत सतत जल प्रबंधन कार्यक्रम विकास के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत मल्टी–स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म (एम0एस0पी0) के माध्यम से विविध हितधारक समूहों यथा– सरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक संगठन, शिक्षाविद् , स्थानीय समुदाय तथा वैश्विक विशेषज्ञ आदि को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है। यह एम0एस0पी0 विविध हितधारकों को जमीनी स्थिति की जटिलता के बारे में बातचीत और विश्लेषण करने के लिए एक सामूहिक मंच प्रदान कर सकता है, जो चर्चा के लिए आधार तैयार कर सकता है। यह मंच विभिन्न हितधारक समूहों की समस्याओं की पहचान करने और प्राथमिकताओं और गतिविधियों पर चर्चा हेतु सहमत हो सकते हैं। ये चर्चायें विभिन्न हितधारक समूहों में विश्वास बनाए रखने के लिए पारदर्शिता लाने और सहयोग करने में उपयोगी होगा। विभिन्न हितधारकों द्वारा अपने दृष्टिकोण से स्थायी जल प्रबंधन हेतु पांच प्रमुख क्षेत्रों यथा–जल जलाशय कायाकल्प, वाटरशेड बहाली, सिंचाई प्रणाली, कृषि तकनीकों और बाजार लिंकेज की पहचान किया गया है। वर्तमान में सरकार और अन्य प्रमुख हितधारकों (निजी क्षेत्र, नागरिक समाज संगठन, शैक्षणिक संस्थान आदि) द्वारा जल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कई पहल और कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही इन सभी कार्यों हेतु निजी क्षेत्र और नागरिक संगठनों की भागीदारी का भी विस्तार करने की आवश्यकता है।

6. वित्त पोषण

विभिन्न हितधारक समूहों (केंद्र और राज्य सरकार, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋण, अनुदान, तकनीकी सहायता और निजी क्षेत्र–सी0एस0आर0) के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और निधियों की सूची निम्न तालिका में अंकित है, जिनका उपयोग पाँच कार्यों में पहल को निधि देने के लिए किया जा सकता है:–

वित्त पोषण का प्रकार	कार्यक्रम / योजना	जलाशय कायाकल्प	वाटरशेड कायाकल्प	सिंचाई पद्धतियां	कृषि पद्धतियां	बाजार सम्पर्क
केन्द्र सरकार	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–सिंचाई	*	*			
	नीरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड मिशन	*	*	*	*	
	वर्ल्ड बैंक प्रायोजित नेशनल हाईड्रोलाजी परियोजना	*		*		
	उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट (UPSRP)	*	*	*		
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–सिंचाई विकास एवं कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम			*		
	नदी घाटी प्रबन्धन			*		
	भूजल प्रबन्धन एवं नियमन	*		*		
	अटल भूजल योजना	*		*		
	जलाशयों की मरम्मत, पुनरूद्धार और पुनर्निर्माण	*	*			

वित्त पोषण का प्रकार	कार्यक्रम / योजना	जलाशय कायाकल्प	वाटरशेड कायाकल्प	सिंचाई पद्धतियां	कृषि पद्धतियां	बाजार सम्पर्क
	कृषि विस्तार (KVK)				*	
	प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन एवं एन0आई0सी0आर0ए0				*	
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना– हर खेत में पानी			*		
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)-PPPIAD			*	*	*
	परम्परागत कृषि विकास योजना				*	*
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Per Drop More Crop)			*		
	बाजार हस्तक्षेत्र और मूल्य सहायता कार्यक्रम					*
	कृषि बाजार हेतु आधारभूत संरचनाएँ					*
	कृषि उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) (KUSUM)			*		
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना– रफ्तार (RAFTAAR)				*	*
	नाबार्ड प्रायोजित कार्यक्रम	*	*	*	*	*
राज्य सरकार	बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए खेत तालाब योजना			*	*	
	स्प्रिंकलर सिंचाई योजना			*		
	प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण नीति					*
	प्राथमिक साख समितियों का कम्प्यूटरीकरण				*	*
	प्रधानमंत्री पंचायत विकास योजना	*	*	*		
	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे योजना					*
	एक जिला–एक उत्पाद योजना				*	*
	ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास फण्ड					*
	बुन्देलखण्ड विकास कार्यक्रम	*	*	*	*	*
	बांधों के विकास के लिए फण्ड	*	*			

वत्त पोषण का प्रकार	कार्यक्रम / योजना	जलाशय कायाकल्प	वाटरशेड कायाकल्प	सिंचाई पद्धतियाँ	कृषि पद्धतियाँ	बाजार सम्पर्क
बहुपक्षीय ऋण / तकनीकी सहायता	विश्व बैंक समूह (IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID)	*	*	*	*	*
	एशियाई विकास बैंक (ADB)	*	*	*	*	*
	इण्टरनेशनल फण्ड फार एग्रीकल्चर डेवलपमेन्ट (IFAD)	*	*	*	*	*
द्विपक्षीय ऋण	यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फार इण्टरनेशनल डेवलपमेन्ट (USAID)				*	*
	इण्टरनेशनल डेवलपमेन्ट एण्ड रिसर्च सेंटर (IDRC)				*	*
	अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (DFID)	*	*	*	*	*
	जर्मन विकास एजेन्सी (GIZ)	*	*	*	*	*
बहुपक्षीय अनुदान	विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम (WFP)				*	*
	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)	*	*	*	*	*
	व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र परिषद् (UNCTAD)				*	*
	ग्रीन क्लाईमेन्ट फण्ड (GCF)			*	*	*
	ग्लोबल एन्वायरमेन्ट फैसिलिटी (GEF)	*	*	*	*	*
निजी क्षेत्र / कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व		*	*	*	*	*

7. निगरानी विधि और संकेतक

किसी भी कार्यक्रम के सफल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निगरानी और मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। बहु–हितधारक दृष्टिकोण के मामले में इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक प्रभावी निगरानी प्रणाली कई हितधारकों के बीच पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर सकती है। निगरानी विधि और संकेत प्रणाली से यह सुनिश्चित करना आसान होगा कि विभिन्न कार्य धाराओं के अन्तर्गत किये जा रहे प्रयास सही दिशा में बढ़ रहे हैं।

राष्ट्रीय सेमिनार
बुन्देलखण्ड का विकास
इशूज, रणनीति एवं भावी दिशा
सेक्टर -1 प्राथमिक
आयोजक : बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश
10 एवं 11 जनवरी 2020
हाल, प्रथम तल, उद्यान महाविद्यालय

उत्तर प्रदेश सरकार
राष्ट्रीय सेमिनार
बुन्देलखण्ड का विकास
इशूज, रणनीति एवं भावी दिशा

राष्ट्रीय सेमिनार
सेक्टर -जल
विकास बोर्ड, नियोजन

राष्ट्रीय सेमिनार
सेक्टर -जल
नियोजन विभाग, उ.प्र.

अध्याय–4

सामाजिक क्षेत्र

तल, कृषि

सामाजिक क्षेत्र

1. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

1.1 पृष्ठभूमि

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सात जनपद यथा–जालौन, हमीरपुर, बाँदा, चित्रकूट, महोबा, झाँसी और ललितपुर आते हैं। स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतकों के अनुसार इस क्षेत्र की प्रदेश से तुलनात्मक स्थिति निम्नवत् हैः–

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अशोधित मृत्यु दर (सी0डी0आर0) 23.5 है, जो प्रदेश में अशोधित मृत्यु दर (24) के लगभग समान है।
- एन0एफ0एच0एस0–4 के अनुसार बुन्देलखण्ड क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर (आई0एम0आर0) एवं नवजात शिशु मृत्यु दर (एन0एम0आर0) क्रमशः 57.4 एवं 39.5 (प्रति हजार जीवित जन्म) है, जो प्रदेश की संगत औसत दर से कम है।
- ए0एच0एस0–4 के अनुसार बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मातृ मृत्यु दर (एम0एम0आर0) 245 है, जो प्रदेश की संगत औसत दर (216 प्रति एक लाख जीवित जन्म) से अधिक है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं की तीन प्रसव पूर्व जॉचें मात्र 37.8 प्रतिशत हुई हैं। इस क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में सन्दर्भित संकेतक का मान झाँसी (55.2 प्रतिशत), हमीरपुर (47.6 प्रतिशत), महोबा (45.6 प्रतिशत), जालौन (40.5 प्रतिशत), ललितपुर (38.9 प्रतिशत), बाँदा (37.1 प्रतिशत) तथा चित्रकूट (33.1 प्रतिशत) आ रहा है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में चार से अधिक प्रसव पूर्व जॉचें (21 प्रतिशत) राज्य के संगत औसत (26.04 प्रतिशत) से कम है किन्तु इस क्षेत्र में संस्थागत प्रसव 82.1 प्रतिशत है, जो राज्य के संगत औसत 67.8 प्रतिशत से अधिक है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पूर्ण टीकाकरण 58 प्रतिशत है, जो राज्य के संगत औसत 51 प्रतिशत से अधिक है।

1.2 मुख्य मुद्दे

1.2.1 अस्पतालों में स्वीकृत पदों तथा उपलब्धता में अत्यधिक अन्तर होना

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अस्पतालों में कुल स्वीकृत पदों की संख्या तथा इन स्वीकृत पदों के सापेक्ष स्टाफ की उपलब्धता में अन्तर की स्थिति को निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः–

क्र 0सं0	कैडर	पदों की स्वीकृत संख्या	पदों की स्वीकृत संख्या के सापेक्ष उपलब्धता में अन्तर
1	डाक्टर (एम0बी0बी0एस0)	1024	कोई अन्तर नहीं
2	विशेषज्ञ	532	लगभग 70 प्रतिशत
3	स्टाफ नर्स	2219	लगभग 45 प्रतिशत
4	ए0एन0एम0	2225	लगभग 10 प्रतिशत

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि विशेषज्ञों की उपलब्धता में लगभग 70 प्रतिशत, स्टाफ नर्स की उपलब्धता में लगभग 45 प्रतिशत तथा ए0एन0एम0 की उपलब्धता में लगभग 10 प्रतिशत का अन्तर आ रहा है। उल्लेखनीय है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद बाँदा, महोबा एवं चित्रकूट के एस0एन0सी0यू0 में कोई भी बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है जिससे इन जनपदों में नवजात शिशु मृत्यु दर विपरीत रूप से प्रभावित हो रही है।

1.2.2 गर्भवती महिलाओं का प्रथम तिमाही में पंजीकरण एवं जॉच की स्थिति खराब होना

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रथम तिमाही में गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण एवं जॉच मात्र 54 प्रतिशत है जो राज्य की संगत दर (62 प्रतिशत) से कम है। उल्लेखनीय है कि बुन्देलखण्ड सम्भाग इस संकेतक में प्रदेश के अन्य आर्थिक सम्भागों यथा–पश्चिमी (63 प्रतिशत), केन्द्रीय (65 प्रतिशत), पूर्वी (61 प्रतिशत) से पीछे है। इसी क्रम में इस क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जनपदों यथा– महोबा, ललितपुर एवं बाँदा में संगत दर 50 प्रतिशत से भी कम आ रही है।

1.2.3 स्वीकृत रेफरल इकाइयों (एफ0आर0यू0) के सापेक्ष मात्र 50 प्रतिशत इकाइयों का क्रियाशील होना

यू0पी0एच0एम0आई0एस0 (अप्रैल–नवम्बर, 2019) के ऑकड़ों के अनुसार बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 22 एफ0आर0यू0 की आवश्यकता के सापेक्ष मात्र 10 इकाईयॉ क्रियाशील हैं। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जनपदों यथा–बाँदा एवं चित्रकूट में एक भी एफ0आर0यू0 नहीं है।

1.2.4 विविध अवस्थापना / चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न मण्डलों / जनपदों में विविध अवस्थापना / चिकित्सीय सुविधाओं से सम्बन्धित समस्यायें निम्नवत् हैः–

- झाँसी मण्डल में मण्डल स्तरीय नवीन चिकित्सालय की स्थापना किया जाना।
- चित्रकूट धाम मण्डल के जनपद महोबा एवं हमीरपुर के जिला चिकित्सालयों में 100 शैय्याओं को बढ़ाये जाने की आवश्यकता।
- बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत आने वाले जनपदों के जिला चिकित्सालयों में सी0टी0 स्कैन / एम0आर0आई0 की सुविधा उपलब्ध न होना।
- बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत आने वाले जनपदों के जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध न होना।
- जनपद जालौन (रामपुरा, डकोर), झाँसी (बामौर,समथर,गरौठा,बरूआसागर,रानीपुर), ललितपुर (जखौरा, बिरधा), बाँदा (स्योढ़ा), चित्रकूट (रूकमा खुर्द) तथा हमीरपुर (गोहाण्ड) में नए स्वीकृत / सृजित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भवन के निर्माण पूरे हो चुके हैं किन्तु अन्य सुविधायें यथा–उपकरणों की आपूर्ति, सृजित पदों पर मानव संसाधन की तैनाती अभी शेष है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में स्थित प्राथमिक / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों यथा–झाँसी (खैलार,रक्सा,गुरसराय), ललितपुर (बॉसी) तथा चित्रकूट (पाठा) में गर्मियों के मौसम में जल स्रोत पूरी तरह सूख जाते हैं जिससे मरीजों तथा चिकित्सा सेवा के संचालन में असुविधा होती है।

1.3 रणनीति

1.3.1 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित अस्पतालों में प्रशिक्षित मानव संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना

- बुन्देलखण्ड के स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं यथा–विशेषज्ञ, स्टाफ नर्स, ए0एन0एम0 आदि की अत्यधिक कमी है। सामुदायिक केन्द्र के स्तर पर प्रत्येक ''आशा'' के द्वारा 1205 की जनसंख्या आच्छादित की जा रही है जबकि राज्य का संगत औसत 1169 है। अतः इन सेवा प्रदाताओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाये जिससे जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवायें दी जा सके।
- इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए चिकित्सकों में अभिरूचि उत्पन्न करने की दृष्टि से एक विशेष प्रोत्साहन नीति तैयार की जानी चाहिए।
- विशेषज्ञों की कमी दूर करने के लिए बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तैनात एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों को उनकी अभिरूचि के अनुसार विशेष प्रशिक्षण (शॉर्ट टर्म कोर्स) देकर विशेषज्ञता का कार्य लिये जाने पर विचार किया जा सकता है। विकल्प के तौर पर विशेष मानदेय के आधार पर विशेषज्ञों की कमी भी दूर की जा सकती है।

1.3.2 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित अस्पतालों से सम्बन्धित स्टाफ हेतु आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराना

- स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / उपकेन्द्र आदि से सम्बन्धित स्टाफ को जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करना होता है। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत आवश्यकतायें यथा– आवास, अच्छे विद्यालय, सड़कें, बाजार आदि की उपलब्धता न होने से सन्दर्भित स्टाफ को अत्यन्त असुविधा होती है। अतः सरकार द्वारा बड़े स्वास्थ्य केन्द्रों के आस–पास अवस्थापना सुविधाओं को संरचित किये जाने की आवश्यकता है।

1.3.3 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित अस्पतालों में आधारभूत सुविधाओं में सुधार करना

- बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत आने वाले जनपदों के सभी जिला चिकित्सालयों में सी0टी0 स्कैन / एम0आर0आई0 / डायलिसिस / अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा उपलब्ध कराना।

- बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत आने वाले जनपदों यथा–जालौन, झाँसी, ललितपुर, बाँदा, चित्रकूट तथा हमीरपुर में नए स्वीकृत/सृजित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपकरणों की आपूर्ति की उपलब्धता तथा सृजित पदों पर मानव संसाधन की तैनाती की व्यवस्था कराना।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न जनपदों में स्थित प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मरीजों तथा चिकित्सा सेवा के संचालन हेतु जल सुविधा सुनिश्चित कराना।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सेवायें प्रदान करने के लिये पर्याप्त अस्पतालों, दवाईयों, उपकरणों आदि की उपलब्धता होना नितान्त आवश्यक है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित मेडिकल कालेज, सी0एच0सी0, पी0एच0सी0, सब सेन्टर आदि की स्थिति निम्न तालिका में दी गयी है:–

क्र0सं0	स्वास्थ्य केन्द्र का प्रकार	संख्या	इण्डियन पब्लिक हेल्थ स्टैण्डर्स (आई0पी0एच0एस0) के अनुसार आवश्यकता तथा अन्तर
1	डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल एवं मेडिकल कालेज	14	लगभग 1192 शैय्यायें (33 प्रतिशत का अन्तर)
2	सी0एच0सी0/यू0सी0एच0सी0	37	लगभग 1038 शैय्यायें (45 प्रतिशत का अन्तर)
3	पी0एच0सी0/यू0पी0एच0सी0	254	लगभग 1132 शैय्यायें (55 प्रतिशत का अन्तर)
4	सब सेन्टर	1596	–

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि शैय्याओं की उपलब्धता में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित मेडिकल कालेज/डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में 33 प्रतिशत, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 45 प्रतिशत तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 55 प्रतिशत का अन्तर आ रहा है। अतः गुणवत्तापूर्ण सेवायें प्रदान करने के लिये पर्याप्त शैय्याओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की आवश्यकता है।

1.3.4 कर्मचारियों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करना

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (एच0बी0एन0सी0) में प्रशिक्षित ''आशायें'' मात्र 40 प्रतिशत हैं जो प्रदेश के अन्य सम्भागों की तुलना में कम हैं। इस कारण आशाओं द्वारा बहुत कम नवजात शिशुओं के घर का भ्रमण किया जा रहा है। अतः गुणवत्तापूर्ण सेवायें प्रदान करने के लिये सेवा प्रदाताओं यथा–स्टाफ नर्स, ए0एन0एम0, चिकित्सकों का प्रशिक्षण समय–समय पर कराया जाना चाहिये।

1.4 कार्य योजना

- उक्त रणनीति को लागू करने हेतु कार्य योजना की रूप–रेखा निम्नलिखित तालिका में अंकित है:–

क्र.सं.	अल्प अवधि	मध्यम अवधि	दीर्घ अवधि
1.4.1	आवश्यक औषधियों, उपकरणों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराना	· सेवा प्रदाताओं जैसा कि चिकित्सक, स्टाफ नर्स, ए0एन0एम0 और ''आशाओं'' का प्रशिक्षण सुनिश्चित कराना · एम0पी0डब्ल्यू0 (बहुद्देशीय कार्यकर्ता) संवर्ग को पुनर्जीवित करना	· प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। · ग्रामीण क्षेत्रों में नये अस्पताल खोले जाना।

1.5 कार्य योजना की समीक्षा

क्र.सं.	संकेतक	आवृत्ति	निगरानी तन्त्र
1.5.1	प्रथम मासिक तिमाही में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं प्राप्त हुईं	मासिक	एच0एम0आई0एस0 / यू0पी0एच0एम0आई0एस0
1.5.2	एफ0आर0यू0एस0 परफारमिंग सी– सेक्शन	मासिक	एच0एम0आई0एस0 / यू0पी0एच0एम0आई0एस0
1.5.3	नवजात शिशुओ का आशा द्वारा 6 / 7 एच0बी0एन0सी0 का भ्रमण	मासिक	एच0एम0आई0एस0 / यू0पी0एच0एम0आई0एस0
1.5.4	नवजात शिशुओं द्वारा प्राप्त पूर्ण टीकाकरण	मासिक / त्रैमासिक	एच0एम0आई0एस0 / यू0पी0एच0एम0आई0एस0
1.5.5	सभी इकाइयों पर महत्वपूर्ण औषधियों की उपलब्धता	त्रैमासिक	यू0पी0एच0एम0आई0एस0 / भारत सरकार सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / डी0वी0डी0एम0एस0
1.5.6	सभी इकाइयों पर महत्वपूर्ण उपकरण की उपलब्धता	त्रैमासिक	यू0पी0एच0एम0आई0एस0 / भारत सरकार सहयोगात्मक पर्यवेक्षण
1.5.7	एफ0आर0यू0 पर पर्याप्त विशेषज्ञ	त्रैमासिक	मानव सम्पदा / यू0पी0एच0एम0आई0एस0
1.5.8	इकाइयों पर पर्याप्त स्टाफ नर्स	त्रैमासिक / अर्धवार्षिक	मानव सम्पदा / यू0पी0एच0एम0आई0एस0

1.6 वित्त पोषण

केन्द्र / राज्य सरकार।

1.7 परिणाम (आउटकम)

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विशेषज्ञों की शत–प्रतिशत उपलब्धता।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्टाफ नर्स और ए0एन0एम0 की शत–प्रतिशत उपलब्धता।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सार्वजनिक अस्पतालों में आवश्यक औषधियों की शत–प्रतिशत उपलब्धता।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सार्वजनिक अस्पतालों में प्रमुख उपकरणों की शत–प्रतिशत उपलब्धता।
- सभी संवर्गों के लिए निर्धारित प्रशिक्षणों की संतृप्ति।
- बुन्देलखण्ड में बेहतर प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं (विशेषकर प्रथम तिमाही में)।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निर्दिष्ट प्रथम रेफरल इकाइयों (एफ0आर0यू0) की क्रियाशीलता।
- बुन्देलखण्ड में आशाओं द्वारा बेहतर एच0बी0एन0सी0 का भ्रमण।
- बेहतर पूर्ण टीकाकरण कवरेज।

2. चिकित्सा शिक्षा

2.1 पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग वर्ष 1981 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग चिकित्सा शिक्षा के सभी आयाम आच्छादित करता है। इसके अन्तर्गत एलोपैथिक, मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कालेज संचालित हैं, जो विभिन्न कोर्स यथा–एम0बी0बी0एस0, बी0डी0एस0, एम0डी0–एम0एस0, पी0जी0 डिप्लोमा एवं एम0डी0एस0, सुपर स्पेसिलाइजेशन (एम0सी0एच0, डी0एम0), नर्सिंग कोर्सेस–ए0एन0एम0, जी0एन0एम0, बी0एस0सी0 (नर्सिंग), एम0एस0सी0 (नर्सिंग) एवं पैरामेडिकल कोर्सेस आदि की शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके साथ ही राज्य में चिकित्सा शिक्षा विभाग नर्सिंग शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं रखरखाव तथा तृतीयक रेफरल सेंटर का कार्य भी करते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याओं के लिए रिसर्च सेंटर के रूप में भी कार्य किया जाता है।

2.2 मुख्य मुद्दे

2.2.1 चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता न होना

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार प्रति एक हजार जनसंख्या पर एक डाक्टर के अनुपात से प्रदेश में लगभग 2.20 लाख डाक्टरों की आवश्यकता है किन्तु वर्तमान में प्रदेश में लगभग 65,000 एलोपैथी डाक्टर ही उपलब्ध हैं। अतः इस मानक के अनुसार प्रदेश में लगभग 1.55 लाख डाक्टरों की कमी अभी प्रतीत हो रही है।

2.2.2 नर्सों की पर्याप्त उपलब्धता न होना

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार प्रति पाँच सौ जनसंख्या पर एक नर्स के अनुपात से प्रदेश में लगभग 4.40 लाख नर्सों की आवश्यकता है किन्तु वर्तमान में प्रदेश में लगभग 1.15 लाख नर्स ही उपलब्ध हैं। अतः इस मानक के अनुसार प्रदेश में लगभग 3.25 लाख नर्सों की कमी अभी प्रतीत हो रही है।

2.2.3 बुन्देलखण्ड में चिकित्सा शिक्षा संस्थानों की अपर्याप्तता

उत्तर प्रदेश तथा बुन्देलखण्ड में चिकित्सा शिक्षा से सम्बन्धित राजकीय संस्थाओं की स्थिति निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	विवरण	वर्ष 1947 से पूर्व		वर्ष 1947 से फरवरी, 2017 तक		मार्च, 2017 के बाद स्थापित नए कालेजों की संख्या		कुल	
		उत्तर प्रदेश	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	बुन्देलखण्ड क्षेत्र
1	मेडिकल कालेज	02	–	13	03	07	–	22	03
2	डेंटल कालेज	–	–	02	–	–	–	02	–
3	नर्सिंग डिग्री	–	–	09	–	03	01	12	01

उक्त क्रम में उत्तर प्रदेश तथा बुन्देलखण्ड में चिकित्सा शिक्षा से सम्बन्धित निजी संस्थाओं की स्थिति निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	विवरण	वर्ष 1947 से पूर्व		वर्ष 1947 से फरवरी, 2017 तक		मार्च, 2017 के बाद स्थापित नए कालेजों की संख्या		कुल	
		उत्तर प्रदेश	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	बुन्देलखण्ड क्षेत्र
1	मेडिकल कालेज	–	–	31	–	–	–	31	–
2	डेंटल कालेज	–	–	22	–	–	–	22	–
3	नर्सिंग डिग्री	–	–	91	02	48	02	139	04

इसी क्रम में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज में उपलब्ध स्नातक/स्नातकोत्तर सीट की स्थिति निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	राजकीय मेडिकल कालेज	स्थापना वर्ष	स्नातक स्तर की सीटों की संख्या	स्नातकोत्तर स्तर की सीटों की संख्या
1	महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी	1968	150	71
2	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन	2013	100	0
3	राजकीय मेडिकल कालेज, बाँदा	2016	100	0

उपर्युक्त तालिकाओं में अंकित विवरण के अनुसार बुन्देलखण्ड क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत निम्न समस्यायें उभरकर आ रही हैं:–

- चिकित्सा शिक्षा संस्थान कम होना।
- मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया के मानकों का पालन करने में समस्या होना।
- चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों की अपर्याप्तता से चिकित्सा गुणवत्ता में कमी आना।
- परास्नातक की शिक्षा केवल एक ही कालेज में होना।
- कोई डेंटल कालेज न होना।

2.3 रणनीति/कार्ययोजना

- मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग कालेज एवं पैरामेडिकल कालेजों में रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरे जाना।
- मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग कालेज एवं पैरामेडिकल कालेजों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- इन कालेजों में शोध कार्यों के लिए अन्य आर्थिक प्रोत्साहन का प्राविधान किया जाना।
- संविदा शिक्षकों एवं जूनियर/सीनियर रेजीडेंट के मानदेय में वृद्धि किया जाना।
- परास्नातक शिक्षा एवं सुपर स्पेशियलिटी (एम0सी0एच0, डी0एम0, एम0डी0एस0) विषयक पाठयक्रमों को प्रारम्भ कराना।
- शिक्षकों एवं स्टाफ के परिवार के लिए विभिन्न अवस्थापना सुविधायें यथा–आवास, स्कूल, कालेज, पार्क एवं खेलकूद की व्यवस्था कराना।

2.4 वित्त पोषण

केन्द्र/राज्य सरकार ।

3. महिला एवं बाल विकास

3.1 पृष्ठभूमि

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सूखे से बार–बार प्रभावित होने के कारण इस क्षेत्र में पानी एवं खाद्य पदार्थों की कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ के निवासियों विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या उभरकर आ रही है। उल्लेखनीय है कि बाल कुपोषण को तीन प्रकार यथा–बौनापन, सूखापन एवं आयु के अनुसार कम वजन से जाना जाता है जिसका विवरण निम्नवत् है:–

- उत्तर प्रदेश में 0–5 वर्ष के बच्चों में बौनेपन की दर 46.3 प्रतिशत है जो देश की संगत दर 38.4 प्रतिशत से अधिक है।
- प्रदेश के बच्चों में सूखेपन की दर 17.9 प्रतिशत है जो देश की संगत दर 21 प्रतिशत से कम है।
- प्रदेश में बच्चों में अल्प वजन की दर 39.5 प्रतिशत है जो देश की संगत दर 35.7 प्रतिशत से अधिक है।

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बौनेपन को छोड़कर सूखापन, अल्प वजन, बच्चों में एनीमिया, बाडी मास इन्डेक्स व गर्भवती में एनीमिया की दर प्रदेश की दर की तुलना में अधिक है जिसकी जिलेवार स्थिति निम्न तालिका में दी गयी है:–

0–59 माह के बच्चों की पोषण स्थिति	जालौन	झाँसी	ललितपुर	बाँदा	चित्रकूट	हमीरपुर	महोबा
अल्पवजन	49.2	39.5	48.8	41.5	52.5	39.8	47.7
बौनापन	45.6	36.1	40.7	46.7	50.9	38.5	44.6
सूखापन	32.2	27.2	39.0	18.0	33.3	32.3	23.9
गम्भीर सूखापन	14.3	11.0	16.9	6.7	14.7	14.6	6.4
एनीमिया की स्थिति							
6–59 माह के बच्चों में एनीमिया (Hb <11.0 g/dl) (%)	84.8	77.8	75.8	62.7	72.5	55.5	77.6
15–49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया की स्थिति (Hb<12.0 g/dl) (%)	62.0	54.7	48.0	54.4	68.3	51.8	64.3
15–49 वर्ष की गर्भवती में एनीमिया की स्थिति (Hb<11.0 g/dl) (%)	59.3	64.8	40.7	61.1	60.1	50.9	74.8

3.2 मुख्य मुद्दे

3.2.1 महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खाद्य की कमी से महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण हो रहा है, जिससे 5 साल से कम उम्र के बच्चों में खाद्य की कमी के कारण मांसपेशियों में क्षीणता आ जाती है। यह स्थिति प्रदेश में मात्र 18 प्रतिशत बच्चों में है किन्तु बुन्देलखण्ड क्षेत्र में इसकी संगत दर 30 प्रतिशत है। अतः पूरे राज्य की तुलना में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लगभग 12 प्रतिशत कुपोषण अधिक उभरकर आ रहा है। उल्लेखनीय है कि मांसपेशियों की अत्यधिक क्षीणता के कारण महिलाओं एवं बच्चों में ऊर्जा की कमी हो जाती है।

3.2.2 महिलाओं की शादी कम उम्र में होना

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लगभग 21 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जनपद ललितपुर (49.3 प्रतिशत) तथा चित्रकूट (31.1 प्रतिशत) में बाल विवाह अधिक प्रचलित है। उल्लेखनीय है कि कम उम्र में विवाह एवं तुरन्त गर्भधारण के कारण कम वजन के बच्चे (1.8 किग्रा0 से कम) पैदा होने की सम्भावना बढ़ जाती है जिससे कम उम्र में बच्चों के कुपोषित होने की सम्भावना अधिक होती है।

3.2.3 साक्षरता अन्तर एवं ड्राप आउट अधिक होना

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बुन्देलखण्ड क्षेत्र में महिला एवं पुरुष साक्षरता की दर के मध्य लगभग 21 प्रतिशत का अन्तर पाया गया है जो राष्ट्रीय संगत अन्तर (17 प्रतिशत) से अधिक है। इसके अतिरिक्त लड़कों की तुलना में लड़कियों का नामांकन तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों की दूरी भी एक चुनौती है। साथ ही यह भी पाया गया है कि लड़कियॉ माध्यमिक स्कूलों में नामांकन कराती हैं किन्तु उनकी उपस्थिति एवं स्कूल में प्रतिभागिता निरन्तर कम हो जाती है, जिससे लड़कियों की स्कूल से ड्राप आउट दर बढ़ जाती है।

3.2.4 महिला सुरक्षा

महिलाओं विशेषकर लड़कियों एवं किशोरियों की असुरक्षा से सम्बन्धित समस्या निम्नवत हैं:–

- आर्थिक एवं सामाजिक आधार पर असमानता।

3.3 रणनीति

- पोषण अभियान के अन्तर्गत चिन्हित कम वजन वाले एवं क्षीणता के क्षेत्र में फूड पैकेट्स का वितरण किया जाना एवं सम्बन्धित परिवारों को मनरेगा योजना में प्राथमिकता देना।
- पोषण अभियान के अन्तर्गत राशन कार्ड का वितरण कराना।
- स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कुपोषित बच्चों की देखभाल एवं इलाज कराना।
- एस0आर0एल0एम0 एवं एस0एच0जी0 को कमजोर परिवारों तक संदेश के साथ पहुंचाना।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं स्कूलों में खाद्य पदार्थों को पहुंचाना एवं उसका वितरण बच्चों में सुनिश्चित कराना।
- सैम (कुपोषण की श्रेणी) बच्चों की पहचान एवं बाँदा सुपोषण मॉडल को पूरे बुन्देलखण्ड में प्रभावी रूप से अपनाना।
- महिलाओं से सम्बन्धित संगठनों को अधिक संख्या में विभाग के साथ जोड़ना ताकि विभिन्न मानदण्डों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जा सके।
- उत्तर प्रदेश में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए लैंगिक बजट घटक के माध्यम से अधिक वित्तीय पहुंच प्राप्त करवाना।
- "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" योजना का प्रभावी क्रियान्वयन।
- आंगनवाड़ी, आशा, ए0एन0एम0 आदि का क्षमतावर्द्धन किया जाना।
- शैक्षिक संस्थाओं को आई0सी0डी0एस0 सिस्टम के साथ जोड़ते हुए स्थानीय स्तर पर फल–सब्जियों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु रोडमैप बनाना।

3.4 कार्य योजना

उक्त रणनीति को लागू करने हेतु कार्य योजना की रूप–रेखा निम्नलिखित तालिका में अंकित है:–

क्र.सं.	अल्प अवधि	मध्यम अवधि	दीर्घ अवधि
3.4.1	• छूटे हुए लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार से जोड़ना। • आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा अत्यधिक कुपोषित बच्चों की पहचान करना। • पोषण अभियान के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी जनपदों में पोषण नवाचार को सम्मिलित करना। • स्कीम फॉर एडोलेसेन्ट गर्ल्स योजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त करना।	• प्राथमिकता पर कुपोषित बच्चों के लिए स्वास्थ्य एवं आई0सी0डी0एस0 से जुड़े समुदाय आधारित कार्यक्रम को लागू कराना। • उच्च पोषण से युक्त स्थानीय खाद्य उत्पादों (चना, कोदो, दाल, अलसी, बफौरी, निघौना, थोवा, मटेरी आदि) के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्थानीय खाद्य उत्सव का आयोजन कराना। • विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। • मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत धन लाभ दिया जाना। • 181 महिला हेल्पलाइन तथा बचाव वैन का सृदृढ़ीकरण।	• अन्तर्विभागीय सामन्जस्य स्थापित करते हुए सभी विभागों को महिलाओं के अधिकारों के प्रति संवेदनशील किया जाना। • महिलाओं को दृष्टिगत रखते हुए कौशल विकास की विभिन्न योजनाओं को विकसित किया जाना तथा इन योजनाओं में महिलाओं / लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाया जाना। • सम्बन्धित स्टाफ यथा– आंगनवाड़ी, आशा, ए0एन0एम0 आदि का क्षमतावर्द्धन किया जाना। • बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती करना।

3.5 कार्य योजना की समीक्षा

कार्य योजना की समीक्षा त्रैमासिक एवं अर्द्धवार्षिक की जायेगी।

3.6 वित्त पोषण

केन्द्र / राज्य सरकार ।

3.7 समन्वय

- पंचायतीराज विभाग के साथ बच्चों के वजन प्रक्रिया को सफल बनाना।
- कुपोषित बच्चों के इलाज और सम्बन्धित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत जनपद बाँदा एवं चित्रकूट में यूनिसेफ के सहयोग से इलाज एवं व्यवस्थाएं कराना।

- विश्वविद्यालय के माध्यम से खाद्य पदार्थों के उत्सव मनाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में जॉब कार्ड तथा राशन कार्ड को जोड़ा जाना।

3.8 परिणाम (आउटकम)

- सभी नामांकित लक्षित लाभार्थियों को पूरक पोषण का लाभ मिलना।
- 80 प्रतिशत पंजीकृत बच्चों को जाब कार्ड तथा राशन मिलना।
- कुपोषण से सम्बन्धित जिलों में प्रत्येक वर्ष कुपोषित बच्चों में 2 प्रतिशत की कमी आना।
- आर्थिक एवं सामाजिक समानता आना।
- प्रचलित कुरीतियों यथा–बाल विवाह में कमी लाना।
- आर्थिक संसाधनों में महिलाओं को समान अधिकार मिलना।

4. समाज कल्याण

4.1 पृष्ठभूमि

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र की सामाजिक संरचना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की बाहुल्यता है। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों की कमी तथा प्राकृतिक आपदाओं आदि कारणों से अल्पविकसित उभरकर आ रहा है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्गवार जनसंख्या की स्थिति निम्नवत् हैः–

वर्ग	झाँसी	जालौन	बाँदा	चित्रकूट	ललितपुर	महोबा	हमीरपुर
अनुसूचित जाति	28.14	27.7	21.6	29.9	19.7	25.2	24.02
अनुसूचित जनजाति	0.19	0*	0*	0*	5.9	0.1	0.67
अन्य पिछड़ा वर्ग**	–	–	62	48	–	54	–
*कुछ परिवार							
**2002 बी0पी0एल0 सर्वे डाटा के अनुसार							

उक्त क्रम में समाज कल्याण विभाग के अनुसार बुन्देलखण्ड क्षेत्र में समाज के वंचित और हाशिए पर पड़े वर्गों के सशक्तिकरण के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :–

● समग्र

समग्र एक पोर्टल है जो समग्र, सक्रिय तथा मांग आधारित परिवर्तन करते हुए एकीकृत कार्यक्रम के रूप में है। इस मॉडल के तहत लाभार्थियों को सभी योजनाओं और योजनाओं से संबंधित नियमों व शर्तों की विस्तृत प्रोफाईल जानने की आवश्यकता नहीं है। यह मॉडल डोर स्टेप डिलिवरी की अवधारणा पर विकसित है अर्थात समुदाय के पात्र लाभार्थियों को निशुल्क तरीके से समयबद्ध, समस्या मुक्त तथा सरकारी तंत्र के माध्यम से ही योजनाओं के लाभ प्रदान कराता है। शासन के पात्रता आधारित इस मॉडल से समय की बचत होती है। इससे लाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालय/अधिकारियों के साथ सम्पर्क करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मॉडल के माध्यम से अपनी प्रोफाईल अथवा पात्रता की एक बार सत्यापन होने के उपरान्त ही योजनाओं के लाभ के लिए लाभार्थी लाभान्वित होते हैं।

✓ पेंशन

इस मॉडल के अन्तर्गत पूर्व से ही लाभार्थी की आयु , बी0पी0एल0 स्थिति, दिव्यांगता की स्थिति व वैवाहिक स्थिति के साथ–साथ निवास की भी सूचना उपलब्ध रहती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं अन्य वित्तीय सहायता का लाभ निम्नलिखित परिस्थितियों में स्वीकृत किया जा सकता हैः–

- न्यूनतम आयु और बी0पी0एल0 श्रेणी प्राप्त करने पर वृद्धावस्था पेंशन योजना।
- बी0पी0एल0 परिवार के किसी सदस्य के मृत्यु उपरान्त उसके पत्नी को विधवा पेंशन।
- 40 प्रतिशत दिव्यांगता के प्रमाणपत्र जारी करने के उपरान्त दिव्यांगों के लिए पेंशन।
- बहु दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 500 रू0 वित्तीय सहायता।

✓ छात्रवृत्ति

विभिन्न विभागों द्वारा तीस से अधिक छात्रवृत्ति योजनाऐं चलाई जा रही हैं। इस मॉडल के अन्तर्गत छात्र एक एकीकृत आवेदन पत्र भरकर उसकी सारी सूचनाऐं उपलब्ध कराते हैं। तदोपरान्त इस आवेदन पत्र को विद्यालय में जमा करते हैं और एक ही लेनदेन में उसकी पात्रता के अनुसार सभी छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ छात्र को उपलब्ध कराया जाता है।

✓ पी0डी0एस0

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक परिवार, जो प्राथमिकता हाउस होल्ड के रूप में चिन्हित है, रियायती खाद्यान्न (प्रति सदस्य 5 किलोग्राम की दर से) प्राप्त करने के पात्र है। इस मॉडल का विवरण निम्नवत् हैः–

- यदि प्राथमिकता घर की सूची में शामिल परिवार की पहचान की जाती है तो परिवार का ई–राशन कार्ड स्वचालित रूप से उत्पन्न हो जाता है।
- यदि एक परिवार में जन्म की सूचना दी जाती है, तो राशन का कोटा अपने आप बढ़ जाता है। इसी प्रकार यदि किसी परिवार में मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है तो एक व्यक्ति का कोटा कम हो जाता है।
- यदि किसी परिवार में शादी की सूचना प्राप्त होती है तो राशन के कोटे में अपने आप एक व्यक्ति की फिर से गणना की जाती है।

✓ जन्म की रिपोर्टिंग

इस मॉडल के अंतर्गत व्यक्ति/परिवार की पात्रता के अनुसार निम्नलिखित लाभ स्वचालित रूप से स्वीकृत किए जा सकते हैंः–

- जननी सुरक्षा योजना की मंजूरी
- मातृत्व/पितृत्व भत्ते की मंजूरी– महिलाओं के लिए 45 दिनों की मजदूरी के नुकसान के मुआवजे की स्वीकृति और विभिन्न श्रम कल्याण योजनाओं के तहत पंजीकृत व्यक्तियों के लिए पितृत्व भत्ते के रूप में 15 दिनों के लिए भत्ता और मजदूरी।

✓ मृत्यु की रिपोर्टिंग

व्यक्ति की मृत्यु की सूचना देने पर परिजनों को कई योजनाओं के तहत सहायता स्वीकृत की जाती है। एक ही कार्यालय से व्यक्ति/परिवार की पात्रता के अनुसार निम्नलिखित लाभ स्वचालित रूप से स्वीकृत किए जा सकते हैं–

- विधवा को विधवा पेंशन योजना की स्वीकृति,
- राष्ट्रीय परिवार लाभ सहायता योजना,
- बीमा दावा,
- अंतिम संस्कार सहायता/अनुग्रह राशि।

उक्त क्रम में उल्लेखनीय है कि यदि शासन के पात्रता आधारित मॉडल का पालन किया जाता है, तो किसी भी या उपरोक्त सभी सूचीबद्ध लाभों को नामित कार्यालय द्वारा किसी एक ही घटना की सूचना देने पर पात्र को स्वीकृत किया जा सकता है यानी व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों को इन योजनाओं के लिए अलग–अलग कार्यालयों में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती।

उक्त सक्रिय और पात्रता आधारित मॉडल गवर्नेंस ने एक ऑनलाइन राज्य जनसंख्या रजिस्टर (एसपीआर) के निर्माण का रास्ता दिया जिसमें 1.8 करोड़ से अधिक परिवारों का एकीकृत डाटाबेस और व्यापक डोर–टू–डोर सर्वेक्षण के बाद 7.7 करोड़ से अधिक निवासियों को शामिल किया गया। योजनाओं के लिए अधिकांशतः एक परिवार महत्वपूर्ण इकाई है और इसलिए एस0पी0आर0 के पास परिवार को अपने सदस्यों के साथ जोड़ने के लिए अंतर्निहित तंत्र है। एस0पी0आर0 में बी0पी0एल0 परिवारों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों और दिव्यांगों के ऑनलाइन रजिस्टर और असंगठित क्षेत्र के आकस्मिक श्रम भी शामिल हैं जो अधिकांश योजनाओं के लिए सम्भावित लक्ष्य हैं। इससे परिवारों और निवासियों के गुणों का

सत्यापन किया जा रहा है और प्रथम लाभ की स्वीकृति के समय संबंधित विभागों के नामित प्राधिकारी द्वारा उपयोग किया जाता है। एक बार सत्यापित होने के बाद, अन्य सभी विभागों के कार्यालय बिना किसी और सत्यापन के लाभ को मंजूरी देने के लिए जानकारी का उपयोग करते हैं और इस प्रकार सरलीकृत और ऑनलाइन इंटरफेस के माध्यम से योजनाओं को लागू करते हैं। व्यक्तियों और उनके परिवार को स्वीकृत लाभों के इतिहास पर नज़र रखने और देखने की सुविधा सभी कार्यालयों और यहां तक कि सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए जनता को भी प्रदान की गई है ।

4.2 मुख्य मुद्दे

- विभाग में कार्मिकों की कमी होने से बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद भी प्रभावित हैं, जिससे विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में कठिनाई होती है।
- साक्षरता दर में कमी होने के कारण लाभार्थियों को योजनाओं की समुचित जानकारी नहीं हो पाती है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में शैक्षिक संस्थाओं तथा व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की कमी है।
- शिक्षण स्टाफ विशेषकर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में नियमित स्टाफ की अत्यधिक कमी है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम उपलब्ध होने से प्लेसमेंट नहीं हैं।

4.3 रणनीति

- वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ, पूर्वदशम्/दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शादी अनुदान योजना के आवेदन पत्र ऑनलाइन लिये जाने की व्यवस्था होना।
- सन्दर्भित समस्त योजनाओं में धनराशि का अन्तरण डी0बी0टी0 के माध्यम से पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे अन्तरित किये जाने की व्यवस्था होना।
- आवेदन से लेकर भुगतान तक की समस्त प्रक्रियायें पूर्णतया ऑनलाइन होना।
- उपरोक्त सभी योजनाओं में आधार नम्बर प्रमाणीकरण की व्यवस्था साफ्टवेयर में किये जाना।
- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय को नवोदय विद्यालय की भाँति विकसित किया जा रहा है। 94 विद्यालयों में से 45 विद्यालय सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्ध हैं, शेष 49 विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हैं। 93 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है।
- वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ, पूर्वदशम्/दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शादी अनुदान योजना में आधार नम्बर का प्रमाणीकरण आवेदन पत्र के समय आवेदक द्वारा किया जायेगा, जिससे वास्तविक लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा सके।
- प्रचार–प्रसार तथा जन जागरूकता के माध्यम से अधिकतम लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।
- बुन्देलखण्ड में सरकारी कार्मिकों के रिक्त पदों पर भर्ती की जानी आवश्यक है, जिससे विभागीय योजनाओं से अधिक से अधिक लोगों को आच्छादित किया जा सके।
- कक्षा 6, 9, व 11 की छात्राओं को अनुसूचित जनजाति छात्राओं की भाँति साइकिल दिये जाने की व्यवस्था की जाये ताकि सुदूर क्षेत्रों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें असुविधा न हो।

4.4 कार्य योजना

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन धनराशि प्रति माह रू0 500.00 के स्थान पर रू0 1000.00 किये जाने की आवश्यकता है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में शादी अनुदान योजना में रू0 20000.00 के स्थान पर रू0 30000.00 किये जाने की आवश्यकता है।
- महिला साक्षरता दर न्यून होने के कारण बुन्देलखण्ड के जनपदों यथा–बाँदा, महोबा, हमीरपुर, झाँसी, जालौन एवं ललितपुर में बालिकाओं की शिक्षा हेतु एक–एक आश्रम पद्धति विद्यालयों को संचालित किये जाने की आवश्यकता है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी वर्गों के समस्त पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों की भाँति आच्छादित किये जाने की आवश्यकता है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के चित्रकूटधाम मण्डल तथा झाँसी मण्डल मुख्यालय पर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है।

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सामूहिक विवाह योजना में कन्या के खाते में रू0 51,000.00, विवाह सामग्री हेतु रू0 1500.00 तथा कार्यक्रम की व्यवस्था हेतु रू0 9,000.00 किये जाने की आवश्यकता है।
- बुन्देलखण्ड में समाज कल्याण के लिये बजट में वृद्धि करने पर विचार करना।
- समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति को वार्षिक के स्थान पर माहवार या त्रैमासिक किया जाना।

5. दिव्यांगजन सशक्तीकरण

5.1 पृष्ठभूमि

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में दिव्यांग व्यक्तियों की कुल जनसंख्या लगभग 41.57 लाख है जिसमें लगभग 75 प्रतिशत दिव्यांगजन ग्रामीण क्षेत्र में तथा लगभग 25 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों की कुल जनसंख्या में लगभग 23.64 लाख पुरूष दिव्यांग तथा 17.93 लाख महिला दिव्यांग हैं। इन दिव्यांगों में लगभग 7.63 लाख दृष्टि दिव्यांगता, लगभग 10.27 लाख श्रवण दिव्यांगता, लगभग 2.66 लाख वाणी दिव्यांगता, लगभग 6.77 लाख अस्थि दिव्यांगता, लगभग 1.81 लाख मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता, लगभग 0.7 लाख मानसिक रूग्णता, लगभग 2.17 लाख बहु दिव्यांगता तथा लगभग 9.86 लाख अन्य दिव्यांगता के अन्तर्गत आते हैं। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में निवासरत दिव्यांगजन निम्न हैं :–

क्रमांक	जनपद	दिव्यांगजन की कुल संख्या		
		कुल	पुरूष	महिला
1	झाँसी	38796	22283	16513
2	ललितपुर	17985	10413	7572
3	जालौन	31251	18283	12968
4	हमीरपुर	19055	11116	7939
5	महोबा	15681	8955	6726
6	बाँदा	27972	16630	11342
7	चित्रकूट	15403	8833	6570

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण हेतु निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही है:–

- दिव्यांग भरण–पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना।
- कुष्ठावस्था भरण–पोषण अनुदान योजना।
- दिव्यांग शादी–विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना।
- दुकान निर्माण/संचालन योजना।
- कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना।

उक्त क्रम में दिव्यांगजनों हेतु विभागीय संस्थायें यथा– 'स्पर्श' राजकीय दृष्टिबाधित बालक इण्टर कॉलेज (बाँदा), राजकीय कौशल विकास केन्द्र (बाँदा), बचपन डे–केयर सेन्टर (झाँसी व चित्रकूट) तथा विभिन्न स्वैच्छिक संस्थायें पंजीकृत हैं।

5.2 मुख्य मुद्दे

- निःशक्तजन अधिकार अधिनियम–2016 में वर्णित 21 प्रकार की दिव्यांगता को चिन्हित कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी कराना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विद्यालय तक पहुंच एवं नामांकन।
- दिव्यांग लाभार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पठन–पाठन हेतु समेकित विद्यालयों की प्रत्येक जनपद में स्थापना।

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का विद्यालय में ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा।
- विशेष शिक्षा एवं पुनर्वास के क्षेत्र में विशेषज्ञों का अभाव।
- विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग छात्र/छात्राओं हेतु विशेष विद्यालय की स्थापना।
- विशेष शिक्षा एवं पुर्नवास से संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों का अभाव।
- जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डी0डी0आर0सी0) की प्रत्येक जनपद में स्थापना।
- विभागीय योजनाओं से बुन्देलखण्ड के लाभार्थियों का शत–प्रतिशत आच्छादन करना।
- पूर्व विद्यालयी प्री–स्कूल बचपन डे केयर सेंटरों की न्यूनता।
- समेकित विशेष विद्यालयों एवं समावेशी विद्यालयों का अभाव।
- विभिन्न दिव्यांगता से संबंधित शिक्षा एवं पुर्नवास के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों का अभाव।
- सेवारत विशेष एवं समावेशी अध्यापकों एवं अन्य पुनर्वास कर्मियों हेतु सेवारत प्रशिक्षण संस्थानों का अभाव।
- समेकित क्षेत्रीय केंद्र (C.R.C.) का अभाव।
- क्रॉस डिसेबिलिटी में प्रशिक्षित विशेष अध्यापक/मानव संसाधनों का अभाव।

5.3 रणनीति

- बुन्देलखण्ड में समावेशी विद्यालयों की संख्या में वृद्धि करना।
- सामान्य विद्यालयों एवं विशेष विद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- प्री स्कूल रेडीनेस के उद्देश्य से 03 से 07 वर्ष की आयु के दिव्यांग बच्चों हेतु झाँसी एवं चित्रकूट के अतिरिक्त बुन्देलखण्ड क्षेत्र के प्रत्येक जिले में बचपन डे–केयर सेन्टर संचालित कराया जाना।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के प्रत्येक जिले में दिव्यांग बच्चों हेतु एक–एक समेकित विद्यालय की स्थापना।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के प्रत्येक जिले में प्रत्येक श्रेणी के दिव्यांग छात्र/छात्राओं हेतु विशेष विद्यालयों की स्थापना।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के प्रत्येक जिले में भारत सरकार के सहयोग से डी0डी0आर0सी0 की स्थापना किया जाना।
- दिव्यांगजन भरण–पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजनान्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में नवीन पात्र लाभार्थियों को योजना से शत–प्रतिशत आच्छादित करना।
- कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को शत–प्रतिशत आच्छादित करना।
- शादी–विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को शत–प्रतिशत आच्छादित करना।
- दुकान निर्माण/संचालन योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को शत–प्रतिशत आच्छादित करना।

5.4 कार्य योजना

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में क्रियाशील गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं को दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 में अंकित प्राविधानों को बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लागू किया जाना।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर दिव्यांगजन हेतु विशिष्ट पहचान पत्र (यू0डी0आई0डी0) बनवाना।
- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा प्री–प्राइमरी स्तर से उच्चतर शैक्षणिक स्तर तक का अनुक्रम बनाया जाना जिसे उच्च शिक्षा हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट से जोड़ना।
- दिव्यांग बालकों की संख्या के अनुमान हेतु प्रतिदर्श सर्वे (नए निःशक्त जन अधिकार अधिनियम, 2016 में वर्णित दिव्यांगताओं के प्रकारों के अनुरूप)।
- दिव्यांगजनों से संबंधित सूचनाओं एवं सेवाओं की जानकारी हेतु मोबाइल एप का विकास।
- आंगनवाड़ी/बचपन डे केयर केन्द्रों को समुचित संसाधन उपलब्ध कराना एवं उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- दिव्यांग विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं अन्य प्रोत्साहनों को समय पर उपलब्ध कराना।
- बुन्देलखण्ड के अधिकांश जिलों में जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र की स्थापना कराना।

- दिव्यांगता के क्षेत्र में अनुसन्धान करने हेतु पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोत्साहन देना।
- वर्तमान में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्वीकृत/प्रस्तावित निम्न योजनाओं को क्रियान्वित करनाः–
  - ममता राजकीय मानसिक मंदित विद्यालय (बालक), बाँदा की स्थापना।
  - मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र, बाँदा व चित्रकूट की स्थापना।
  - समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय, बाँदा की स्थापना।
  - जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डी0डी0आर0सी0), बाँदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर एवं जालौन की स्थापना एवं संचालन।

6. शिक्षा

6.1 पृष्ठभूमि

भारत में गुणवत्तापरक शिक्षा में सुधार लाने हेतु पिछले दो दशकों में अत्यधिक प्रयास किये गये हैं, जिसके कारण प्राथमिक स्कूलों के नामांकन में वृद्धि तथा स्कूल से बच्चों के ड्रॉप आउट की दर में कमी आयी है। इन उपलब्धियों को प्रमुख कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों यथा–मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आर0टी0ई0 एक्ट 2009), इसके संशोधन (2017) तथा एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना–समग्र शिक्षा (2018) द्वारा बल प्रदान किया गया है। नेशनल अचीवमेन्ट सर्वे, 2017 (एन0ए0एस0 2017) में उत्तर प्रदेश की स्थिति राष्ट्रीय औसत स्कोर से निम्न आयी है। एन0ए0एस0 ने यह भी रेखांकित किया है कि प्रदेश में मात्र तीन प्रतिशत शिक्षक ही पाठ्यक्रम के लक्ष्यों को पूरी तरह से समझते हैं तथा उनमें से केवल पाँच प्रतिशत ही अपनी नौकरी से अत्यधिक संतुष्ट हैं। प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति निम्नवत् हैः–

- जनगणना 2011 के अनुसार बुन्देलखण्ड की समग्र साक्षरता दर 69.3 प्रतिशत है तथा इस क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता दर 57.1 प्रतिशत है। इसके अन्तर्गत आने वाले जनपदों में झाँसी एवं जालौन में साक्षरता दर 70 प्रतिशत से अधिक है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कक्षा पाँच के पश्चात ड्राप आउट दर पाँच से पन्द्रह प्रतिशत के बीच है। यह दर जनपद महोबा में सबसे कम (5.2 प्रतिशत) तथा जनपद चित्रकूट में सबसे अधिक (15.4 प्रतिशत) है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की औसत संगत दर 11 प्रतिशत तथा भारत की 6.3 प्रतिशत है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक तक ट्रांजीशन दर 71.5 प्रतिशत (जनपद बाँदा) से लेकर 83 प्रतिशत (जनपद झाँसी) के मध्य है जबकि उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में यही दर 57.5 प्रतिशत (जनपद चित्रकूट) से लेकर 84 प्रतिशत (जनपद जालौन) के मध्य है।
- यू–डायस के वर्ष 2016–17 के आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र का छात्र शिक्षक अनुपात 1:22 (जनपद हमीरपुर) से लेकर 1:35 (जनपद बाँदा) के मध्य आ रहा है जबकि राज्य का संगत औसत 1:31 प्रतिशत है।
- यू–डायस 2018–19 के अनुसार बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 9243 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षक तैनात हैं जबकि 284 प्राथमिक एवं 1316 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षक नहीं है।
- सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत स्कूलों के बुनियादी ढांचे में काफी निवेश हुआ है। यू0डी0आई0एस0ई0 2016–17 के अनुसार बुन्देलखण्ड में लगभग 98 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिये शौचालय है जो राष्ट्रीय औसत (94 प्रतिशत) से अधिक है। उल्लेखनीय है कि तीन वाश सुविधाओं (शौचालय, पेयजल और हैन्डवाशिंग) वाले स्कूल 24 प्रतिशत (जनपद चित्रकूट) से लेकर 92 प्रतिशत (जनपद ललितपुर) है।
- राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एन0ए0एस0) के अनुसार बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों में सबसे कम भिन्नता उभरकर आई है। सर्वे की तीनों श्रेणियों में (कक्षा–तीन, कक्षा–पाँच, कक्षा–आठ) में जनपद महोबा का स्कोर राज्य औसत से कम तथा जनपद जालौन का स्कोर राज्य औसत से अधिक है।

6.2 मुख्य मुद्दे

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में शिक्षा हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दु उभर कर आये हैं :–

- जन सामान्य द्वारा शिक्षा को उच्च प्राथमिकता नहीं दी जाती है। अतः आजीविका प्राप्त करने के लिये बुनियादी शिक्षा के स्थान पर कौशल आधारित शिक्षा को पसन्द किया जाता है।

- साक्षरता के स्तर में और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये स्कूल तक पहुंचने में एक बड़ा लिंग अन्तर है। लड़कियां स्कूल में दाखिला तो लेती हैं लेकिन स्कूल में उनकी उपस्थिति तथा भागीदारी कम रहती है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में छात्राओं को स्कूल में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये अधिक शिक्षिकाओं की आवश्यकता है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या पर्याप्त है किन्तु माध्यमिक स्कूल संख्या में कम तथा बस्तियों से दूर स्थित हैं। इसके कारण बहुत कम अभिभावक अपनी लड़कियों को दूरस्थ स्कूलों में भेजना पसन्द करते हैं और लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा जारी रहना सम्भव नहीं हो पाता है।
- विविध कारणों यथा–गरीबी आदि से स्कूलों में उपस्थिति में कमी हो जाती है। रोजगार के पर्याप्त संसाधन न होने के कारण निम्न और मध्यम वर्ग के आय वाले परिवार अधिकांशतः जीवनयापन/रोजगार हेतु परिवार सहित बाहर चले जाते हैं जिससे विद्यालयों में बच्चों की उपस्थित माह अक्टूबर/नवम्बर से कम होने लगती है। माह फरवरी/मार्च से ही भूगर्भ जल स्तर कम हो जाने के कारण पानी की समस्या उत्पन्न होने लगती है जिसके कारण ग्राम व विद्यालयों में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों से पानी निकलना बन्द हो जाता है। इस स्थिति में अभिभावकगण अपने बच्चों को नियमित स्कूल न भेज कर बच्चों को दूरस्थ स्थान से पानी लाने के लिये भेजते हैं जिससे बच्चों की नियमित शिक्षा/उपस्थिति तथा मध्यान्ह भोजन प्रभावित होता है। प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी निर्मित न होने के कारण ऐसे विद्यालयों में अराजक तत्वों एवं अन्ना जानवरों द्वारा स्कूल समय के बाद प्रांगण व स्कूल बरामदे में टूटफूट तथा गन्दगी कर दी जाती है, जिसके कारण विद्यालय खुलने के काफी समय तक साफ–सफाई होती रहती है तथा विद्यालय का शिक्षण कार्य प्रभावित होता है।
- चित्रकूटधाम मण्डल के गठन होने के लगभग 22 वर्ष के उपरान्त भी चित्रकूटधाम मण्डल हेतु संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं उप शिक्षा निदेशक (मा0) के पदों का सृजन तथा इनके कार्यालयों की स्थापना की स्वीकृति अब तक सम्भव नहीं हो सकी है जिसके कारण चित्रकूटधाम मण्डल के कार्यों का झाँसी मण्डल से ही निर्वहन किया जा रहा है। झाँसी मुख्यालय से चित्रकूटधाम की दूरी लगभग 300 कि0मी0 है, जिससे झाँसी मण्डल से चित्रकूटधाम मण्डल की विभागीय योजनाओं का प्रभावी पर्यवेक्षण, अनुश्रवण करने में कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त जनमानस को भी अपने विभागीय कार्यो हेतु जनपद चित्रकूट से झाँसी तक लगभग 300 कि0मी0 की दूरी तय करके आना पड़ता है।
- जनपद झाँसी में 101 राजकीय हाई स्कूल, जनपद जालौन में 14 राजकीय हाईस्कूल तथा जनपद ललितपुर में 10 राजकीय हाईस्कूल व 20 इण्टरमीडिएट विद्यालयों को खोले जाने की आवश्यकता है। जनपद बाँदा में 06 राजकीय हाईस्कूल व 10 इण्टरमीडिएट, जनपद महोबा में 08 राजकीय हाई स्कूल, जनपद चित्रकूट में 03 राजकीय हाईस्कूल व 01 इण्टरमीडिएट विद्यालयों को खोले जाने की आवश्यकता प्रतीत की गयी।
- झाँसी मण्डल के राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य के 30, प्रधानाध्यापक 22, प्रवक्ता 305 तथा सहायक अध्यापकों के 490 अर्थात कुल 847 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार चित्रकूटधाम मण्डल के राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य के 49, प्रधानाध्यापक 48, प्रवक्ता 475 तथा सहायक अध्यापकों के 874 अर्थात कुल 1446 पद रिक्त हैं।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में कोचिंग एवं कैरियर गाइडेन्स सेन्टरों की कोई सुविधा नहीं है जिसके अभाव में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण करने के उपरान्त छात्र/छात्राओं को अभियान्त्रिकी, चिकित्सीय, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आदि रोजगारपरक पाठ्यक्रम में सहजता से प्रवेश हेतु उचित दिशा प्राप्त नहीं हो पाती है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में संचालित इण्टरमीडिएट कालेजों में आवश्यक संसाधनों यथा–फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रसाधन, पेयजल, विद्युत, कम्प्यूटर, बैठने के लिए कक्ष एवं छात्रावासों का अभाव है।

6.3 रणनीति

- फाउन्डेशनल लर्निंग प्रोग्राम का सुदृढ़ीकरण किया जाये जिससे बच्चे बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल से भिज्ञ हों।
- आर0टी0ई0 मानदण्डों के अनुसार उपयुक्त छात्र–शिक्षक अनुपात प्राप्त करने के लिये शिक्षकों की तैनाती करना।
- स्कूलों, विशेष रूप से उच्च प्राथमिक स्कूलों में कम से कम एक महिला शिक्षक की तैनाती करना।
- सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम एवं लाइब्रेरी की व्यवस्था किये जाने पर विचार करना।
- प्रत्येक विद्यालय में एक चौकीदार का पद स्वीकृत किया जाना।
- समय–समय पर अच्छा काम करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाना।

- विद्यालयों का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के पाठ्यक्रम के अनुरूप होना।
- शिक्षा में सुधार लाने के लिये उपलब्ध मूल्यांकन आंकड़ों का छात्रवार तथा स्कूलवार उपयोग किया जाना।
- बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये स्कूली शिक्षा के महत्व के साथ–साथ अभिभावकों की भागीदारी के महत्व को रेखांकित करते हुये गहन सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम कराये जाना।
- शिक्षकों को नवीन जानकारी प्रदान करने हेतु पर्यवेक्षकीय (सुपरवाइजर) संवर्ग को सुदृढ़ किया जाना।
- नियमित उपस्थिति, नामांकन, बालिका शिक्षा आदि संदेश को परिवारों और बच्चों तक पहुंचाने वाली किशोर समूहों यथा–मीना मंच को प्रोत्साहन देना। रोजगार हेतु परिवार सहित क्षेत्र से बाहर चले जाने से विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति माह अक्टूबर/नवम्बर से कम होने विषयक समस्या को दूर करने के लिए बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराये जाने चाहिए। गर्मियों में अभिभावकगणों द्वारा अपने बच्चों को नियमित स्कूल न भेज कर दूरस्थ स्थान से पानी लाने के लिये भेजने विषयक समस्या को दूर करने के लिए पंचायत स्तर से पानी के टैंकर अथवा पानी के संसाधनों यथा–ट्यूबवेल आदि से जलापूर्ति कराये जाने पर विचार किया जाना चाहिए। प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी निर्मित न होने से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने हेतु सन्दर्भित विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने पर विचार करना चाहिए।
- चित्रकूट धाम मण्डल मुख्यालय, बाँदा पर माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक(मा0) तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों का सृजन कर कार्यालय की स्थापना कराये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।
- बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में संचालित इण्टरमीडिएट कालेजों में आवश्यक संसाधनों जैसे–फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रसाधन, पेयजल, विद्युत, कम्प्यूटर की व्यवस्था की जाए एवं बैठने के लिये कक्षों तथा रहने के लिए छात्रावासों का निर्माण कराया जाये। सभी माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत संरचना के विकास हेतु निर्धारित प्राविधान कड़ाई से लागू किये जाने की आवश्यकता प्रतीत की गयी।
- बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जूनियर इाईस्कूल से हाईस्कूल के रूप में उच्चीकृत किये गये विद्यालयों में छात्रांकन के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जाये।
- राजकीय इण्टर कालेजों में कोचिंग एवं कैरियर गाइडेन्स सेन्टरों की स्थापना हेतु विचार किया जा सकता है। प्रत्येक तहसील में कैरियर तथा गाइडेंस सेल की स्थापना की जानी चाहिए जो माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को भविष्य के लिए परामर्श तथा रोजगार की जानकारी दे सके।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की अनिश्चितता के कारण विद्यालयों में ससमय विद्युत उपकरणों के संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। अतः प्रत्येक राजकीय विद्यालयों में 05 के0वी0 व 10 के0वी0 का सोलर सिस्टम स्थापित कराये जाने पर विचार किये जाने की आवश्यकता है।

6.4 कार्य योजना

- सन्दर्भित रणनीति के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सेवाओं हेतु एक कन्वर्जन पैकेज विकसित किया जाना।
- सर्व शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिनव संसाधनों का उपयोग अधिकतम करना।
- स्कूलों में स्टाफ की समयबद्ध उपलब्धता, शिक्षक प्रशिक्षण तथा स्कूल प्रबन्धन में समुदाय की भागीदारी आदि उपायों के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना।
- सहयोगात्मक पर्यवेक्षण तथा शिक्षकों एवं छात्रों की उपस्थिति में नियमितता के लिये निरन्तर अभियान चलाना।
- शिक्षा और सीखने की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए गुणवत्तापूर्ण ढांचा तैयार किया जाना चाहिये जिसके अन्तर्गत आधारभूत एवं नियमित मूल्यांकन, शिक्षण की कमियों को दूर करना (विशेषकर ग्रेड 1–2–3 पर), शिक्षण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रक्रियाधीन दीक्षा प्रोग्राम (ऑनलाइन) और निष्ठा (शिक्षक प्रशिक्षण) पर बल देना।
- प्रत्येक विकास खण्ड हेतु अकादमिक संसाधन व्यक्ति (ए0आर0पी0) का योग्यता आधारित चयन किया जाना जिससे कि शैक्षणिक प्रथाओं में सुधार के लिये स्कूलों को सहयोगात्मक पर्यवेक्षण तथा ऑनसाइट सहायता प्राप्त हो सके।
- छात्र शिक्षक सम्बन्धी उपयुक्त अनुपात (पी0टी0आर0) को प्राप्त करने हेतु शिक्षकों के स्थानान्तरण एवं तैनाती में आवश्यकतानुसार कार्यवाही करना।

- मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से सभी स्थानान्तरण और तैनाती ऑनलाइन पारदर्शी तरीके से किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है।
- स्थानीय भाषा यथा–बुन्देली में अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री को विकसित किया जाना।
- ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत सितम्बर, 2020 तक स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं यथा–हाथ धोना, प्रसाधन, पेय जल, चहारदीवारी, विद्युतीकरण, सीढ़ियों एवं रैम्प बनवाना आदि उपलब्ध कराना।
- मार्च, 2022 तक स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराना।
- स्कूलों में छात्रों की नियमित उपस्थिति हेतु प्रयास करना।
- शिक्षा क्षेत्र में समस्याओं की पहचान करने के साथ–साथ अच्छी प्रथाओं (बैस्ट प्रेक्टिसिस) तथा सफलताओं (सक्सेस स्टोरीज) के संकलन का कार्य तृतीय पक्ष से कराया जाना चाहिये जो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रमों के उचित नियोजन में सहायता प्रदान कर सकें।
- समर्थ एप के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की ट्रैकिंग, पहचान एवं उन्हें मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाना।
- अध्यापक एवं अभिभावकों की बैठक नियमित अन्तराल पर कराना।
- सरकारी विद्यालयों के रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती करना।
- प्रत्येक विद्यालय में एक चौकीदार का पद सृजित किये जाने पर विचार करना।
- सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के लिये स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी, आधुनिक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु दीर्घ अवधि की योजना तैयार कराना।
- नकलविहीन परीक्षा के लिये आनलाइन परीक्षा केन्द्र के निर्धारण की व्यवस्था कराना।
- जनसंख्या के अनुरूप नवीन महाविद्यालयों की स्थापना किया जाना।
- दूरस्थ स्थानों के छात्रों के लिये छात्रावास की व्यवस्था किया जाना।
- छात्रों हेतु समय–समय पर कैरियर काउन्सिलिंग का आयोजन किया जाना।
- महाविद्यालयों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों की फीस को कम किया जाना चाहिये।
- विभिन्न पाठ्यक्रमों में एकरूपता के साथ–साथ रोजगार परक पाठ्यक्रमों का समावेश भी किया जाना।

7. उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा

7.1 पृष्ठभूमि

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सात जनपदों में 14 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थायें, 23 निजी क्षेत्र की पॉलीटेक्निक संस्थायें, 02 नवीन राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थायें तथा एक नवीन राजकीय पॉलीटेक्निक संस्था निर्माणाधीन हैं। इस क्षेत्र में प्रति जनपद 3.28 पॉलीटेक्निक संस्थायें हैं। प्रदेश सरकार तथा डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी (ए0के0टी0यू0) द्वारा प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे प्रयास निम्नवत् हैं:–

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सरकारी इन्जीनियरिंग कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये नियमित संकाय (फैकल्टी) की नियुक्ति।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सरकारी इन्जीनियरिंग कॉलेजों को ए0के0टी0यू0, लखनऊ द्वारा अनुसंधान केन्द्र के रूप में घोषित किया जाना।
- ए0के0टी0यू0 द्वारा शोध करने वाले स्कॉलर्स को निम्न योजनाओं के अन्तर्गत फैलोशिप दिया जाना :–
  - ✓ विश्वेश्वरैया अनुसंधान संवर्धन योजना।
  - ✓ सम्मेलन अनुदान योजना।
  - ✓ होमी भाभा रिसर्च सह टीचिंग फैलोशिप स्कीम।
  - ✓ प्लेसमेंट की सुविधा के लिये ए0के0टी0यू0 द्वारा यू0आई0आई0सी0 की स्थापना।

- ✓ स्टार्टअप्स एवं अभिनव कार्यों हेतु ए0के0टी0यू0 द्वारा ''कलाम सेन्टर फॉर इनोवेशन एण्ड इनक्यूबेशन ऑफ स्र्टाटअप्स'' की स्थापना।
- ✓ संकाय विकास कार्यक्रमों (एफ0डी0पी0) के लिये वित्त पोषण।

7.2 मुख्य मुद्दे

- प्रदेश के कुल जनसंख्या के सापेक्ष बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लगभग 4 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है किन्तु राज्य की तुलना में इस क्षेत्र में मात्र 1.6 प्रतिशत प्राविधिक कालेज स्थापित हैं।
- प्रदेश तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में पंजीकृत छात्र–छात्राओं की स्थिति निम्नवत् हैः–

क्षेत्र	पुरूष छात्र		महिला छात्र		कुल छात्र	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	3417	2.03	822	1.71	4239	1.95
उत्तर प्रदेश	168503	100	48044	100	216547	100

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश की तुलना में इस क्षेत्र में पंजीकृत छात्र–छात्राओं की संख्या अत्यन्त कम है। उल्लेखनीय है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 81 प्रतिशत पंजीकृत छात्रों के सापेक्ष मात्र 19 प्रतिशत पंजीकृत छात्रायें हैं।

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में चिकित्सा, इंजीनियरिंग, तकनीकी एवं रोजगारपरक शिक्षा संस्थानों का नितान्त अभाव है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित राजकीय महाविद्यालयों /तकनीकी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं विशेषकर राजकीय इन्जीनियरिंग कालेजों में शिक्षकों/स्टाफ की कमी है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पारम्परिक तथा व्यावसायिक शिक्षा देने हेतु एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नही है जिससे यहाँ के छात्रों को अनेक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों से वंचित रहना पड़ता है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के तकनीकी संस्थाओं में छात्रों को प्लेसमेन्ट तथा औसत प्लेसमेन्ट पैकेज कम मिल रहा है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में औद्योगीकरण की कमी है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सड़क, रेल, एयर कनेक्टिविटी की स्थिति अच्छी नहीं है।
- स्थानीय लोगों में तकनीकी शिक्षा के बारे में जागरूकता की कमी है।

7.3 कार्य योजना

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अधिक तकनीकी कॉलेजों की स्थापना किये जाने तथा वर्तमान में स्थापित कॉलेजों में खाली सीटों को भरने की आवश्यकता है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित तकनीकी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं विशेषकर राजकीय इन्जीनियरिंग कालेजों में शिक्षकों/स्टाफ के पदों को भरा जाना चाहिये।
- बुन्देलखण्ड में स्थापित तकनीकी कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रम यथा–ग्रामीण इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, पर्यटन प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण आदि संचालित किये जाने की आवश्यकता है।
- बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कालेज, एक इंजीनियरिंग कालेज, एक वोकेशनल कालेज, एक क्रीड़ा महाविद्यालय, एक संगीत एवं नाट्य महाविद्यालय तथा एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना पर विचार किया जाय जिससे इस क्षेत्र के युवाओं को इन विषयों की उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके।
- क्षेत्र के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में आधारभूत संरचना के विकास, छात्र/शिक्षक अनुपात हेतु निर्धारित प्राविधान कड़ाई से लागू किये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।
- बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में अकाल, पेयजल तथा कृषकों की अन्य समस्याओं पर शोध करने हेतु शोधपीठ का गठन किया जाना चाहिए।

- बुन्देलखण्ड के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लास रूम बनाये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।
- विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों में एकरूपता के साथ–साथ रोजगारपरक पाठ्यक्रमों यथा– साफ्टवेयर का समावेश भी किया जाना चाहिये।
- छात्रों हेतु समय–समय पर कैरियर काउन्सिलिंग का आयोजन किया जाना चाहिये।
- दूरस्थ स्थानों के छात्रों के लिये छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिये।
- नवीन उद्योग स्थापित कर क्षेत्र में लोगों के आय स्तर और रोजगार के अवसर को बढ़ाना चाहिये।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्टार्टअप्स और औद्योगीकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

उक्त **''सामाजिक क्षेत्र''** के अन्तर्गत आने वाले महत्वपूर्ण विभागों/कार्यक्रमों के मध्य समन्वय, विभिन्न संस्थाओं के दायित्व तथा जनपदवार प्रस्तावित कार्यों के विवरण की स्थिति निम्नवत् हैः–

समन्वय

योजना/कार्यक्रम का नाम	सम्बन्धित विभाग	अन्य विभाग
ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (वी0एच0एन0डी0)	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	• महिला एवं बाल विकास • प्राथमिक शिक्षा • पंचायती राज • कृषि
स्वास्थ्य मेला	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	• महिला एवं बाल विकास • प्राथमिक शिक्षा • पंचायती राज • चिकित्सा शिक्षा
बाल–विवाह, किशोरियों के गर्भधारण की रोकथाम	महिला एवं बाल विकास	• महिला विकास • चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण • ग्राम्य विकास • गृह विभाग
दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	• समाज कल्याण • शिक्षा विभाग • महिला एवं बाल विकास • चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण • श्रम एवं रोजगार
सर्वशिक्षा अभियान, दीक्षा	प्राथमिक शिक्षा	• ग्राम्य विकास • शहरी विकास • तकनीकी

उक्त क्रम में ''सामाजिक क्षेत्र'' के विकास हेतु विभिन्न सरकारी, विश्वविद्यालय, निजी संस्था, स्वयं सेवी संगठन आदि का दायित्व निम्नवत् हैः–

विभिन्न संस्थाओं का दायित्व

- ### सरकारी विभाग

कार्यक्रम के क्रियान्वयन का दायित्व मुख्य रूप से सरकारी विभाग का होता है। सम्बन्धित विभाग को सरकारी कार्यक्रमों एवं नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए और अपने सहयोगियों के साथ इस तरह से काम करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी कार्यक्रम गुणवत्ता के साथ लागू किये गये हैं।

- **मेडिकल कालेज एवं विश्वविद्यालय**

यह उत्कृष्टता और ज्ञान के केन्द्र हैं जो कि सरकारी कर्मचारियों को पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित कर सकते हैं। मेडिकल कालेज समय–समय पर चिकित्सकों, स्टाफ नर्सो एवं ए0एन0एम0 की क्षमतावर्द्धन के लिये अल्पकालिक पाठ्यक्रम चला सकते हैं। यह पाठ्यक्रम यह सुनिश्चित करेगें कि सेवा प्रदाता नवीनतम तकनीकों और कार्य–प्रणाली को जान सके। सभी मेडिकल कालेजों को एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों के लिए एल0एस0ए0एस0 तथा ईमॉक प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने के लिये चिकित्सकों का क्षमतावर्द्धन हो सके तथा नव जन्म के परिणामों में सुधार हो सके। इसी तरह नर्सिंग कालेज भी स्टाफ नर्स एवं ए0एन0एम0 का क्षमतावर्द्धन कर सकते हैं।

- **निजी एवं अन्य संस्थायें**

निजी संस्थायें अध्ययन और सर्वेक्षण करने और गुणवत्ता की प्रतिपुष्टि (फीडबैक) प्रदान करने के लिये सरकार को तकनीकी सहायता प्रदान कर सकती है व कार्यक्रम की प्रगति का आंकलन करने के लिये सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन कर सकती हैं।

- **प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन एवं साझेदार**

गैर सरकारी संगठन सरकारी कार्यक्रमों की नियमित निगरानी और सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कर सकते हैं जिससे मिलने वाले समवर्ती फीडबैक से कार्यक्रमों में यथाशीघ्र सुधार किया जा सकता है। गैर सरकारी संस्थान योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन किये जाने के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिये छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर उनके निदान पर प्रकाश डालने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

उक्त क्रम में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न जनपदों में किये जाने हेतु विचारणीय कार्यों/प्रस्तावों की स्थिति निम्नवत् हैः–

जनपदवार विचारणीय कार्यों/प्रस्तावों का विवरण

क्र.सं.	कार्य योजना
बाँदा	● सिजेरियन सेक्शन सेवाओं के लिए निर्दिष्ट प्रथम रेफरल यूनिट्स को क्रियाशील करना। ● मेडिकल कॉलेज, बाँदा को स्वायत्त स्थिति प्रदान करना। ● 6 राजकीय हाईस्कूल, 10 इण्टरमीडिएट कॉलेज की स्थापना किया जाना। ● ममता राजकीय मानसिक मंदित विद्यालय (बालक), बाँदा की स्थापना। ● मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना। ● समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय, बाँदा की स्थापना। ● जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डी0डी0आर0सी0) की स्थापना एवं संचालन।
चित्रकूट	● बाँदा सुपोषण कार्यक्रम को क्रियान्वित करना। ● बाल–विवाह रोकने के लिए समुदाय में जागरूकता बढ़ाने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन। ● कुपोषण दूर करने के लिए बाल विकास विभाग के कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना। ● 3 राजकीय हाईस्कूल, 01 इण्टरमीडिएट कॉलेज की स्थापना किया जाना। ● मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना। ● जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डी0डी0आर0सी0) की स्थापना एवं संचालन।
हमीरपुर	● बाँदा सुपोषण कार्यक्रम को क्रियान्वित करना। ● बाल रोग विशेषज्ञ एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ की जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनाती। ● 14 राजकीय हाईस्कूल की स्थापना किया जाना। ● जिला चिकित्सालय स्तर पर एम0आर0आई0 इकाई की स्थापना।
महोबा	● बाँदा सुपोषण कार्यक्रम को क्रियान्वित करना। ● 8 राजकीय हाईस्कूल की स्थापना किया जाना। ● बाल रोग विशेषज्ञ की जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनाती। ● जिला चिकित्सालय, महोबा को 100 अतिरिक्त शैययाओं हेतु विस्तारीकरण। ● जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डी0डी0आर0सी0) की स्थापना एवं संचालन।

क्र.सं.	कार्य योजना
झाँसी	● बाँदा सुपोषण कार्यक्रम को क्रियान्वित करना। ● जिला अस्पताल स्तर पर एस0 एन0 सी0 यू0 और सी0 एच0 सी0 स्तर पर एन0बी0एस0यू0 सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना। ● मेडिकल कॉलेज, झाँसी को स्वायत्त स्थिति प्रदान करना। ● 101 राजकीय हाईस्कूल की स्थापना किया जाना। ● शहरी क्षेत्र में कौशल विकास सम्बन्धी विषयों को पाठयक्रमों में शाामिल किया जाना ताकि छात्रों की उपस्थिति स्कूलों में सुनिश्चित की जा सके।
ललितपुर	● बाँदा सुपोषण कार्यक्रम को क्रियान्वित करना। ● बाल–विवाह रोकने के लिए समुदाय में जागरूकता बढ़ाने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन। ● 10 राजकीय हाईस्कूल, 20 इण्टरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना किया जाना। ● कुपोषण दूर करने के लिए बाल विकास विभाग के कार्यक्रमों को सृदृढ़ करना। ● जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डी0डी0आर0सी0) की स्थापना एवं संचालन।
जालौन	● बाँदा सुपोषण कार्यक्रम को क्रियान्वित करना। ● 4 नामित एफ0आर0यू0 में से केवल 1 एफ0आर0यू0 जालौन में सक्रिय हैं। विशेषज्ञों (स्त्री रोग विशेषज्ञ और निश्चेतक) या ईमॉक (इमरजेंसी ऑब्सटेट्रिक केयर) और एल0एस0ए0एस0 (लाइफ सेविंग एनेस्थिसिया स्किल्स) प्रशिक्षित डॉक्टरों का स्थानान्तरण कर सिजेरियन सेक्शन सेवाओं के लिए सक्रिय किया जाना चाहिए। ● मेडिकल कॉलेज, जालौन को स्वायत्त स्थिति प्रदान करना। ● 14 राजकीय हाईस्कूल विद्यालयों की स्थापना किया जाना। ● जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डी0डी0आर0सी0) की स्थापना एवं संचालन।

राष्ट्रीय सेमिनार
बुन्देलखण्ड का विकास : दशा, रणनीति एवं भावी दिशा
सेक्टर - 4 सामाजिक
आयोजक : बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड, नियोजन विभाग, उ.प्र.

अध्याय–5

विनिर्माण क्षेत्र

राष्ट्रीय सेमिनार
बुन्देलखण्ड का विकास : इशूज, रणनीति एवं भावी दि
सेक्टर - विनिर्माण
आयोजक : बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड, नियोजन विभाग, उ.प्र.

राष्ट्रीय सेमिनार
बुन्देलखण्ड का विकास : इशूज, रणनी
भावी दिशा
सेक्टर - विनिर्माण
आयोजक : बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड, नियो
उ.प्र.

विनिर्माण क्षेत्र

1. पृष्ठभूमि

प्रदेश में अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है किन्तु पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण इस क्षेत्र में रोजगार सृजन की बहुत सम्भावना नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जो तीव्र गति से रोजगार प्रदान कर सकता है। प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिये विनिर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं, बृहद् उद्योग, रक्षा विनिर्माण, खनन आदि विविध क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रदेश के सम्बन्धित विभागों यथा–विद्युत, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, एम0एस0एम0ई0, नगर विकास, खनिकर्म, लोक निर्माण तथा सम्बन्धित प्राधिकरणों, उद्योग जगत के सम्बन्धित प्रतिनिधियों आदि द्वारा प्रस्तुत किये गये विचारों के आधार पर ''विनिर्माण क्षेत्र'' के विषय में विवरण निम्नवत् है :–

- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति–2017 एक व्यापक एवं पथ प्रदर्शक नीति है, जो रोजगार सृजन के साथ निवेश को भी प्रोत्साहित करती है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों हेतु विशिष्ट नीतियां यथा–रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोज़गार प्रोत्साहन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग आदि भी घोषित की गयी हैं, जो निवेशकों के लिए बहुत आकर्षक सिद्ध हो रही है।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जनसंख्या की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.6 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र नगरीकरण की दृष्टि से प्रदेश के चारों आर्थिक सम्भागों में तीसरे स्थान पर आ रहा है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र प्रदेश में सबसे अधिक संसाधन–सम्पन्न क्षेत्रों में से एक है, जिसमें औद्योगीकरण के लिए भूमि की प्रचुरता एवं खनिज सम्पदा का विशाल भण्डार है। यह क्षेत्र खनिज आधारित उद्योगों सहित विनिर्माण क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र प्रदेश तथा देश की औद्योगिक रीढ़ पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–44 इसके जनपदों यथा–झाँसी और ललितपुर से होकर गुजरता है।
- यह क्षेत्र राज्य के सभी प्रमुख निर्यात केन्द्रों से जुड़े होने के साथ–साथ रेल एवं सड़क नेटवर्क के माध्यम से मध्य भारत का प्रवेश–द्वार है।
- ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर (ई0डी0एफ0सी0) के नोड्स बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न जनपदों यथा–चित्रकूट, बाँदा, हमीरपुर तथा जालौन के निकट हैं।
- वर्ष 2018 में भारत सरकार ने देश में दो डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर्स की घोषणा की थी, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश में है। डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर से क्षेत्र में विशाल विनिर्माण आधार विकसित होगा तथा इसमें लगभग रु 20,000 करोड़ के निवेश आकर्षित करने तथा लगभग 2.5 लाख रोजगार के अवसरों के सृजन की सम्भावना है। इस कॉरिडोर के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद झाँसी तथा जनपद चित्रकूट में नोड्स चिन्हित हैं।
- माह फरवरी, 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनी तरह का पहला यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया, जिसके अन्तर्गत पूरे राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में 1045 समझौता ज्ञापनों (एम0ओ0यू0) के माध्यम से 4.28 लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्तावों को आकर्षित किया गया। इस क्रम में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लगभग 21,000 करोड़ रुपए के 43 एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर किए गए, जो कुल निवेश प्रस्तावों का 5 प्रतिशत है।
- इन निवेश प्रस्तावों में इस क्षेत्र में विद्यमान सौर ऊर्जा की विशाल क्षमता के दोहन के उद्देश्य से कुल 14 एम0ओ0यू0 सौर संयंत्र या पार्क की स्थापना के लिए किए गये हैं।
- विनिर्माण क्षेत्र में प्रमुख रूप से डिफेंस एवं सीमेण्ट विनिर्माण के लिए 12 एम0ओ0यू0 किए गए हैं।
- समिट के आयोजन के पश्चात् माह जुलाई, 2018 में 61,847 करोड़ रुपये की 81 परियोजनाओं का शुभारम्भ भी हो गया है। इनमें से 190 करोड़ की विनिर्माण परियोजनाएं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में हैं, जो जी0बी0सी0–1 परियोजनाओं का 3 प्रतिशत है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र की कनेक्टिविटी में वृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 296 किलोमीटर लम्बा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे का विकास किया जा रहा है, जो जनपद चित्रकूट को आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे पर इटावा से जोड़ेगा।

- प्रमुख क्षेत्र में विशिष्ट नीतियों, प्रणालीगत तथा प्रक्रियात्मक व्यापार सुधारों को लागू करते हुए राज्य सरकार ने जुलाई, 2019 में 64,860 करोड़ रुपये की 290 परियोजनाओं का शुभारम्भ किया है। इनमें से रू0 2635 करोड़ के निवेश से सम्बन्धित 4 प्रतिशत परियोजनाएं मुख्य रूप से सौर ऊर्जा क्षेत्र में बुन्देलखण्ड में परिपक्व हुई हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट–2018 में प्राप्त लगभग 25 प्रतिशत निवेश प्रस्तावों का शुभारम्भ करने में सफल हुई है, जिसमें से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 2825 करोड़ रूपये की निवेश परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा हैं।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण, लकड़ी के उत्पादों और आधारभूत धातुओं के विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में आनुषंगिक इकाइयों तथा एम0एस0एम0ई0 का सुदृढ़ आधार है, जो इस क्षेत्र के एम0एस0एम0ई0 में 56 प्रतिशत के रोजगार का योगदान करता है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्ष में 300 से 330 दिनों के लिए 5–5.5 के0डब्ल्यू0एच0 प्रति वर्गमीटर का उच्च सौर विकिरण प्राप्त होता है। अतः इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन की अत्यधिक संभावनायें हैं। इसके अतिरिक्त निजी सौर पार्क और संयंत्र स्थापित करने के लिए सौर सेल/पैनल के निर्माण के व्यापक अवसर भी हैं। उल्लेखनीय है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में इस सेक्टर में पहले से ही अच्छा निवेश आकर्षित हो रहा है।
- सौर ऊर्जा सेक्टर में असीम सम्भावनाओं के दृष्टिगत राज्य सरकार ने बुन्देलखण्ड में ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है तथा सोलर पार्कों एवं संयंत्रों के लिए पारेषण अवस्थापना सुविधाओं (ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी) को भी विकसित किया जाएगा।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद झाँसी को एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में ए0एम0आर0यू0टी0 (अटल मिशन फार रेज्यूविनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफारमेशन) के अन्तर्गत 5 नगरों को चिन्हित किया गया है।

2. मुख्य मुद्दे

2.1 औद्योगिकीकरण

- औद्योगिक भूखण्डों/प्लाटों एवं औद्योगिक आस्थानों की कमी होना।
- उच्च स्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों, टेक्नोलोजी सेंटर्स का अभाव।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों का अभाव।
- आर्गेनिक खेती के तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र व फूड उत्पादों की टेस्टिंग लैब का अभाव।
- एक्सपोर्ट प्रमोशन हेतु आवश्यक सुविधाओं यथा–ड्राईपोर्ट, वेयर हाउसिंग, कन्टेनर फ्रेट स्टेशन एवं अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो की सुविधाओं आदि का अभाव होना।
- परम्परागत उद्योग–धंधों यथा–रानीपुर कॉटन उद्योग, ललितपुर सिल्क साड़ी उद्योग, जालौन का हाथ कागज उद्योग, जखौरा पीतल उद्योग, ललितपुर का होज़री वस्त्र निर्माण, ग्रेनाइट उद्योग आदि के आधुनिकीकरण के अभाव में अवनति होना।
- औद्योगिक गतिविधियों एवं औद्योगिक प्रोत्साहन में सम्मिलित समस्त विभागों यथा–कृषि, ग्राम्य विकास एवं उद्योग विभाग आदि के बीच पर्याप्त सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक कंवर्जेंस का अभाव होना।
- सरकारी संस्थाओं यथा–यू0पी0एस0आई0डी0सी0 (यू0पी0एस0आई0डी0ए0) की भूखंड दरें पड़ोसी प्रदेशों की तुलना में बहुत ज्यादा है। यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के औद्योगिक क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं यथा–औद्योगिक विद्युत फीडर, अच्छी सड़कों, इकाइयों के लिए पानी की व्यवस्था, सी0एस0आई हॉस्पिटल, बैंकिंग व्यवस्था आदि का अभाव होना।
- औद्योगिकीकरण हेतु समुचित बुनियादी सुविधाओं के साथ उचित मूल्य पर भूमि की उपलब्धता एक ऐसा विषय है, जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विविध सुविधाएं यथा–अनाज/फल/सब्जी मण्डी, अग्निशमन, कृषि उपजों के गोदाम, उच्च स्तरीय शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, औद्योगिकीकरण आदि का नियोजित विकास कराने हेतु विभिन्न सेक्टरों यथा–शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, पर्यटन, जल प्रबन्धन, पर्यावरण, अवस्थापना सुविधायें, नगरीय एवं ग्राम्य विकास हेतु क्षेत्रीय योजनाओं का निर्माण कराना।

2.2 लॉजिस्टिक्स

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निर्यात केन्द्रों की सम्भावनाओं का लाभ उठाने हेतु लॉजिस्टिक्स अवस्थापना सुविधाओं का विकास एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। झाँसी तथा चित्रकूट में कन्टेनर डिपो व फ्रेट स्टेशनों के विकास अथवा एकीकृत लॉजिस्टिक पार्क के विकास में निवेश के अवसर हैं। क्षेत्र में लॉजिस्टिक अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु वेयर हाउसेज़ तथा कोल्ड चेन्स की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए उनकी क्षमता में वृद्धि तथा उन्नयन में भी सम्भावनायें विद्यमान हैं। इस प्रकार ऑटोमेशन तथा मेटिरियल हैण्डलिंग तकनीक में भी निवेश के अवसर उपलब्ध हैं।

2.3 कौशल विकास

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की मांग को देखते हुये पर्यटन, हेल्थकेयर, स्टोन क्रशिंग, टूरिज्म एण्ड हास्पिटेलिटी, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रानिक्स, कन्स्ट्रक्सन, आटोमोटिव, रिन्यूएबिल एनर्जी, आयरन एण्ड स्टील, टैक्सटाईल एवं माइनिंग सेक्टर में कौशल विकास प्रशिक्षण का अभाव है।
- क्षेत्र के परम्परागत उद्योग यथा–चन्देरी साड़ी, रानीपुर टेरीकाट के निर्माण के आधुनिक तकनीकी ज्ञान के प्रशिक्षण का अभाव है।
- वनों पर आधारित उद्योगों के लिये प्रशिक्षण का अभाव।
- हाथ से कागज निर्माण की तकनीकी के आधुनिकीकरण का प्रशिक्षण न होना।
- जखौरा, ललितपुर तथा महोबा के ढलवॉ पीतल, गौरा पत्थर व चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने बनाने वाले परम्परागत कारीगरों को मूर्ति शिल्प तकनीक व लकड़ी के खिलौने के लाख कोटिंग का ज्ञान न होना।
- कपड़े के खिलौने तथा गुड़िया निर्माण की परम्परागत विधा का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने की कोई व्यवस्था न होना।
- होज़री निर्माण का कभी हब रहे जनपद ललितपुर के कारीगरों में कॉटन होज़री निर्माण के प्रशिक्षण का अभाव।
- ग्रेनाइट कटिंग व पालिशिंग, अचार उत्पादन, फल संरक्षण के प्रशिक्षण का अभाव।
- प्रशिक्षण के दौरान मानदेय (स्टाइपेन्ड) की व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन परिवारों के वास्तविक जरूरतमंद अभ्यर्थी प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाते हैं।
- बाँदा के शजर पत्थर के नग तथा आभूषण उत्पादन के प्रशिक्षण का अभाव होना।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में कर्मचारियों की कमी होना।

2.4 सड़क

- वर्तमान में 250 से अधिक आबादी के राजस्व ग्रामों/बसावटों को सम्पर्क मार्गों की सिंगल कनेक्टिविटी से जोड़े जाने की नीति है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र जगह–जगह बिखरी हुयी बसावटों/आबादी में फैला हुआ क्षेत्र है। वर्तमान नीति में बसावटों को आपस में जोड़े जाने के अभाव से ग्रामवासियों को दूसरे बसावट में जाने हेतु मुख्य मार्ग पर कुछ दूरी चलने के पश्चात दूसरे बसावट हेतु सुविधा उपलब्ध हो पाती है। इस प्रकार उन्हें दो से तीन गुना अधिक दूरी तय करनी पड़ती है।
- वर्तमान में प्रचलित नीति के कारण 250 से कम आबादी वाले बसावट के ग्रामवासियों को लेपित मार्ग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस क्षेत्र की बिखरी आबादी के कारण जनमानस को काफी दूर चलने के पश्चात लेपित मार्ग की सुविधा मिल पाती है।
- वर्तमान में किसी भी लोकेशन से 10 किमी अपस्ट्रीम की सीमा में कुल अवस्थित होने की स्थिति में पुल निर्मित किये जाने की नीति नहीं है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में नदी एवं बांधों की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक है एवं बरसात में बांधों के गेट खोले जाने की स्थिति में डाउन स्ट्रीम फ्लैश फ्लड्स आते हैं जिससे आबादी का सम्पर्क बाजारों एवं मुख्यालयों से टूट जाता है। अतः बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 10 किमी की सीमा शिथिल किये जाने की आवश्यकता प्रतीत की जा रही है।
- वर्तमान में जिला योजना के अन्तर्गत धनराशि तीन वर्ष में अवमुक्त की जाती है जबकि क्षेत्र में काली कपासी मिट्टी होने के कारण तीन वर्षों तक डब्ल्यू0बी0एम0 स्तर तक बनी आधी अधूरी सड़कों को सुरक्षित रखने में कठिनाई होती है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में गीली बालू से भरे भारी वाहनों के आवागमन के कारण मार्ग निर्धारित अवधि से पूर्व ही क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।

- बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत आने वाले जिलों में सड़कों के त्वरित अनुरक्षण हेतु सरकारी हॉट मिक्स प्लान्ट का अभाव है।
- इस क्षेत्र में सैन्य भूमि में मार्ग निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्यों के सम्पादन हेतु रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से अनापत्ति प्राप्त होने में अत्यधिक समय लगता है।
- बुन्देलखण्ड में वन संरक्षित क्षेत्रों में मार्गों के निर्माण हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त न होने के कारण स्वीकृत कार्यों को यथास्थिति में रोकते हुये असाध्य घोषित किये जाने की बाध्यता हो जाती है। वर्तमान में काफी आबादी के वन से आच्छादित होने के कारण मुख्य धारा से जोड़ना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

2.5 नगर विकास

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 01 नगर निगम, 18 नगरपालिका परिषद एवं 26 नगर पंचायत कार्यरत हैं। इस क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले जनपदों की नगरीय जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अतः इन नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास की निरन्तर मांग है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र के बाहर शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन क्रियायें, पेट्रोल पम्प तथा ढाबा/रेस्टोरेन्ट बहुतायत में हैं किन्तु नगर निकायों/विकास प्राधिकरणों की सीमा के बाहर स्थित होने के कारण इनके नियोजित विकास हेतु कोई नीति निर्धारित नहीं है।
- जलापूर्ति नेटवर्क को सुदृढ़ीकरण करना।
- एक लाख से ऊपर आबादी वाले स्थानीय निकायों को सीवर लाइन की व्यवस्था से युक्त करना।
- सॉलिड वेस्ट निस्तारण की उचित व्यवस्था कराना।
- मृत जानवरों हेतु विद्युत शवदाह गृह की आवश्यकता होना।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में शहरी केंद्र तथा सम्बन्धित बुनियादी ढांचे को विकसित करने की भारी मांग है। इसके लिये झाँसी और चित्रकूट को दो प्रमुख केंद्रों के रूप में चिन्हित किया जा सकता है।

2.6 विद्युत आपूर्ति एवं वितरण

- विद्युत की अनियमित आपूर्ति।
- विद्युत लाइनों के जर्जर तार व ट्रान्सफार्मर एवं अन्य सामग्रियों की त्वरित आपूर्ति न होना।
- औद्योगिक विद्युत दरों का मध्य प्रदेश के विद्युत दरों के सापेक्ष अधिक महंगा होना।
- विद्युत बिलिंग की उचित व्यवस्था न होना।
- विद्युत बिलों का नियमित भुगतान न होना अथवा भुगतान ही नहीं किया जाना।
- कम राजस्व वसूली।
- उच्च तकनीकी व कामर्शियल (ए0टी0 एण्ड सी0) क्षति होना।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में झाँसी में केवल एक विद्युत वितरण केन्द्र है। इस क्षेत्र में अत्यधिक विद्युत पारेषण हानियां होती है, जबकि घरेलू विद्युतीकरण का विस्तार हो रहा है। अतः विद्युत वितरण क्षेत्र में विद्युत हानियों को कम करने हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा उनके उन्नयन, नवीन उपकेन्द्रों, फीडरों तथा स्मार्ट मीटरिंग आदि की आवश्यकता है।

2.7 खनन

- उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के अनुसार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शजर पत्थर की अच्छी सम्भावनाएं है, किन्तु कच्चे माल की कमी के कारण इसका लाभ उठाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में उपलब्ध खनिजों पर आधारित उद्योगों यथा–ग्रेनाइट कटिंग, पालिशिंग आदि की कमी होना।

2.8 जल संसाधन

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पानी की अत्यधिक कमी है, अतः इस क्षेत्र में जलापूर्ति तथा जल संचयन से सम्बंधित नेटवर्क के क्षेत्र में अनेक अवसर हैं। अतः वर्षा जल–संचयन, निर्माण, जल भण्डारण तथा जलाशयों एवं नदी के कैचमेण्ट क्षेत्र में अनुरक्षण तथा विकास में निवेश की आवश्यकता है।

2.9 हरित सम्पदा (वनाच्छादन)

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विभिन्न जनपदों यथा–ललितपुर, झाँसी, जालौन, बाँदा आदि में लगभग 30 लाख हैक्टेयर भूमि वन के रूप में अधिसूचित है, जो सम्पूर्ण राज्य के वनों का 12 प्रतिशत है। इस हरित सम्पदा के कारण यह क्षेत्र औषधीय पादपों का केन्द्र है। उल्लेखनीय है कि बुन्देलखण्ड सहित सम्पूर्ण राज्य में वन क्षेत्र में तीव्रता से कमी आ रही है।

2.10 व्यवसाय में सहजता (ईज ऑफ डूईंग बिजनेस)

प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दूर होने के कारण इस क्षेत्र के विकास हेतु व्यवसाय तथा शासन के बीच मानव सम्पर्क को न्यूनतम करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा देश की सबसे अच्छी सिंगल विण्डो प्रणाली में से एक–निवेश मित्र संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस में सुधार हेतु अनेक कदम उठाए जा रहे हैं।

2.11 वित्त पोषण

इस क्षेत्र में वित्तीय सेवायें प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कराने हेतु इनको विस्तारित करने की आवश्यकता है। अतः बैंको द्वारा लघु विनिर्माण इकाइयों की सहायता हेतु कदम उठाने चाहिए।

2.12 प्रदूषण मुक्त सतत विकास

इस क्षेत्र में प्रदूषण मुक्त विकास एक चुनौती है, जिसके निवारण करने हेतु समस्त विकास योजनाओं में इस बिन्दु को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

2.13 भण्डारण क्षमता का अभाव

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में चावल और दालों की स्वदेशी किस्में हैं, लेकिन इन अनाजों के प्रसंस्करण हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिये पर्याप्त अवसर होने के उपरान्त भी आधारभूत ढॉचे एवं भण्डारण की कमी होने से इन उद्योगों को लाभ नहीं हो पा रहा है।

3. रणनीति एवं कार्य योजना

3.1 औद्योगिकीकरण, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन

- सरकारी आस्थानों को विकसित करने के साथ ही पी०पी०पी० मोड में भी निजी इंडस्ट्रियल इस्टेट विकसित करने की नीति बनाए जाने की आवश्यकता होना।
- आर्गैनिक खाद्य पदार्थों की विश्वव्यापी मांग के दृष्टिगत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अनिवार्य रूप से पी०पी०पी० मोड में टेस्टिंग लैबोरेटरी की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है जिससे उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाणीकरण आसानी से एवं त्वरित गति से हो सके।
- ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों, खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों तथा अन्य उत्पादों के बृहद् पैमाने पर निर्यात को बढ़ाने के लिए ड्राई पोर्ट के विकास की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत वेयर हाउसिंग, कंटेनर फ्रेट स्टेशन एवं अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो की स्थापना यथोचित स्थानों पर किए जाने की आवश्यकता है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बंद पड़े क्लस्टर्स को पुनर्जीवित करते हुए नए संभावित क्लस्टर्स की पहचान कर उनके विकास करने की आवश्यकता है। इन क्लस्टर्स में रानीपुर हैण्डलूम क्लस्टर्स, जालौन का हस्तनिर्मित कागज, ललितपुर की चन्देरी साड़ी, झाँसी में फूड प्रोसेसिंग, साफ्ट ट्वाय आदि के विकास की अपार सम्भावनायें हैं।
- जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों का आधुनिकीकरण कराया जाना।
- यू0पी0एस0आई0डी0ए0 के औद्योगिक क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण किए जाने की आवश्यकता होना।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सेवा क्षेत्र के उद्यमों यथा–बी0पी0ओ0 एवं अन्य आई0सी0टी0 आधारित उद्यमों के विकास की अपार सम्भावना है जिनके माध्यम से व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन किया जा सकता है।
- परम्परागत उद्योग यथा–चन्देरी साड़ी के कारीगरों को आई0टी0आई0 और पालीटेक्निक में मास्टर ट्रेनर (बुनकर) के माध्यम से प्रशिक्षित कराना।

- पावरलूम आधारित रानीपुर टेरीकाट के बुनकरों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की मांग के अनुसार डिजाइन तैयार करने हेतु प्रशिक्षित किया जाना।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक डिजाइन इन्स्टीट्यूट की स्थापना किया जाना।
- आयुर्वेद दवा उद्योग हेतु वनों पर आधारित कच्चे माल के वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेसिंग करने का प्रशिक्षण दिया जाना।
- परम्परागत कुम्हारी कला के कारीगरों को आधुनिक तकनीक के चाक चलाने का प्रशिक्षण दिया जाना।
- हाथ से कागज निर्माण की तकनीकों के आधुनिकीकरण में हुये शोध से परम्परागत कारीगरों को अवगत कराना।
- जखौरा, ललितपुर तथा महोबा के ढलवॉ पीतल, गौरा पत्थर व चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने बनाने वाले परम्परागत कारीगरों को मूर्ति शिल्प तकनीक व लकड़ी के खिलौने की लाख कोटिंग का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- कपड़े के खिलौने तथा गुड़िया निर्माण की परम्परागत विधा के संरक्षण हेतु इसके कारीगरों को आई0टी0आई और पालीटेक्निक के माध्यम से प्रशिक्षित कराना।
- होज़री निर्माण का कभी हब रहे जनपद ललितपुर के कारीगरों को आई0टी0आई और पालीटेक्निक के माध्यम से प्रशिक्षित कराना।
- ग्रेनाइट कटिंग व पालिशिंग, आर्गेनिक कृषि, फ्लोरीकल्चर, पोली हाउस में सब्जी की खेती, अचार उत्पादन, फल संरक्षण आदि का प्रशिक्षण देना।
- प्रशिक्षण के दौरान मानदेय (स्टाइपेन्ड) की व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन परिवारों के वास्तविक जरूरतमंद अभ्यर्थी प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाते हैं।
- बाँदा के शजर पत्थर के नग तथा आभूषण उत्पादन का प्रशिक्षण देना।
- मौदहा की चॉदी से निर्मित मछली आभूषण उत्पादन का प्रशिक्षण आई0टी0आई और पालीटेक्निक के माध्यम से दिया जाना।
- हमीरपुर की जूती निर्माण, पाली के देसी चर्म के उत्पाद, तालबेहट के कढ़ाई के उत्पाद के कारीगरों का प्रशिक्षण आई0टी0आई0 और पालीटेक्निक के माध्यम से कराना।
- स्कूली शिक्षा और सरकार के विभिन्न कौशल विकास प्रयासों तथा इस क्षेत्र में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के मध्य प्रभावी तालमेल बनाना।
- कौशल विकास संस्थानों की क्षमता निर्माण की जाये जिससे वे योजना निर्माण, गुणवत्ता एवं हितधारकों की भागीदारी प्राप्त करने में सक्षम हो सके।
- कौशल विकास के क्षेत्र में अनुसन्धान को प्रोत्साहित करने, प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाये रखने, नियमित परीक्षायें कराकर प्रमाण पत्र जारी करने तथा प्रशिक्षण में कार्यरत संस्थाओं को मान्यता एवं सम्बद्धता प्रदान करने हेतु एक संस्थागत तंत्र बनाये जाने की आवश्यकता है।
- प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता या ऋण के माध्यम से कौशल विकास के लिये गरीब लोगों को वित्त पोषित करने की प्रणाली को भी लागू करने की आवश्यकता है।
- ब्याज उपादान के साथ उद्यमियों के अपनी स्वयं की निवेश की गई पूंजी पर पूंजीगत उपादान दिये जाने की आवश्यकता होना।
- सरकारी भूखंडो की दरों में कमी करने की आवश्यकता है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विशेष उत्पादों का प्रकाशन कराया जाना।
- हथकरघा क्षेत्र सबसे अधिक प्रदूषण मुक्त एवं श्रम प्रधान क्षेत्र है, जो रोजगार सृजन में अत्यंत सहायक होगा। अतः उद्योगपरक वस्त्रोद्योग नीति निवेश को आकर्षित करने में सहायक होगी। 'बुनकर मित्र' नामक एक विशेष हेल्पलाइन भी व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों की सहायता करने और जोखिम को कम करने के लिए प्रारम्भ की गई है। अतः वर्तमान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार हथकरघा, वस्त्र और अन्य सामान तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- झाँसी एवं चित्रकूट के मण्डलों में सभी सात जिले सम्मिलित हैं। ये दोनों मण्डल डिफेंस कॉरीडोर के नोड के रूप में चिन्हित किए गए हैं और यूपीसीडा के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में भी अवसर उपलब्ध हैं।

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वाइल्ड लाइफ एरिया की जोनिंग किये जाने के परिप्रेक्ष्य में इस क्षेत्र में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए गति प्रदान करने पर विचार किया जाये।
- निजी औद्योगिक क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जा सके।
- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे के किनारे–किनारे औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जाना चाहिए, जिसमें न्यूनतम 25 प्रतिशत् भूमि क्षेत्र को एम0एस0एम0ई0 इकाइयों की स्थापना के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।
- औद्योगिक प्रतिनिधियों द्वारा लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड भूमि में परिवर्तित करने की प्रक्रिया तथा साधनों की जानकारी भी प्रचारित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत की गयी।
- भूमि उपयोग के परिवर्तन की प्रक्रिया को आवश्यकतानुसार सरल किया जाना चाहिए।
- महिलाओं एवं उनके परिवारों को रोजगार सृजन करने वाली व्यावसायिक शिक्षा के लाभों के सम्बन्ध में सूचित करने के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और पंचायतों के साथ मिलकर संयुक्त प्रयास किया जाना चाहिए।

3.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम0एस0एम0ई0)

- बुन्देलखण्ड में प्रचुर भूमि एवं सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण यह अवसरों की भूमि है। उत्तर प्रदेश सरकार ने समग्र उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु क्षेत्र में 'एक जनपद–एक उत्पाद' (ओ0डी0ओ0पी0) योजना प्रारम्भ की है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जनपद से एक विशेष उत्पाद का चयन किया गया है। योजना में उत्पाद मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण, यथा–कच्चे माल की व्यवस्था, डिजाइन और पैकैज़िंग, विपणन में सहायता, परीक्षण सुविधाओं का निर्माण, गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करना, आसान ऋण तथा ई–कॉमर्स सहित अन्य प्रोत्साहनों का प्राविधान है। ऐसा व्यापक कार्यक्रम भारत में पहली बार संचालित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से बुन्देलखण्ड क्षेत्र को लाभान्वित करने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य सेक्टरों की सम्भावनाओं का लाभ उठाने के लिए स्थानीय उद्योग के प्रतिनिधियों के परामर्श से डी0आई0ई0पी0सी0 कार्यालय द्वारा ओ0डी0ओ0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के अतिरिक्त उत्पादों को सम्मिलित करने के लिये अनुरोध किया जा सकता है।

  उक्त क्रम में विभाग द्वारा प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से प्रत्येक जनपद हेतु नैदानिक अध्ययन रिपोर्ट (डायगोनिस्टिक स्टडी रिपोर्ट–डी0एस0आर0) तैयार करवाई गई है, जिसमें जनपद की वर्तमान स्थिति, प्रमुख विषय एवं कार्य योजना का विवरण दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार उद्योगों के विकास के लिए क्षेत्र में समस्त प्रकार के कदम उठाये जाने की आवश्यकता होगी। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं की कमी होने से एम0एस0एम0ई0 को बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त होने में कठिनाई हो रही है। अतः इनकी बैंकों तक पहुंच बढ़ाने एवं अंतिम मील कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एम0एस0एम0ई0 विभाग ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर किए हैं। एम0ओ0यू0 का अंतर्निहित उद्देश्य बैंक ऑफ बड़ौदा को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कम्पनियों (एन0बी0एफ0सी0) के साथ जोड़ कर सह–एकत्रीकरण मॉडल के माध्यम से पैसालो.कॉम (Paisalo.com) जैसी सुविधा उपलब्ध कराने का है। धरातल पर अच्छी कनेक्टिविटी होने के कारण एन0बी0एफ0सी0, एम0एस0एम0ई0 को अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने में सक्षम होंगी, क्योंकि इस राशि के एक बड़े अंश को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रस्तावित डिफेंस कॉरिडोर के विकास से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे क्षेत्र में बृहद् स्तर पर एम0एस0एम0ई0 और सहायक/अनुषंगिक उद्योगों को सुविधा एवं नवीन अवसर उपलब्ध होंगे।
- ई–कॉमर्स पोर्टल पर प्रशिक्षण देने के लिए अमेजॅन पोर्टल के साथ विभाग द्वारा एक समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग वित्तीय इन्सेंटिव भी प्रदान करता है। इसी प्रकार बी–2–बी सेगमेंट में अलीबाबा तथा बी–2–सी के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एम0ओ0यू0 करने हेतु भी यह विभाग प्रयासरत है।

3.3 डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर

- डिफेंस कॉरिडोर में संयुक्त उद्यम विकल्प तथा नवीन निवेश के साथ–साथ कंपनियों के डिफेंस ऑफसेट दायित्वों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- निवेशकों की हैंड–होल्डिंग तथा निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया को गति देने के साथ–साथ संयुक्त उद्यमों हेतु समन्वय में सरकार द्वारा सहायता की जानी चाहिए।

- इस क्षेत्र में विनिर्माण इकाइयों हेतु धातु विज्ञान (मेटलर्जी), प्लास्टिक, वस्त्रोद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार, सॉफ्टवेयर और लॉजिस्टिक्स सेक्टरों में अवसर उपलब्ध हैं।
- रक्षा उत्पादन से स्थानीय पुलिस की आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहायता मिलेगी। राज्य खरीद नीति के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थानीय पुलिस की आवश्यकताओं के लिए डिफेंस कॉरिडोर में निर्मित उत्पादों के क्रय को वरीयता प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है।

3.4 एक्सप्रेस–वे एवं सड़क

- 296 किलोमीटर लंबे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे के लिए अधिकांश भूमि का अधिग्रहण हो चुका है तथा इसके निर्माण का कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ होने वाला है। समग्र विकास से पूर्व अवस्थापना विकास आवश्यक होने की दृष्टि से बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे इस क्षेत्र के विकास के लिए वरदान सिद्ध होगा।
- लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के जिला मुख्यालयों तथा मण्डल मुख्यालयों को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़कों का विकास तीव्रता से किया जा रहा है, जिससे पूरे बुन्देलखण्ड क्षेत्र का त्वरित विकास होगा। इसी प्रकार अंतिम मील कनेक्टिविटी पर भी तीव्रता से काम किया जा रहा है। अतः नियत समय में योजनाबद्ध रूप से कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त बजट सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- जनमानस को यातायात की सुगम सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत वर्तमान में 250 से अधिक आबादी के राजस्व ग्रामों/बसावटों को सम्पर्क मार्गों की सिंगल कनेक्टिविटी से जोड़े जाने विषयक नीति को बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु शिथिल करते हुये उक्त ग्रामों के मार्गों को डबल कनेक्टिविटी से जोड़े जाने की आवश्यकता है।
- वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में ग्रामों/आबादियों को परस्पर लेपित मार्गों से जोड़े न जाने की नीति को शिथिल करते हुये आबादियों को आपस में जोड़े जाने की नीति को लाये जाने की आवश्यकता है।
- वर्तमान में किसी भी लोकेशन से 10 किमी अपस्ट्रीम की सीमा में पुल अवस्थित होने की स्थिति में पुल निर्मित न किये जाने की नीति को बुन्देलखण्ड क्षेत्र में शिथिल किये जाने एवं पूर्व में निर्मित रपटों के स्थान पर सेतु निर्माण कराये जाने की आवश्यकता है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र की परिस्थितियों के दृष्टिगत विभिन्न श्रेणियों के मार्गों के नवीनीकरण चक्र को शिथिल किये जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर राज्य मार्गों एवं प्रमुख जिला मार्गों के नवीनीकरण चक्र को चार वर्ष से घटाकर तीन वर्ष, अन्य जिला मार्गों के नवीनीकरण चक्र को पॉच वर्ष से घटाकर चार वर्ष एवं ग्रामीण मार्गों के नवीनीकरण चक्र को आठ वर्ष से घटाकर छः वर्ष किये जाने पर विचार किया जाये।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में नेशनल हाईवे, प्रमुख जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग, ग्रामीण सम्पर्क मार्ग एवं अन्य विभागों के लेपित मार्गों की कुल लम्बाई लगभग 18795 किमी है। बुन्देलखण्ड में विगत तीन वर्षों में गड्ढा मुक्ति/सामान्य नवीनीकरण/विशेष मरम्मत के अन्तर्गत आवंटन काफी कम है। इस क्षेत्र में काली कपासी बाहुल्य मिट्टी होने के कारण मार्गों के अनुरक्षण हेतु प्रति वर्ष आवंटन में लगभग दुगनी वृद्धि किये जाने पर विचार किया जाये।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले खनन क्षेत्रों से सम्बन्धित मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जनपदों में सरकारी हॉट मिक्स प्लान्टों को स्थापित किये जाने पर विचार किया जाये।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वन संरक्षित क्षेत्रों में मार्गों के निर्माण हेतु वन विभाग से तथा सैन्य क्षेत्रों में पड़ने वाले मार्गों हेतु रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया को सरलीकृत किया जाये।

3.5 खनन

- खनन क्षेत्र के उद्यमियों के द्वारा इस उद्योग को स्थायित्व प्रदान करने के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में खनन रायल्टी को युक्तिसंगत करने पर विचार किये जाने की आवश्यकता दर्शायी गयी।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ललितपुर, झाँसी, महोबा, बाँदा जिलों में ग्रे व गुलाबी, गुलाबी, लाल तथा काले/भूरे रंग के ग्रेनाइट के भण्डार पाए गए हैं, जहाँ लगभग 300 से अधिक स्थलों को चिन्हित किया गया है। अतः इन भण्डारों के यथोचित दोहन पर विचार किये जाने की आवश्यकता है।

- भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी0एस0आई0) द्वारा रॉक फॉस्फेट के नवीन भण्डार की सूचना दी गई है, जिसे वाणिज्यिक रूप से खोजने और सम्बन्धित उद्योगों को इसके लिये प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- सिलिका सैंड को एक माइनर खनिज में परिवर्तित कर दिया गया है। अतः अब सिलिका सैंड के लिए पट्टे देने की गतिविधि पर राज्य सरकार के स्तर से किये जाने पर विचार किया जा सकता है, जिससे सम्बंधित क्षेत्र में अधिक उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सकेगा।
- जी0एस0आई0 के अनुसार बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खनिज संसाधनों में वृद्धि के साथ अन्य प्रतिस्पर्धी राज्यों की लीज–अवधि और निविदा प्रक्रिया के अध्ययन की आवश्यकता है, ताकि मूल्य संवर्धन किया जा सके।
- भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी0एस0आई0) के साथ इस क्षेत्र में सक्रिय समन्वय की आवश्यकता है।

3.6 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब की स्थापना

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब की भी आवश्यकता है, जो क्षेत्र के उद्योगों तथा डिफेंस कॉरिडोर से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने में सहायक होगा।

3.7 ऊर्जा क्षेत्र

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निरन्तर विद्युत की आपूर्ति करना।
- जर्जर विद्युत लाइनों की मरम्मत/नयी लाइनें डालना।
- नये विद्युत उपकेन्द्रों का सृजन, पुराने विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि, आवश्यकतानुसार एल0टी0 लाइनों को ए0बी0 केबल में बदलना, निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण कराना।
- बिजली की चोरी को समाप्त करने के लिये केबलों को भूमिगत करना अथवा एरियल बन्च कण्डक्टर से प्रतिस्थापित करना।
- विद्युत मूल्यों की शत–प्रतिशत वसूली कराना।
- प्रत्येक विद्युत कनेक्शन को मीटरयुक्त कराना।
- बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में एल0ई0डी0 बल्ब व ट्यूबलाइट के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।
- सोडियम लैम्प को एल0ई0डी0 द्वारा प्रतिस्थापित कराना।
- मध्य प्रदेश में निजी नलकूपों के कनेक्शन पर सरकार द्वारा खेतों तक निःशुल्क विद्युत लाइन बिछायी जाती है। इस मॉडल को उत्तर प्रदेश में भी लागू किये जाने पर विचार किया जा सकता है।
- उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विद्युत दरें अधिक होने से क्रशर उद्योग झाँसी से 15 किमी दूर मध्य प्रदेश में स्थापित हो रहे हैं। अतः जनपद में औद्योगिकीकरण किये जाने के दृष्टिगत विद्युत दरों को कम करने हेतु नियामक आयोग के समक्ष प्रभावी पैरवी किये जाने की आवश्यकता है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पूरे प्रदेश की भाँति विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु वितरण एवं पारेषण तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया गया है तथा क्षेत्र के कृषकों के लिए विद्युत टैरिफ में विशेष प्राविधान किए गए हैं। विभिन्न ऑन–लाईन पोर्टल यथा–'निवेश मित्र', 'झटपट कनेक्शन' इस क्षेत्र में क्रियाशील हैं, जिससे विद्युत उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवायें प्रदान की जा सकें। क्षेत्र में 4000 मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी हेतु ग्रीन एनर्जी कोरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। आसान किस्त योजना के अन्तर्गत विद्युत उपभोक्ताओं को बकाया बिलों से माफी तथा विलम्ब से भुगतान किए जाने पर सरचार्ज से राहत मिली है। ग्रामीण तथा शहरी उपभोक्ताओं को अपने लम्बित विद्युत बिलों को क्रमशः 24 तथा 12 किस्तों में जमा करने की अनुमति है।
- पी0पी0पी0 मोड की परियोजनाओं का सम्बन्ध अधिकतर राज्य सरकार की संस्थाओं से होता है, जो फ्रंट एण्ड के रूप में विद्युत संयत्रों के निवेशकों और संचालको के पक्ष में ग्राहकों से टैरिफ आदि की प्राप्ति के लिए उपयोगिता प्रदाता के रूप में सेवा कर रही हैं। चूँकि लाइसेंस और रियायत 20 से 30 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किए जा रहें है, अतः प्रक्रिया का सरलीकरण और युक्तिकरण करना महत्वपूर्ण होगा।

3.8 नवीकरणीय ऊर्जा

- कुसुम–किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (घटक–ए) के अन्तर्गत सौर अथवा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित 500 किलोवॉट से 2 मेगावॉट तक की क्षमता वाले विद्युत सयंत्रों को व्यक्तिगत रूप से कृषक/कृषकों के समूहों/सहकारी समितियों/पंचायतों/कृषि उत्पादक संगठनों (एफ0पी0ओ0)/जल उपयोगकर्ता संगठनों (डब्ल्यू0यू0ए0) द्वारा स्थापित

किये जायेंगे। इन संयंत्रों को, जहां तक सम्भव हो, उपकेन्द्रों से पांच किलोमीटर की परिधि में स्थापित किया जाएगा, जिससे उप–पारेषण लाइनों की उच्च लागत में कमी की जा सके तथा विद्युत पारेषण हानियों में भी कमी हो सके। इससे भूमि–स्वामियों को न्यूनतम 25 वर्षों की अवधि तक आमदनी का स्थायी स्रोत प्राप्त हो जाएगा तथा कृषकों को उनकी बंजर भूमि से भी वित्तीय लाभ होगा। उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों को पारेषण उप–केन्द्रों से जोड़ने हेतु सूचीबद्ध किया गया है।

- कुसुम–किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (घटक–सी) के अन्तर्गत कृषक उत्पादित सौर ऊर्जा का उपयोग अपनी सिंचाई हेतु कर सकेंगें तथा अतिरिक्त सौर ऊर्जा को विद्युत वितरण कम्पनियों को विक्रय कर सकेंगे। इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा कृषकों को अपनी भूमि पर पम्प सेट एवं ट्यूबवेल स्थापित करने हेतु 40 प्रतिशत का उपादान प्रदान किया जाएगा तथा लागत के अवशेष 40 प्रतिशत मूल्य की पूर्ति हेतु कृषक द्वारा लागत के 30 प्रतिशत के लिये बैंक से ऋण लिया जा सकेगा। अतः प्रारम्भ में कृषक को लागत का केवल 10 प्रतिशत व्यय करना होगा। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा उक्त संयंत्रो का संचालन सुनिश्चित किया जायगा।
- किसानों द्वारा सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु भिन्न–भिन्न पट्टा किराया मांगे जाने के कारण परियोजनाओं की लागत निश्चित करने में कठिनाई आ रही हैं, अतः एक समान दर के साथ एक मॉडल पट्टा समझौते को तैयार किये जाने पर विचार किया जा सकता है।
- सरकारी/आवासीय भवनों पर सौर पैनलों को स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में विचार करना।

3.9 नगर विकास

- बुन्देलखण्ड में सभी विकास कार्यों से पूर्व क्षेत्र की महायोजना तैयार की जानी चाहिए।
- इस क्षेत्र में विभिन्न विभागों के प्रयासों को एकीकृत किया जाना चाहिए।
- एक लाख से ऊपर आबादी वाले स्थानीय निकायों को सीवर लाइन की व्यवस्था तथा सॉलिड वेस्ट निस्तारण हेतु स्थानीय निकायों को भूमि क्रय करने के लिये आवश्यक बजट का आवंटन सुनिश्चित करना।
- एन0जी0टी0 के प्रावधानों के अनुसार ठोस कचरा निस्तारण हेतु स्थानीय निकायों को समुचित बजट का प्रावधान करना।
- प्रत्येक शहरी स्थानीय निकायों में पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ करना।
- बाँदा नगरपालिका परिषद के अर्न्तगत भूगर्भ जल स्रोतों से पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था है, जिससे इस क्षेत्र में भूगर्भ जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है तथा इसके रिचार्ज की कोई व्यवस्था अभी नहीं है। अतः केन नदी के पानी के अपव्ययी प्रवाह को एक बैराज बनाकर अवरूद्ध कर एकत्र पानी से शहरी पेयजल की आपूर्ति की जा सकती है।
- मृत जानवरों हेतु विद्युत शवदाह गृह के निर्माण पर विचार किया जाना चाहिये।
- स्लाटर हाऊस को प्रतिबन्धित करने तथा नये मॉस विक्रेताओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले इस विषय में खाद्य विभाग की अनापत्ति लिये जाने पर विचार किया जा सकता है।
- बच्चों के खेलने के लिये आवश्यकतानुसार सुरक्षित, सुन्दर एवं सुसज्जित मैदानों का विकास करना।
- नगर विकास परिषद/नगर पंचायतों के अन्तर्गत आने वाले मुख्य मार्गों पर पब्लिक ट्रान्सपोर्ट की पर्याप्त उपलब्धता कराना।
- ट्रैफिक जाम के निराकरण के लिये उचित पार्किंग की व्यवस्था कराना।
- शहरी क्षेत्र में हाईवे पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था कराना।
- अपराधों पर नियन्त्रण किये जाने के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय क्षेत्रों में नगरपालिका परिषद/नगर पंचायतों द्वारा प्रमुख चौराहों, बाजारों आदि स्थानों पर सी0सी0टी0वी कैमरा स्थापित कराने पर विचार करना।
- नगर विकास में कुशल विशेषज्ञों और संगठनों यथा– इज़राइल के विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त करना।
- बुन्देलखण्ड के अन्य शहरों को जनपद झाँसी की भांति स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
- नगरीय विकास को डिफेंस कॉरिडोर में अपेक्षित औद्योगीकरण का पूरक होना चाहिए।

3.10 प्रदूषण नियन्त्रण

प्रदूषण नियंत्रण विशेषज्ञों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण और अन्य संबंधित प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए वर्तमान में प्रचलित प्रक्रियाओं की जानकारी का प्रचार–प्रसार करने के लिए हैंड–होल्डिंग कार्यशालाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

4. वित्त पोषण

केन्द्र / राज्य सरकार ।

5. समन्वय

- औद्योगिक गतिविधियों एवं औद्योगिक प्रोत्साहन में शामिल समस्त विभागों के बीच सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक कंवर्जेंस की आवश्यकता होना।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के स्थानीय उद्यमी सहयोग कर, सार्वजनिक सुविधाएं विकसित कर सकते हैं और एक सहजीवी औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु मिल कर कार्य करने से सभी हितधारकों को लाभ होगा।

6. परिणाम (आउटकम)

- जी0एस0डी0पी0 में वृद्धि
- उत्पादन में वृद्धि
- निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि
- प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि
- निजी इंडस्ट्रियल इस्टेट का विकास।
- उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाणीकरण आसानी एवं त्वरित गति से होना।
- ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों, खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों तथा अन्य उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होना।
- खनिजों पर आधारित उद्योगों के सम्वर्धन से प्रदूषण कम होगा।
- वर्तमान में स्थित विद्युत वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण होना।
- विद्युत दरों के कम होने से जनपदों में औद्योगिकीकरण में वृद्धि होना।
- अधिक रोजगार सृजन के कारण जीवन की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि होना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के उत्पादों की मांग में वृद्धि होना।
- जन सामान्य की बेहतर कनेक्टिविटी और संसाधनों तक आसान पहुंच होना।
- जन सामान्य को कम परिवहन लागत एवं आरामदायक यात्रा का लाभ मिलना।

7. कार्य योजना की समीक्षा

- जी0एस0डी0पी0, विनिर्माण जी0एस0वी0ए0, निजी क्षेत्र के निवेश (रुपये में), रोजगार जैसे संकेतकों के आधार पर प्राथमिक सर्वेक्षण, सार्वजनिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण आदि के माध्यम से अनुश्रवण किया जा सकता है।

राष्ट्रीय सेमिनार
सेक्टर - विनिर्माण
विकास बोर्ड, नियोजन

राष्ट्रीय सेमिनार
बुन्देलखण्ड का विकास : इशाज, रणनीति एवं भावी दिशा
नियोजन विभाग, उ.प्र.

अध्याय–6

सेवा क्षेत्र

राष्ट्रीय सेमिनार
बुन्देलखण्ड का विकास : इशूज, रणनीति एवं भावी दिशा
आयोजक : बुन्देलखण्ड विकास बो
योजन विभाग, उ.प्र.
दिनांक : 10 एवं 11 जनवरी 2020, स्थान :
विश्वविद्यालय, बांदा
Uttar Pradesh Tourism

राष्ट्रीय सेमिनार
बुन्देलखण्ड का विकास : इशूज, रणनीति एवं भावी दिशा
आयोजक : बुन्देलखण्ड विकास बो
योजन विभाग, उ.प्र.
दिनांक : 10 एवं 11 जनवरी 2020, स्थान :
विश्वविद्यालय, बांदा

सेवा क्षेत्र

1. पर्यटन

1.1 पृष्ठभूमि

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्मारकों, किलों, महलों, ऐतिहासिक स्थानों, पवित्र मन्दिरों और स्थलों, मेलों और पर्यटन स्थलों की कोई कमी नहीं है। इसके अतिरिक्त त्यौहार, कला एवं शिल्प, जल निकाय (वाटर बाडीज्), राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्य सहित प्राकृतिक विरासत क्षेत्र हैं। उल्लेखनीय है कि निम्न तथ्यों के अनुसार इस क्षेत्र में पर्यटन विकास की अत्यधिक सम्भावनायें हैं:–

- अद्वितीय इतिहास एवं विरासत।
- एडवेंचर एवं आउटडोर डेस्टिनेशन के लिये क्षमता।
- सम्पन्न संस्कृति।
- सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दिया जाना।
- ग्रामीण पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन गतिविधियों के लिये क्षमता।
- महत्वपूर्ण लोकप्रिय पर्यटक स्थलों/राज्यों यथा–आगरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि के समीप होना।

वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार भ्रमण किये जाने वाले स्थानों में घरेलू पर्यटकों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर तथा विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से तीसरे स्थान पर आ रहा है। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या के 09 प्रतिशत पर्यटक (लगभग 2.62 करोड़) बुन्देलखण्ड में पर्यटन हेतु आते हैं, जिनका जनपदवार विवरण निम्नवत् है:–

क्र. सं.	जनपद	वर्ष 2017 में पर्यटकों की संख्या (लाख में)			वर्ष 2018 में पर्यटकों की संख्या (लाख में)		
		घरेलू	विदेशी	कुल	घरेलू	विदेशी	कुल
1	झाँसी	47.01	1.41	48.42	76.95	1.43	78.38
2	जालौन	14.01	0.04	14.05	42.01	0.04	42.05
3	ललितपुर	12.87	0.07	12.94	50.95	0.08	51.03
4	चित्रकूट	66.87	0.04	66.91	67.96	0.05	68.01
5	बाँदा	8.35	0.01	8.36	8.40	0.01	8.41
6	महोबा	12.11	0.02	12.13	12.15	0.01	12.16
7	हमीरपुर	–	–	–	2.15	0.00	2.15
कुल (बुन्देलखण्ड)		161.22	1.59	162.81	260.57	1.62	262.19
कुल (उत्तर प्रदेश)		–	–	**2375.34**	–	–	**2888.60**

उक्त क्रम में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विख्यात पर्यटक स्थलों का विवरण निम्नानुसार हैः–

स्थान	धार्मिक/आध्यात्मिक	हेरिटेज	ईको–टूरिज्म	क्राफ्ट एवं टेक्सटाइल
झाँसी	• महालक्ष्मी मन्दिर • जराई मठ	• झाँसी किला • रानी महल • बरूआसागर किला	• पहुॅज जलाशय • सुकवा–दुकवा झरना • गढ़मऊ झील • बरूआसागर डैम	पीतल क्राफ्ट
चित्रकूट	• राम घाट • कामदगिरी • स्फटिक शिला • हनुमान धारा • जानकी कुण्ड • गुप्त गोदावरी • सती अनूसुइया आश्रम	–	–	–
देवगढ़	• दशावतार मन्दिर • जैन मन्दिर	–	–	–
कालिंजर	• नील कण्ठ मन्दिर	कालिंजर किला	–	शजर स्टोन क्राफ्ट
महोबा	• बड़ी चन्द्रिका देवी मन्दिर • रहीला सागर • सूर्य मन्दिर	–	–	–

उक्त विषय में महत्वपूर्ण स्थलों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

- **राम घाट**– मंदाकिनी नदी के किनारे बना रामघाट चित्रकूट में सबसे अधिक भ्रमण किया जाने वाला स्थान है। यहां होने वाली सूर्यास्त आरती विशेष रूप से दर्शनीय है।
- **स्फटिक शिला**– यह रमणीय स्थल दो बड़ी शिलाओं के कारण जाना जाता है, जिस पर भगवान राम एवं सीता बैठकर चित्रकूट की सुंदरता को देखा करते थे।
- **दशावतार मन्दिर**– गुप्त काल का यह मन्दिर जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, उत्तर भारत में पंचायतन मन्दिर के नाम से जाना जाता है।
- **जैन मन्दिर काम्पलेक्स**– बेतवा नदी के सामने करनाली किले के अंदर 31 जैन मंदिर स्थित हैं।
- **झाँसी किला**– यह किला ओरछा के राजा बीर सिंह जुदेव द्वारा निर्मित किया गया था। यह किला रानी लक्ष्मी बाई द्वारा लड़े गये युद्ध का प्रमाण है।
- **रानी महल**– रानी लक्ष्मी बाई का यह महल पारम्परिक आर्किटेक्चर का सुंदर उदाहरण है।
- **कालिंजर किला**– विन्ध्य् क्षेत्र में 700 फिट की ऊँचाई पर बने इस विशाल किले में सात अलग–अलग गेटों से जाया जा सकता है।
- **अन्य महत्वपूर्ण स्थल**– भरतकूप, रामशैय्या, अकेलवा बाबा, परानू बाबा हनुमान मन्दिर, गणेशबाग, कोठी तालाब, तुलसी पीठ (राजापुर), ऋषियन आश्रम, सबरी जल प्रपात, सोमनाथ मन्दिर, मारकुण्डी आश्रम, दशरथघाट, बाक सिद्ध, नादी हनुमान जी, लैना बाबा सरकार, कोटि तीर्थ, देवांगना, रामसागर मन्दिर तालाब, महर्षि बाल्मिकि आश्रम, चौसठ जोगिनी माता मन्दिर सकरोली, खैरी कुटी, ऋषि आश्रम (सगवारा) आदि।

इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड क्षेत्र निम्न प्रकार के पर्यटनों के लिए जाना जाता है:–

- **ईको एवं रोमांचक पर्यटन**– चारों ओर से पथरीले पठारों से घिरा यह क्षेत्र तालाबों, जलाशयों आदि से भरपूर रोमांचक पर्यटन के लिए आदर्श स्थान है।
- **विरासत (हेरिटेज) पर्यटन**– इस क्षेत्र में कई पुराने किले एवं हवेलियां है जिन्हें विकसित कर आने वाले पर्यटकों को विशेष हेरिटेज अनुभव का अवसर प्रदान किया जा सकता है।
- **सांस्कृतिक पर्यटन**– इस क्षेत्र का रामायण एवं महाभारत काल से विशेष सम्बन्ध है, जिसके कारण सांस्कृतिक पर्यटन की यहां अपार संभावनायें है।

उक्त पर्यटन विकास की सम्भावनाओं में बाधक महत्वपूर्ण मुद्दों का विवरण निम्नवत् है :–

1.2 मुख्य मुद्दे

1.2.1 यातायात व्यवस्था एवं हाइवे सुविधाओं का अभाव

बुन्देलखण्ड में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं के बावजूद इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी, अच्छी सड़क, रेल एवं वायु यातायात का अभाव है। जनपद झाँसी के अतिरिक्त इस क्षेत्र का कोई भी शहर मुख्य रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़ा है तथा इस क्षेत्र से आधुनिक ट्रेनें जैसे शताब्दी, तेजस आदि भी नहीं गुजरती हैं। इसी प्रकार हाइवे पर दी जाने वाली अवस्थापना सुविधायें यथा–मॉटेल्स, वाश रूम्स, मिनी मार्ट आदि का भी इस क्षेत्र में अभाव है। इसके अतिरिक्त यहां कोई भी हवाई अड्डा नहीं है तथा पर्यटक स्थलों तक आने–जाने हेतु सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भी सीमित है। प्रस्तावित बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु इस क्षेत्र के लिए एक आशा की किरण है। अतः बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु यातायात की सुविधाओं को बढ़ाये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

1.2.2 विभिन्न स्थानों के विकास हेतु मास्टर प्लान का न होना

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेषता एवं क्षेत्र विशेष मुद्दों के दृष्टिगत, पूरे प्रदेश के लिए विकसित मास्टर प्लान पर्याप्त नहीं हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण प्रदेश के विकास के लिए तैयार किया गया मास्टर प्लान इस क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समग्र विकास हेतु एक क्षेत्र विशेष समन्वित, केन्द्रित एवं प्रत्यक्ष परिणाम आधारित पृथक पर्यटन मास्टर प्लान की आवश्यकता है।

1.2.3 हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की ढांचागत सुविधाओं का अभाव एवं पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश (प्राइवेट इन्वेस्टमेन्ट) का अभाव

पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु गुणवत्तापूर्वक हॉस्पिटैलिटी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अच्छे होटलों के अभाव में पर्यटकों का भ्रमण अत्यन्त कम है, जिसके कारण इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेशकों की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में निजी निवेश के माध्यम से ईको–टूरिज्म एवं वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर एवं इसकी मार्केटिंग के द्वारा पर्यटन की विशेष संभावनायें हैं।

1.2.4 पर्यटन स्थलों का अनुरक्षण, ब्रांडिंग एवं प्रमोशन का अभाव

बुन्देलखण्ड क्षेत्र कई ऐतिहासिक किलों, हवेलियों, मन्दिरों एवं धार्मिक धरोहरों एवं स्थानों की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र में स्थित पर्यटक स्थलों के प्रचार–प्रसार के अभाव में प्रदेश में भ्रमण करने वाले पर्यटकों को इस क्षेत्र की जानकारी नहीं हो पाती है। अतः बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेषता के परिपेक्ष्य में गुणवत्तापरक पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए एक क्षेत्र विशेष प्रचार–प्रसार प्लान एवं रणनीति बनाया जाना आवश्यक है।

1.2.5 बुन्देलखण्ड क्षेत्र की आर्ट एवं क्राफ्ट, संस्कृति एवं स्थानीय व्यंजनों की ब्रांडिंग एवं प्रोत्साहन का अभाव

आर्ट एवं क्राफ्ट, संस्कृति एवं स्थानीय व्यंजनों से समृद्ध होने के उपरान्त भी ब्रांडिंग एवं प्रोत्साहन के अभाव से यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से विकसित नहीं हो सका है। अतः इसके लिए एक प्रभावी रणनीति एवं प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है।

1.2.6 अन्य विविध मुद्दे

- आगरा एवं खजुराहो के मध्य आने वाले पर्यटक जनपद झाँसी से होकर जाते हैं किन्तु पर्यटकों द्वारा रात्रि विश्राम ओरछा, मध्य प्रदेश में किया जाता है।

- जनपद ललितपुर में देवगढ़, रणछोड़ धाम, बड़े–बड़े डैम हैं किन्तु पर्याप्त विश्रामगृह, सुरक्षा, खान–पान आदि की सुविधा के अभाव में पर्यटक रात्रि विश्राम नहीं करते हैं।
- जनपद जालौन में महर्षि वेद व्यास की जन्मस्थली, अकबर के प्रसिद्ध दरबारी बीरबल का रंगमहल, मुगलों की टकसाल आदि का पर्यटन स्थल के रूप में विकास न होना।
- जनपद जालौन में बिठौली गांव में पॉच नदियों यथा–यमुना, चम्बल, क्वारी, सिंधु और पहुॅज का संगम स्थल है जिस पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। इस स्थल को भी महत्वपूर्ण तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है।
- जनपद महोबा में आल्हा, ऊदल एवं उनसे जुड़े स्थलों, तालाबों, मन्दिरों का पुनरूद्धार कर लाइट एवं साउन्ड के माध्यम से पर्यटन को आकर्षित किया जाना।
- जनपद महोबा में चरखारी को बुन्देलखण्ड के कश्मीर की संज्ञा दी जाती है। इसमें हजारों साल पुराने किले, राजमहल, एक–दूसरे से आन्तरिक रूप से जुड़े विजय सागर, मलखान सागर, वंशी सागर, जय सागर, रतन सागर एवं कोठीताल झीलें हैं। अतः इस स्थान का प्रचार–प्रसार कर पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है।
- जनपद बाँदा एवं चित्रकूट में नीलकंठ मन्दिर, चार पत्थरों का स्तम्भ, रानीपुरा वन्य अभ्यारण्य, बुन्देलखण्ड छत्रसाल संग्रहालय, भैरव की झरिया, खत्री पहर, भूरागढ़, महेश्वरी देवी मन्दिर आदि स्थान हैं जिनका प्रचार–प्रसार कर पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है।

1.3 रणनीति

1.3.1 यातायात व्यवस्था एवं हाईवे सुविधाओं का विकास किया जाना

- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे का विकास।
- मुख्य जिला मार्ग (एम0डी0आर0) में सुधार एवं नई सड़कों का विकास।
- चित्रकूट से लखनऊ एवं झाँसी तथा दिल्ली से बुन्देलखण्ड क्षेत्र की कनेक्टिविटी (तेजस/गतिमान/शताब्दी के माध्यम से) बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय से इस क्षेत्र में रेल नेटवर्क बढ़ाने हेतु समन्वय करना।
- रेल मंत्रालय से यात्रियों हेतु विभिन्न सुविधाओं यथा–रेल यात्री निवास, महत्वपूर्ण स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा प्रदान कराने हेतु प्रयास करना।
- झाँसी एयरोड्रम को विकसित व आधुनिक करने, नई उड़ानों को आरंभ करने, झाँसी को खजुराहो, आगरा, वाराणसी, दिल्ली एवं लखनऊ से जोड़ने हेतु नागरिक उड्यन मंत्रालय से समन्वय करना।

1.3.2 क्षेत्र विशेष में पर्यटन विकास हेतु विशेष मास्टर प्लान बनाया जाना

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेषता एवं क्षेत्र विशेष मुद्दों के दृष्टिगत, पूरे प्रदेश के लिए विकसित मास्टर प्लान पर्याप्त नहीं है। इस क्षेत्र विशेष के लिए पृथक मास्टर प्लान बनाये जाने की आवश्यकता है जिसके द्वारा इस क्षेत्र हेतु समग्र एवं परिणाम आधारित पर्यटन विकास को बढ़ाया जा सके तथा क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं के दृष्टिगत पर्यटकों के आवक की निरंतरता बनायी रखी जा सके। उदाहरण के तौर पर बुन्देलखण्ड दर्शन अथवा अन्य किसी नाम से पैकेज टूर की व्यवस्था किये जाने पर विचार किया जा सकता है, जो देवगढ़ से प्रारम्भ होकर झाँसी, कालपी, महोबा होते हुये चित्रकूट दर्शन पर समाप्त हो।

उक्त क्रम में पर्यटन नीति के कारण क्षेत्र की सांस्कृतिक विशेषता एवं हेरिटेज धरोहरों की ब्रांडिंग एवं प्रचार–प्रसार प्लान तैयार किये जाने की भी आवश्यकता है। नीति में यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि एन0जी0ओ0 एवं निजी निवेशकों के अतिरिक्त पर्यटक स्थलों के आस–पास रहने वाले स्थानीय समुदायों को भी पर्यटन विकास की धारा से जोड़ा जा सके। अतः इस विषय में बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेषज्ञ संस्थाओं/व्यक्तियों से परामर्श लेकर तथा अन्य प्रदेशों के पर्यटन माडलों का अध्ययन कर इस क्षेत्र के पर्यटन विकास की नीति को प्रभावी स्वरूप प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।

1.3.3 हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की ढाँचागत सुविधा एवं पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाया जाना

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पर्याप्त एवं सुविधाजनक हॉस्पिटैलिटी की व्यवस्था का अभाव है। झाँसी के अतिरिक्त क्षेत्र के अन्य किसी भी जनपद में अच्छे होटलों का अत्यन्त अभाव है। अतः पर्यटकों की विशेषताओं को देखते हुए एवं क्षेत्र में भविष्य में पर्यटकों के आवक की संख्या के दृष्टिगत होटलों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाना होगा ताकि विशेष वर्गों से आने वाले पर्यटकों के ठहरने व खाने की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अतः निजी निवेशों को इस क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु उन्हे प्रोत्साहन देने तथा ठहरने/खाने की पर्याप्त व्यवस्था एवं अन्य संबन्धित व्यवहारिक गतिविधियों को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि सभी प्रकार के स्टेकहोल्डर्स को इसमें सम्मिलित किया जाये ताकि निजी निवेशकों को इस क्षेत्र के विकास हेतु आकर्षित किया जा सके। निजी निवेशकों को उनके निवेश के सुरक्षित रिटर्न के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना होगा।

1.3.4 पर्यटक स्थलों, स्थानीय नृत्य, कला, क्राफ्ट एवं व्यजनों की ब्रांडिंग एवं प्रमोशन किया जाना

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कई सुंदर पुरानी धरोहरें यथा–किले, हवेली, मन्दिर, ऐतिहासिक धरोहरें, धार्मिक स्थल, प्राकृतिक संपदायें, वन क्षेत्र आदि विद्यमान हैं जो उचित देखरेख, अतिक्रमण, ब्रांडिंग एवं प्रचार– प्रसार के अभाव से अत्यन्त प्रभावित हैं। अतः यह महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र में पर्यटन को विकसित करने हेतु क्षेत्र विशेष के लिए एक पृथक मास्टर प्लान बनाया जाये जिससे क्षेत्र को पुनर्विकसित/पुनर्जीवित व संरक्षित किया जा सके। इस सम्बन्ध में देश के राजस्थान राज्य में हवेलियों, किलों एवं ऐतिहासिक धरोहरों के प्रभावपूर्ण ढंग से किये गये विकास कार्यों के उदाहरण से सीखा जा सकता है। हेरिटेज साइट के क्षेत्र में स्थानीय नृत्य, कला, क्राफ्ट एवं व्यजनों को जोड़ते हुए पर्यटन क्षेत्र को एक नया रूप दिया जा सकता है। सम्बन्धित निजी निवेशकों एवं स्टेकहोल्डर्स के माध्यम से क्षेत्र में ब्रांडिंग एवं प्रमोशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। समय–समय पर धरोहरों को ठीक करने एवं रख–रखाव के सम्बन्ध में पुरातत्व विभाग को भी इस कार्य में जोड़ा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पर्यटन सम्बन्धी कोर्स भी चलाये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

1.4 कार्य योजना

उक्त रणनीति को लागू करने हेतु कार्य योजना की रूप–रेखा निम्नलिखित तालिका में अंकित है:–

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>अल्प अवधि
(6 माह तक)</th><th>मध्यम अवधि
(6–12 माह तक)</th><th>दीर्घ अवधि
(1 वर्ष से अधिक)</th></tr>
<tr><td>1.4.1</td><td colspan="3">यातायात व्यवस्था एवं हाइवे सुविधाएं</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">● जिला प्रशासन से मुख्य जिला मार्गों (एम0डी0आर0) को चिन्हित करने हेतु समन्वय करना जिससे नई सड़क के निर्माण/ पुरानी सड़कों के सुधार तथा संभावित हेरिटेज साइट्स से उन्हें कनेक्ट किया जा सके।
● रेलवे सुविधाओं को बढ़ाने हेतु रेल मंत्रालय को फिजिबिलिटी स्टडी एवं सर्वे कराये जाने हेतु प्रयास करना।</td><td>हाइवे विकास से सम्बन्धित क्षेत्र में रोड नेटवर्क के विकास हेतु लोक निर्माण विभाग से समन्वय करना।</td><td>बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे से जोड़ते हुए फीडर रोड का निर्माण।</td></tr>
<tr><td colspan="2">● कार्यों के अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु एक समर्पित टास्क फोर्स का गठन।
● भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार पर्यटन क्षेत्र के प्रभावी विकास हेतु एक संयुक्त टास्क फोर्स का गठन भी किया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">● उड़ान योजना के अन्तर्गत कनेक्टिविटी की सम्भावनाओं तथा झांसी एयरपोर्ट की सम्भावनाओं के लिए सिविल एवियेशन मंत्रालय से समन्वय करना।
● बुन्देलखण्ड के पर्यटन स्थलों को निकटवर्ती पर्यटन स्थलों यथा–वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, खजुराहों आदि से कनेक्ट कराना।</td></tr>
</table>

क्र.सं.	अल्प अवधि (6 माह तक)	मध्यम अवधि (6–12 माह तक)	दीर्घ अवधि (1 वर्ष से अधिक)
1.4.2	**पर्यटन स्थलों के विकास हेतु क्षेत्र विशेष मास्टर प्लान**		
	• पर्यटन विभाग द्वारा क्षेत्र विशेष के मास्टर प्लान बनाये जाने हेतु प्रयास करना। • विभाग द्वारा एक इन–हाउस टास्क टीम का गठन करते हुए योजना बनाये जाना।	• मास्टर प्लान तैयार करने हेतु सम्बन्धित स्टेकहोल्डर्स को सम्मिलित किया जाना। • हेरिटेज साइट्स एवं उनके विज्ञापन को विकसित करने हेतु प्रचार–प्रसार करना।	क्षेत्र के पर्यटन विकास हेतु सभी सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन।
1.4.3	**हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की सुविधायें तथा निजी पूँजी निवेश**		
	ट्रेवेल एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के स्टेकहोल्डर्स को सम्मिलित करते हुए बुन्देलखण्ड का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा निजी निवेशकों के साथ वार्ता आरंभ करना।	• मास्टर प्लान तैयार होने एवं इसकी स्वीकृति के उपरांत विभाग द्वारा निजी निवेशकों/स्टेकहोल्डर्स के साथ नियमित रूप से वार्ता करते हुए निवेशकों को आमंत्रित करना। • पर्यटन नीति एवं योजनाओं के प्रभावी पैनल का गठन किया जाना। • संदर्भित पैनल के माध्यम से निजी निवेशकों के मुद्दों को भी सम्बोधित किया जाना। • बुन्देलखण्ड के धार्मिक पर्यटन स्थलों यथा–चित्रकूट, झाँसी, ललितपुर, बाँदा में बजट होटल/गेस्ट हाउस/होम स्टे को निजी क्षेत्र की सहायता से विकसित करना।	
1.4.4	**पर्यटन स्थलों की ब्रांडिग एवं प्रमोशन**		
	• क्षेत्र के मास्टर प्लान में ब्रांडिंग प्रमोशन की प्रभावी रणनीति को सम्मिलित करना। • प्लान तैयार करने के दौरान स्टेकहोल्डर्स को सम्मिलित करना। • विवाह स्थल के रूप में विरासत स्थलों का उपयोग कराना। • "अतुल्यनीय भारत" के समान बुन्देलखण्ड पर्यटन को टैग लाइन देने विषयक कार्यवाही कराना। • वन क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहन देना।	• स्वीकृत ब्रांडिंग एवं प्रमोशन रणनीति का क्रियान्वयन किया जाना एवं इसका सघन अनुश्रवण करना ताकि अपेक्षित परिणामों को प्राप्त किया जा सके। विभिन्न थीम आधारित सर्किट यथा– रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, जैन सर्किट, बुद्ध सर्किट आदि से चिन्हित पर्यटन स्थलों को जोड़ना। • कार्यों में सुधार हेतु चेक बिन्दुओं एवं मूल्यांकन बेन्च मार्क्स का विकास करना।	पर्यटकों की आवक को बढ़ाने एवं क्षेत्र के विकास हेतु क्षेत्र को थीम आधारित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से जोड़ा जाना जिससे प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को अधिक समय तक प्रदेश में रोका जा सके।
1.4.5	**बुन्देलखण्ड क्षेत्र की नृत्य, कला, संस्कृति, व्यंजनों की ब्रांडिंग एवं प्रमोशन**		
	• क्षेत्र की धरोहरों के विकास व प्रोत्साहन के साथ लघु, मध्यम एवं दीर्घकालीन रणनीति को बनाया जाना तथा उसे लागू किया जाना। • निजी स्टेकहोल्डर्स को प्रभावी ब्रांडिंग एवं प्रमोशन हेतु जोड़ा जाना। • बुन्देलखण्ड कला गांव/बुन्देलखण्ड नाट्य अकेडमी/ बुन्देलखण्ड म्यूजियम का निर्माण किया जाना। • वार्षिक आधार पर बुन्देली महोत्सव का आयोजन किया जाना। • युवाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में विकसित कराना।		

2. संस्कृति, कला एवं खेलकूद

2.1 पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध संस्कृति और परम्परा के लिए जाना जाता है, जिसकी जड़ें हिन्दी और उर्दू साहित्य, संगीत, ललित कलायें, नाटक और सिनेमा आदि है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में संगीत विद्या में आल्हा गायन, लोक नृत्य में बधाई, देवारी, राई, साईरा ज्वारा, अखाड़ा, शैतान, डिमराई आदि प्रमुख है।

2.2 मुख्य मुद्दे

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्रचलित लोक कलाओं को एक मंच प्रदान करने के लिये बुंदेली महोत्सव जैसे आयोजनों को पुनर्जीवित करना।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के स्पोर्ट्स स्टेडियमों में क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, उप क्रीड़ाधिकारी आदि के लगभग 50 प्रतिशत पद रिक्त होने से शासकीय कार्यों/खेल प्रशिक्षण आदि के सम्पादन में समस्यायें आना।
- बुन्देलखण्ड सम्भाग में भारतीय खेल प्राधिकरण, बंगलौर की तरह भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना।
- जनपद जालौन में जिम्नास्टिक हॉल, क्रिकेट हेतु क्रिकेट क्रीज, टर्फ का निर्माण, साइड स्क्रीन, बाउण्ड्रीरोप, बालिंग मशीन की उपलब्धता, पैवेलियन तथा बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का जीर्णोद्धार आदि कार्य/सुविधायें उपलब्ध कराना।
- जनपद ललितपुर में तरणताल, क्रिकेट हेतु क्रिकेट क्रीज, टर्फ का निर्माण, साइड स्क्रीन, बाउण्ड्रीरोप, बालिंग मशीन की उपलब्धता, जिम हॉल का निर्माण एवं आधुनिक जिम मशीन आदि सुविधायें उपलब्ध कराना।
- जनपद हमीरपुर में तरणताल, क्रिकेट हेतु क्रिकेट क्रीज, टर्फ का निर्माण, साइड स्क्रीन, बाउण्ड्रीरोप, बालिंग मशीन की उपलब्धता, बास्केटबाल कोर्ट, वालीबाल कोर्ट एवं बैडमिंटन हॉल का जीर्णोद्धार आदि कार्य/सुविधायें उपलब्ध कराना।
- जनपद महोबा में तरणताल, क्रिकेट हेतु क्रिकेट क्रीज, टर्फ का निर्माण, साइड स्क्रीन, बाउण्ड्रीरोप, बालिंग मशीन की उपलब्धता, बास्केटबाल कोर्ट एवं वालीबाल कोर्ट का जीर्णोद्धार आदि कार्य/सुविधायें उपलब्ध कराना।
- जनपद बाँदा में तरणताल, क्रिकेट हेतु क्रिकेट क्रीज, टर्फ का निर्माण, साइड स्क्रीन, बाउण्ड्रीरोप, बालिंग मशीन की उपलब्धता, बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल, बास्केटबाल कोर्ट एवं वालीबाल इन्डोर हॉल का जीर्णोद्धार आदि कार्य/सुविधायें उपलब्ध कराना।
- जनपद चित्रकूट में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निर्माण किया जाना।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद झाँसी में स्पोर्ट्स कालेज स्थापित किया जाना।
- झाँसी में कला गांव व बुंदेली विरासत की अनुपस्थिति।
- कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- कलाकारों को बुंदेली फिल्म प्रमोशन लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान करना।

2.3 रणनीति

- लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिये प्रत्येक वर्ष गायन, नृत्य, समूह नृत्य एवं अन्य लोक कलाओं में पारंगत कलाकारों को बुन्देली गौरव के रूप में पुरस्कृत करना।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिनेमा और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिये बुन्देलखण्ड फिल्म फेस्टिवल का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाना।
- राजस्थान में जनपद जयपुर में ''चौकी धानी'', पंजाब में ''हवेली'' आदि की तरह बुन्देलखण्ड में कला गांव का निर्माण किया जाये जिसमें संध्या के समय बुन्देलखण्डी लोक गायन, संस्कृति, नृत्य आदि प्रस्तुतियों से पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है।
- बुन्देलखण्ड के विभिन्न जनपदों में स्थापित स्पोर्ट्स स्टेडियम में विभिन्न कार्यों/सुविधायें यथा–तरणताल, बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल, क्रिकेट हेतु क्रिकेट क्रीज, टर्फ का निर्माण, साइड स्क्रीन, बाउण्ड्रीरोप, बालिंग मशीन की उपलब्धता, बास्केटबाल कोर्ट एवं वालीबाल कोर्ट का जीर्णोद्धार आदि उपलब्ध कराना।

- समस्त स्टेडियमों में आर0ओ0 युक्त वाटर कूलर की स्थापना कराना।
- प्रतियोगिताओं के आयोजन के समय सभी स्टेडियमों में खिलाड़ियों एवं टीमों के रूकने हेतु डारमेट्री की स्थापना कराना।
- समस्त स्टेडियमों में पर्याप्त प्रशिक्षकों एवं शासकीय कार्मिकों की उपलब्धता कराना।
- आधुनिक खेल उपकरणों की व्यवस्था कराना।
- बुंदेली महोत्सव जैसे आयोजनों के माध्यम से लोक नृत्यों को पुनर्जीवित करना।
- झाँसी में कला गांव व बुंदेली विरासत का विकास करना।
- कलाकारों को वित्तीय सहायता/पेंशन प्रदान किया जाना।
- कलाकारों को बुंदेली फिल्म प्रमोशन लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान किया जाना।

2.4 कार्य योजना

उक्त रणनीति को लागू करने हेतु कार्य योजना की रूप–रेखा निम्नलिखित तालिका में अंकित है:–

क्र .सं .	अल्प अवधि (6 माह तक)	मध्यम अवधि (6–12 माह तक)	दीर्घ अवधि (1 वर्ष से अधिक)
2.4.1	**झाँसी में कला गांव व बुंदेली विरासत का विकास**		
	कला गांव के लिए प्रस्ताव तैयार करना	मास्टर प्लान और निष्पादन की तैयारी करना	
2.4.2	**बुंदेली महोत्सव जैसे आयोजनों के माध्यम से लोक नृत्यों को पुनर्जीवित करना**		
	लोक नृत्य के पुनरुद्धार के लिए योजना की तैयारी		
2.4.3	**बुन्देली गौरव सम्मान–गायन, नृत्य, समूह नृत्य और अन्य के क्षेत्र में कलाकारों को हर साल आर्थिक मदद**		
	सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार करना	कार्यक्रम और वित्तीय सहायता के आयोजन के लिए सम्बन्धित/विभाग प्राधिकरण को निर्देशित करना	
2.4.4	**बुन्देली फिल्म प्रमोशन–कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुन्देलखण्ड में हर साल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन**		
	हर साल आयोजन के लिये अग्रिम बजट तथा योजना तैयार कर निष्पादन करना		
2.4.5	**कलाकारों को वित्तीय सहायता/पेंशन प्रदान किया जाना**		
	वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कलाकारों को चिन्हित करना		

3. सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स

3.1 पृष्ठभूमि

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रशासन को त्वरित, उत्तरदायी, पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए किया जा रहा है।
- बुन्देलखण्ड सहित राज्य के सभी 75 जिलों में ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना को लागू किया गया है।
- उत्तर प्रदेश के ई–जिला पोर्टल पर 34 विभागों की 254 G2C सेवाएँ उपलब्ध हैं।
- विभाग द्वारा वर्तमान में चलायी जा रही योजनायें निम्नवत हैं:–

➢ ई–जिला (E-District)

- ई–जिला एक राज्य मिशन मोड परियोजना है। इस परियोजना के अन्तर्गत जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर को कम्प्यूटरीकृत किया जाना है। ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर 34 विभागों की 254 G2C सेवाएँ उपलब्ध हैं। कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) के माध्यम से उक्त सेवाओं को जनसाधारण को उपलब्ध कराया जा रहा है।
- कॉमन सर्विस सेंटर्स के द्वारा मुख्यतः जाति, आय, अधिवास, खतौनी, सॉल्वेंसी, जन्म मृत्यु, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट आर0सी0, विकलांगता प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति, पेंशन, किसान पंजीकरण, श्रम पंजीकरण, मार्क शीट, डिग्री प्रमाण पत्र आदि सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

➢ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (1076)

- प्रति दिन 80000 इनबाउंड कॉल और 55000 आउटबाउंड कॉल की क्षमता है।
- सभी IGRS की शिकायतों का 100 प्रतिशत निवारण।

➢ जनहित गारंटी अधिनियम, उत्तर प्रदेश

जनहित गारंटी अधिनियम, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत अधिसूचित 32 विभागों की 224 सेवाओं में से 185 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। उक्त 185 सेवाओं में से 111 सेवाओं को उत्तर प्रदेश के ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और 36 सेवाओं को निवेश मित्र पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

➢ नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन (UMANG)

एकल मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं को जनसामान्य तक पहुंचाया जा रहा है।

➢ डिजिटल लॉकर

डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को समाप्त करना और ई–दस्तावेजों के प्रयोग को बढ़ाना है।

- **राज्य डेटा केन्द्र** (UPSDC)
- **राष्ट्रीय भू–सूचना विज्ञान केन्द्र** (NCOG)
- **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण–बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे**
- **डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर** (DBT)
- **सामान्य सेवा केन्द्र** (CSC)
- **आई0टी0 पार्क और शहर– प्रदेश में विश्व स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर**
- **भारत BPO संवर्धन योजना**
- **उत्तर प्रदेश में ई–ऑफिस का क्रियान्वयन**
- **उत्तर प्रदेश में ई–निविदा का प्रयोग**

3.2 मुख्य मुद्दे

- इंटरनेट और कॉमन सर्विस डिलीवरी आउटलेट केन्द्रों का कम होना।
- उद्यमशीलता की संस्कृति की कमी होना।
- रोजगार के अवसरों की कमी होना।
- आई0टी0 और आई0टी0इ0एस0 सेक्टर में निवेश की कमी होना।

3.3 रणनीति

3.3.1 इंटरनेट और कॉमन सर्विस डिलीवरी आउटलेट केन्द्रों का कम होना

- इंटरनेट और कॉमन सर्विस डिलीवरी आउटलेट जैसे जन सेवा केन्द्र, लोकवाणी, ई–सुविधा आदि के माध्यम से अधिक कुशल नागरिक सेवा वितरण केन्द्रों का निर्माण करना।

3.3.2 उद्यमशीलता संस्कृति की कमी होना

- उद्यमशीलता संस्कृति और स्टार्ट–अप को समुचित प्रोत्साहन देने के लिए इनक्यूबेटर विकसित करना।

3.3.3 रोजगार के अवसरों को बढ़ाना

- बिग डेटा, क्लाउड कम्प्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (I.O.T.), मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा में तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान करके क्षेत्र में कौशल विकास और नौकरी के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई0टी0 पार्क स्थापित करना।
- शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों में नवीनतम तकनीकों को सम्मिलित कर नवीन पाठ्यक्रम तैयार कराना।

3.3.4 आई0टी0 और आई0टी0ई0एस0 सेक्टर में निवेश

- आई0टी0, आई0टी0ई0एस0, बी0पी0ओ0 आदि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार अन्य राज्यों की तुलना में अधिक नीतिगत प्रोत्साहन और लाभ देने के लिए प्रोत्साहन दिए जाने हेतु योजना बनाना।
- आई0टी0 और आई0टी0ई0एस0 सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जाना।

3.4 कार्य योजना

उक्त रणनीति को लागू करने हेतु कार्य योजना की रूप–रेखा निम्नलिखित तालिका में अंकित है:–

क्र.सं.	अल्प अवधि (6 माह तक)	मध्यम अवधि (6–12 माह तक)	दीर्घ अवधि (1 वर्ष से अधिक)
3.4.1	**इंटरनेट और कॉमन सर्विस डिलीवरी आउटलेट केन्द्रों का कम होना**		
	नए स्थानों की मैपिंग करना	• सभी सी0एस0सी0 सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सी0एस0सी0 पार्टनर का पंजीकरण करना। • सी0एस0सी0 के नियमों के अनुसार सेवाएं प्रदान करना।	
3.4.2	**उद्यमशीलता संस्कृति का कम होना**		
	लाभ लेने के लिये स्टार्टअप पॉलिसी की तैयारी	पॉलिसी के अन्तर्गत नए उद्यमों को पूँजी अनुदान, पट्टे पर/किराये की जगह पर छूट, भुगतान स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति और पांच साल की अवधि के लिए बिजली शुल्क, मेंटरशिप असिस्टेंस और एक्सलेरेटर प्रोग्राम।	
3.4.3	**रोजगार के अवसरों की कमी होना**		
	शिक्षा प्रणाली में आई0टी0 विषयों को सम्मिलित करना।		
3.4.4	**आई0टी0 और आई0टी0ई0एस0 सेक्टर में निवेश की कमी होना**		
	• अधिक नीतिगत प्रोत्साहन और लाभ देने के लिए प्रोत्साहन करना। • पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। • आई0टी0 पार्क की स्थापना पर विचार करना।		

4. परिवहन

4.1 पृष्ठभूमि

वर्तमान में प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, मोटर वाहनों का पंजीकरण, परमिट का अनुदान और नवीनीकरण, करों/शुल्कों का संग्रह, सड़क सुरक्षा विनियम, बस सेवाएं और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत सौंपे गए अन्य सभी नियामक और प्रवर्तन कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है। परिवहन विभाग का मुख्यालय जनपद लखनऊ में है तथा राज्य भर में इसके 6 जोनल, 19 आर0टी0ओ0 और 77 ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय हैं।

4.2 मुख्य मुद्दे

- बस सेवाओं का पूर्ण कवरेज न होना।
- गुणवत्तायुक्त बसों की अपर्याप्तता।
- ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में समस्यायें।
- बेहतर सड़क सुरक्षा उपाय।

4.3 रणनीति

- बस सेवाओं की कवरेज पर्याप्त होना।
- बसों की गुणवत्ता अच्छी होना।
- नियमित अन्तराल पर बसों का संचालन कराना।
- ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट जारी करने में समयबद्धता लाना।
- बेहतर सड़क सुरक्षा उपाय करना।
- सड़क सुरक्षा दिशा–निर्देश के अनुसार सभी क्षेत्रों में होर्डिंग एवं संकेतक लगवाना।

4.4 कार्य योजना

उक्त रणनीति को लागू करने हेतु कार्य योजना की रूप–रेखा निम्नलिखित तालिका में अंकित है:–

क्र.सं.	अल्प अवधि (6 माह तक)	मध्यम अवधि (6–12 माह तक)	दीर्घ अवधि (1 वर्ष से अधिक)
4.4.1	**बस सेवाओं का कवरेज एवं गुणवत्ता**		
	• बसों की संख्या के अनुसार मोबिलिटी प्लान तैयार करना • कनेक्टिविटी एवं सुचारू यातायात में बाधित समस्याओं को चिन्हित करते हुए प्लान तैयार करना	राज्य के सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी एवं सुचारू यातायात बनाये रखने हेतु नए बसों का संचालन एवं रख–रखाव करना	
4.4.2	**ड्राइविंग लाइसेन्स एवं परमिट जारी करना**		
	ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाये जाने हेतु योजना बनाना	सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुऐ प्रक्रिया में तेजी लाना	
4.4.3	**सड़क सुरक्षा उपाय**		
	• राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को पालन कराना • सड़क सुरक्षा नियमों का व्यापक प्रचार करना • चौराहों और सड़कों के किनारे सड़क सुरक्षा होर्डिंग एवं संकेतकों को स्थापित किये जाने हेतु स्थलों का चिन्हांकन	चौराहों और सड़कों के किनारे सड़क सुरक्षा होर्डिंग एवं संकेतकों को स्थापित किया जाना	

5. व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास

5.1 पृष्ठभूमि

कौशल और ज्ञान किसी भी क्षेत्र के लिये आर्थिक और सामाजिक विकास की रीढ़ है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के कौशल को सुसज्जित और निरन्तर उन्नत करने के लिये व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अत्यन्त आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत 14–35 आयु वर्ग के अल्पशिक्षित युवाओं को सुनियोजित एकीकृत व मानकीकृत व्यवस्था में कौशल उन्नयन, निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा प्रमाणन के पश्चात सेवायोजन, ट्रेड्स, हैण्डीक्राफ्ट एंड कारपेट, आटोमोटिव, हेल्थकेयर, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रानिक्स, ब्यूटी कल्चर एण्ड हेयर ड्रेसिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल, फैब्रीकेशन, आई0सी0टी0, एप्रेरल, मेकअप एंड होम फर्निशिंग, पॉवर, फैशन डिजाइन, गारमेंट मेकिंग आदि हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कौशल प्रशिक्षण से सम्बन्धित मुख्य योजनायें निम्नवत हैं:–

- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (राज्य घटक) (PMKVY)
- स्पेशल सेन्ट्रल असिस्टेंस टू शिड्यूल्ड कॉस्ट सब प्लान (SCA to SCSP)
- बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (BADP)
- स्टेट स्किल डेवलपमेंट फण्ड (SSDF)
- बिल्डिंग एण्ड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स (BOCW)

5.2 मुख्य मुद्दे

- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, किन्तु कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु पर्याप्त भौतिक बुनियादी ढांचे एवं मानव संसाधन (शिक्षकों) का अभाव है।
- राष्ट्रीय वोकेशनल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क का अभाव होना।
- व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में पुरूषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी कम होना।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में कर्मचारियों की कमी होने के कारण अपेक्षित प्रगति प्राप्त करने में कठिनाई आना।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की माँग को देखते हुये पर्यटन, हेल्थकेयर, स्टोन क्रशर, टूरिज्म एण्ड हास्पिटैलिटी, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रानिक्स, कन्स्ट्रक्सन, आटोमोटिव, रिन्यूएबिल एनर्जी, आयरन एण्ड स्टील, टैक्सटाईल एवं माइनिंग सेक्टर में कौशल विकास प्रशिक्षण का अभाव है।
- क्षेत्र के परम्परागत उद्योग यथा–चन्देरी साड़ी, रानीपुर टेरीकॉट के निर्माण के आधुनिक तकनीकी ज्ञान के प्रशिक्षण का अभाव है।
- वनों पर आधारित उद्योगों के लिये प्रशिक्षण का अभाव।
- हाथ कागज निर्माण की तकनीकी के आधुनिकीकरण का प्रशिक्षण न होना।
- मऊ रानीपुर में खुशबूदार इलायची, बरूआसागर में उत्पन्न होने वाले अदरक और हल्दी, खोया, पनीर तथा दूध के भण्डारण/प्रसंस्करण का अभाव होना।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली सब्जियों तथा फलों आदि के लिये पैकेजिंग एवं प्रोसेसिंग के प्रशिक्षण का अभाव होना।
- जखौरा, ललितपुर तथा महोबा के ढलवॉ पीतल, गौरा पत्थर व चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने बनाने वाले परम्परागत कारीगरों को मूर्ति शिल्प तकनीक व लकड़ी के खिलौनों की लाख कोटिंग का ज्ञान न होना।
- कपड़े के खिलौने तथा गुड़िया निर्माण की परम्परागत विधा का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने की कोई व्यवस्था न होना।
- होज़री निर्माण का कभी हब रहे जनपद ललितपुर के कारीगरों में काटन होज़री निर्माण के प्रशिक्षण का अभाव।

- ग्रेनाइट कटिंग व पॉलिशिंग, आर्गेनिक कृषि, फ्लोरीकल्चर, पोली हाउस में सब्जी की खेती, अचार उत्पादन, फल संरक्षण के प्रशिक्षण का अभाव।
- क्षेत्र में दलहन उत्पादन की अधिकता को देखते हुये नमकीन उत्पादन के प्रशिक्षण का अभाव।
- प्रशिक्षण के दौरान मानदेय (स्टाइपेन्ड) की व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन परिवारों के वास्तविक जरूरतमंद अभ्यर्थी प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाते हैं।
- बाँदा के शजर पत्थर के नग तथा आभूषण उत्पादन के प्रशिक्षण का अभाव होना।

5.3 रणनीति

- परम्परागत उद्योग यथा–चन्देरी साड़ी के कारीगरों को आई0टी0आई0 और पालीटेक्निक में मास्टर ट्रेनर (बुनकर) के माध्यम से प्रशिक्षित कराना।
- पावरलूम आधारित रानीपुर टेरीकाट के बुनकरों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की मांग के अनुसार डिजाइन तैयार करने हेतु प्रशिक्षित किया जाना।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक डिजाइन इन्स्टीट्यूट की स्थापना किया जाना।
- आयुर्वेद दवा उद्योग हेतु वनों पर आधारित कच्चे माल के वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेसिंग करने का प्रशिक्षण दिया जाना।
- परम्परागत कुम्हारी कला के कारीगरों को आधुनिक तकनीक के चाक चलाने का प्रशिक्षण दिया जाना।
- हाथ कागज निर्माण की तकनीकों के आधुनिकीकरण में हुये शोध से परम्परागत कारीगरों को अवगत कराना।
- मऊ रानीपुर में खुशबूदार इलायची, बरूआसागर में उत्पन्न होने वाले अदरक और हल्दी, खोया, पनीर तथा दूध के भण्डारण/प्रसंस्करण हेतु प्रशिक्षित किया जाना।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली सब्जियों तथा फलों आदि की पैकेजिंग एवं प्रोसेसिंग के लिये प्रशिक्षित किया जाना।
- जखौरा, ललितपुर तथा महोबा के ढलवा पीतल, गौरा पत्थर व चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने बनाने वाले परम्परागत कारीगरों को मूर्ति शिल्प तकनीक व लकड़ी के खिलौनों की लाख कोटिंग का प्रशिक्षण प्रदान करना।
- कपड़े के खिलौने तथा गुड़िया निर्माण की परम्परागत विधा के संरक्षण हेतु इसके कारीगरों को आई0टी0आई और पालीटेक्निक के माध्यम से प्रशिक्षित कराना।
- होज़री निर्माण का कभी हब रहे जनपद ललितपुर के कारीगरों को आई0टी0आई0 और पालीटेक्निक के माध्यम से प्रशिक्षित कराना।
- ग्रेनाइट कटिंग व पालिशिंग, आर्गेनिक कृषि, फ्लोरीकल्चर, पोली हाउस में सब्जी की खेती, अचार उत्पादन, फल संरक्षण आदि का प्रशिक्षण देना।
- क्षेत्र में दलहन उत्पादन की अधिकता को देखते हुये नमकीन उत्पादन का प्रशिक्षण देना।
- प्रशिक्षण के दौरान मानदेय (स्टाइपेन्ड) की व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन परिवारों के वास्तविक जरूरतमंद अभ्यर्थी प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाते हैं।
- बाँदा के शजर पत्थर के नग तथा आभूषण उत्पादन का प्रशिक्षण देना।
- मौदहा की चाँदी से निर्मित मछली आभूषण उत्पादन का प्रशिक्षण आई0टी0आई0 और पालीटेक्निक के माध्यम से दिया जाना।
- हमीरपुर की जूती निर्माण, पाली के देसी चर्म के उत्पाद, तालबेहट के कढ़ाई के उत्पाद के कारीगरों का प्रशिक्षण आई0टी0आई0 और पालीटेक्निक के माध्यम से कराना।
- देशावरी पान उत्पाद का प्रशिक्षण कराना।
- अतर्रा, बाँदा के देशी धान उत्पादन एवं उसके संरक्षण का प्रशिक्षण कराना।

- स्कूली शिक्षा और सरकार के विभिन्न कौशल विकास प्रयासों तथा इस क्षेत्र में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के मध्य प्रभावी तालमेल बनाना।
- कौशल विकास संस्थानों की क्षमता निर्माण की जाये जिससे वे योजना निर्माण, गुणवत्ता एवं हितधारकों की भागीदारी प्राप्त करने में सक्षम हो सके।
- कौशल विकास के क्षेत्र में अनुसन्धान को प्रोत्साहित करने, प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाये रखने, नियमित परीक्षायें कराकर प्रमाण पत्र जारी करने तथा प्रशिक्षण में कार्यरत संस्थाओं को मान्यता एवं सम्बद्धता प्रदान करने हेतु एक संस्थागत तंत्र बनाये जाने की आवश्यकता है।
- प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता या ऋण के माध्यम से कौशल विकास के लिये गरीब लोगों को वित्त पोषित करने की प्रणाली को भी लागू करने की आवश्यकता है।
- टैली/डोमेस्टिक डाटा इंट्री प्रमाण पत्र की वैधता को यदि सी0सी0सी0 (कोर्स आन कम्प्यूटर कन्सेप्ट्स) के समतुल्य कर दिये जाने पर निजी/राजकीय सेक्टर में अभ्यर्थियों द्वारा बृहद स्तर पर सेवायोजन के लिये आवेदन किया जा सकता है।
- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वृद्धि करना।
- निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की वृद्धि करना।
- प्रत्येक जनपद की तहसील स्तर तक कौशल प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करना।

5.4 कार्य योजना

उक्त रणनीति को लागू करने हेतु कार्य योजना की रूप–रेखा निम्नलिखित तालिका में अंकित है:–

क्र.सं.	अल्प अवधि (6 माह तक)	मध्यम अवधि (6–12 माह तक)	दीर्घ अवधि (1 वर्ष से अधिक)
5.4.1	**राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की कमी होना**		
	नए प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की योजना तैयार करना।	तैयार योजनाओं को क्रियान्वित कराना।	
5.4.2	**निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की कमी होना**		
	नए प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की योजना तैयार करना।	तैयार योजनाओं को क्रियान्वित कराना।	
5.4.3	**प्रत्येक जनपद की तहसील स्तर तक कौशल प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार होना**		
	नए प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की योजना तैयार करना।	• तैयार योजनाओं को क्रियान्वित कराना। • नए क्षेत्रों को चिन्हित कर उन्हें विकसित किये जाने हेतु योजनायें तैयार कर उनका क्रियान्वयन कराना।	
5.4.4	**बुन्देलखण्ड क्षेत्र में "उत्कृष्टता केन्द्र" (सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स) की स्थापना पर विचार करना।**		

उक्त सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी सेक्टरों/विभागों की भूमिका, कार्य योजना की समीक्षा, समन्वय, बुन्देलखण्ड सम्भाग के विशेष चिन्हित स्थलों की स्थिति तथा परिणाम (आउटकम) आदि का विवरण निम्नवत है:–

विभिन्न संस्थाओं की भूमिका

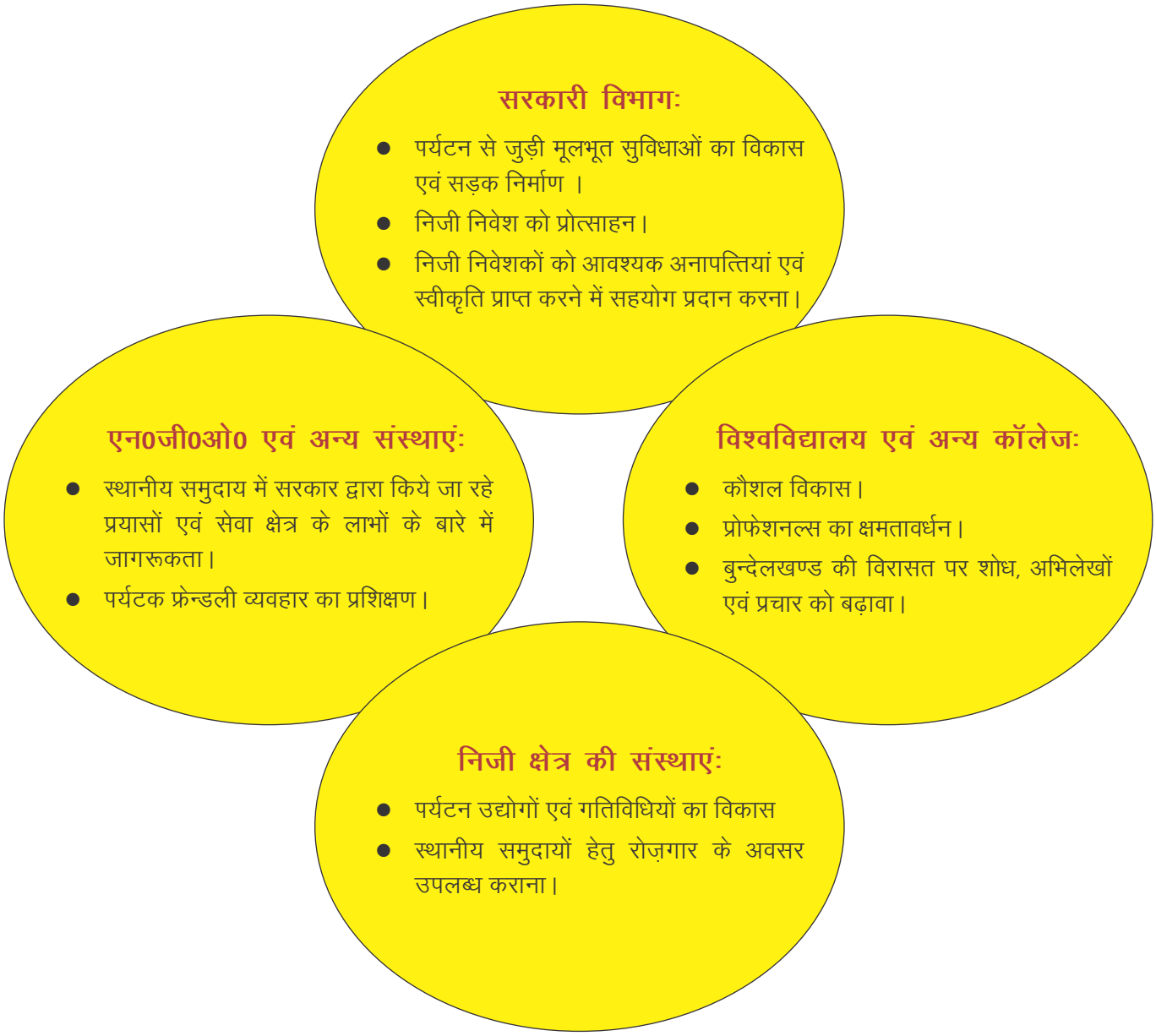

कार्य योजना की समीक्षा

- लघु अवधि कार्य योजना – मासिक
- मध्यम अवधि कार्य योजना – त्रैमासिक
- दीर्घकालीन कार्य योजना – छमाही

समन्वय

उ0प्र0 पर्यटन नीति के अर्न्तगत वर्णित किये गये दिशा–निर्देशों में हास्पिटैलिटी क्षेत्र के विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहनों का वर्णन भी किया गया है जो कि अत्यन्त उपयुक्त है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रोज़गार के अवसर बढ़ाने एवं कौशल आधारित लघु उद्योगों के विकास हेतु सरकार की संचालित कौशल विकास एवं क्षमतावर्धन योजनाओं को आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकता है एवं ''एक जनपद–एक उत्पाद'' योजना से जोड़ा जाना होगा। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में शिल्पकारों एवं ग्रामीण युवाओं हेतु रोज़गार एवं आजीविका के अवसर बढ़ाने व उसे सुदृढ़ करने के लिये इन सभी विकल्पों पर कार्य किये जाने की आवश्यकता होगी।

क्षेत्र की नृत्य, कला, संस्कृति एवं संगीत को प्रोत्साहित करने एवं इसके विकास हेतु सांस्कृतिक संस्थाओं को नोडल एजेन्सी के रूप में जोड़ा जा सकता है। यह सभी प्रयास बुन्देलखण्ड की सांस्कृतिक विरासत की ब्रांडिंग एवं प्रोत्साहन के साथ–साथ किये जाने होंगे।

विशेष स्थलों का विकास

- बरूआसागर झाँसी में पर्यटक गेस्ट हाउस का निर्माण एवं रोमांचक वाटर स्पोर्ट्स का विकास।
- चौरासी गुम्बद–जालौन, पंचनदा–जालौन, झूमर धाम, रणछोड़ धाम, तालबेहट किला, करकरावाल वाटर फॉल जखौरा–ललितपुर में पर्यटक सुविधाओं का विकास।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र विशेषकर चित्रकूट एवं झाँसी में गुणवत्तापूर्ण होटलों एवं रिसॉर्ट के निर्माण पर विचार करना।
- कालिन्जर में पर्यटक गेस्ट हाउस के निर्माण पर विचार करना।
- जैन धर्म के प्रोत्साहन हेतु देवगढ़ में जैन धर्मशाला के निर्माण पर विचार करना।
- रेल मंत्रालय के माध्यम से बुन्देलखण्ड क्षेत्र के मुख्य स्टेशनों पर रेल यात्री निवास के निर्माण पर विचार करना।

परिणाम (आउटकम)

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि।
- पर्यटन उद्योग के विकास से स्थानीय समुदाय में रोजगार के अवसर एवं आय वृद्धि की गतिविधियों का विकास।
- स्थानीय क्षेत्र का आर्थिक उत्थान।
- क्षेत्र की नृत्य, कला एवं संगीत तथा व्यंजनों को पुनर्जीवित कर उनका प्रोत्साहन।
- राज्य सरकार एवं भारत सरकार की विकास एवं प्रोत्साहन सम्बन्धी नीतियों के क्रियान्वयन से बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था के कारण क्षेत्र में निजी निवेशकों द्वारा अधिक निवेश।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भ्रमण करने वाले पर्यटकों को बेहतर पर्यटन अनुभव।

राष्ट्रीय सेमिनार
बुन्देलखण्ड का विकास : इशूज, रणनी एवं भावी दिशा
सेक्टर -सेवा
आयोजक : बुन्देलखण्ड विकास बो विभाग, उ.प्र.
दिनांक : 10 एवं 11 जनवरी 2020, स्थान : बाँदा की विश्वविद्यालय, बाँदा

नीति एवं भावी
नियोजन विभाग, उ.
एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद

परिशिष्ट

बुन्देलखण्ड सम्भाग/जनपदों की विभिन्न संकेतकों में स्थिति

क्र0 सं0	विकास संकेतक	बुन्देलखण्ड के जनपदों का मान							बुन्देल खण्ड
		जालौन	झाँसी	ललितपुर	हमीरपुर	महोबा	बाँदा	चित्रकूट	
	सामान्य सूचनायें								
1	क्षेत्रफल (वर्ग कि0मी0), 2011	4565	5024	5039	4021	3144	4408	3216	29417
2	जनसंख्या घनत्व, 2011	370	398	242	275	279	408	308	329
3	कुल जनसंख्या, 2011	1689974	1998603	1221592	1104285	875958	1799410	991730	9681552
4	जनसंख्या (ग्रामीण), 2011	1271074	1165119	1046214	894437	690577	1523655	895398	7486474
5	जनसंख्या (नगरीय), 2011	418900	833484	175378	209848	185381	275755	96332	2195078
6	अनुसूचित जाति की जनसंख्या, 2011	468178	562505	240519	241198	220898	387855	266655	2387808
7	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, 2011	832	3873	71610	474	647	163	366	77965
8	लिंगानुपात, 2011	865	890	906	861	878	863	879	877
9	आबाद ग्रामों की संख्या, 2011	942	745	691	497	435	657	562	4529
10	परिवारों की संख्या, 2011	288338	367779	222094	204863	158435	319963	168232	1729704
11	परिवार आकार, 2011	5.9	5.4	5.5	5.4	5.5	5.6	5.9	5.6
	शैक्षणिक स्थिति								
12	साक्षरता (कुल), 2011	1075196	1304513	641191	653299	488106	1002937	531072	5696314
13	साक्षरता (पुरूष), 2011	653430	783705	397586	408125	302283	630626	330339	3506094
14	साक्षरता (महिला), 2011	421766	520808	243605	245174	185823	372311	200733	2190220
15	प्राथमिक विद्यालय, 2018–19	1588	2165	1418	1226	844	1704	1134	10079
16	उच्च प्राथमिक विद्यालय, 2018–19	1157	1166	643	602	520	901	501	5490
17	माध्यमिक विद्यालय, 2018–19	283	273	103	157	97	161	130	1204
18	महाविद्यालय, 2018–19	49	52	16	13	19	87	4	240
	स्वास्थ्य स्थिति								
19	एलोपैथिक चिकित्सालय/औषधालय, 2018–19	6	124	2	4	2	17	8	163
20	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2018–19	7	12	4	10	4	6	6	49
21	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2018–19	39	57	28	36	17	49	28	254
22	शैय्याओं की संख्या, 2018–19	561	2070	472	388	280	772	390	4933
23	डाक्टरों की संख्या, 2018–19	78	106	60	40	54	94	70	502

क्र0 सं0	विकास संकेतक	बुन्देलखण्ड के जनपदों का मान							बुन्देल खण्ड
		जालौन	झाँसी	ललितपुर	हमीरपुर	महोबा	बाँदा	चित्रकूट	
सामान्य सूचनायें									
24	पैरामेडिकल कर्मचारियों की संख्या, 2018–19	**92**	**185**	**82**	**398**	**53**	**136**	**98**	**1044**
25	परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, 2018–19	**9**	**16**	**13**	**7**	**6**	**18**	**40**	**109**
उद्योग									
26	उद्यमों की संख्या, 2012	**61823**	**58865**	**25006**	**21992**	**22856**	**34470**	**15146**	**240158**
पशुपालन एवं दुग्ध विकास									
27	पशु चिकित्सालयों की संख्या	**20**	**22**	**19**	**19**	**15**	**20**	**13**	**128**
28	पशुधन की संख्या (गोवंशीय), 2012	**224955**	**352513**	**483033**	**269513**	**228027**	**371509**	**421332**	**2350882**
29	पशुधन की संख्या (महिषवंशीय), 2012	**256282**	**242949**	**234855**	**199537**	**136008**	**324091**	**183268**	**1576990**
30	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, 2018–19	**61**	**41**	**51**	**44**	**27**	**43**	**29**	**296**
सिंचाई									
31	नलकूप (राजकीय), 2018–19	**697**	**155**	**1**	**568**	**1**	**633**	**20**	**2075**
32	नलकूप (निजी), 2018–19	**13594**	**14045**	**3674**	**14523**	**1922**	**14494**	**4898**	**67150**
33	नलकूप (कुल), 2018–19	**14291**	**14200**	**3675**	**15091**	**1923**	**15127**	**4918**	**69225**
सड़क एवं विद्युत									
34	प्रति लाख जनसंख्या पर लो0नि0वि0 के अधीन कुल पक्की सड़कों की लम्बाई (कि0मी0), 2016–17	**145.43**	**123.86**	**158.53**	**160.38**	**166.72**	**148.29**	**143.48**	**146.67**
35	प्रति हजार वर्ग कि0मी0 पर लो0नि0वि0 के अधीन कुल पक्की सड़कों की लम्बाई (कि0मी0), 2016–17	**574.08**	**521.16**	**426.60**	**445.53**	**512.78**	**647.93**	**501.01**	**518.73**
36	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (कि0वा0घं0), 2018–19	**368.22**	**498.16**	**241.05**	**458.99**	**404.38**	**291.23**	**266.93**	**365.25**

बुन्देलखण्ड विकास बोर्ड में नामित पदाधिकारी

क्र0 सं0	नाम	पदनाम
1	कुँवर मानवेन्द्र सिंह	अध्यक्ष
2	श्री अयोध्या सिंह पटेल	उपाध्यक्ष
3	श्री राजा बुन्देला	उपाध्यक्ष
4	श्री शम्भू दयाल	गैर सरकारी सदस्य
5	श्री माताबदल प्रजापति	गैर सरकारी सदस्य
6	श्री महेन्द्रपाल सिंह राजपूत	गैर सरकारी सदस्य
7	श्री जगदीश सिंह चौहान	गैर सरकारी सदस्य
8	श्री रामहेत निषाद	गैर सरकारी सदस्य
9	श्री पवनपुत्र बादल	गैर सरकारी सदस्य
10	श्री जगराम चौहान	गैर सरकारी सदस्य
11	श्री प्रदीप चौबे	गैर सरकारी सदस्य
12	श्री लवकुश चतुर्वेदी	गैर सरकारी सदस्य
13	श्री रामस्वरूप श्रीवास	गैर सरकारी सदस्य

मुद्रक : प्रकाश पैकेजर्स, 257–गोलागंज, लखनऊ